खण्ड-238, अंक-2
मंगलवार, 16 माघ, शक संवत् 1884
(5 फरवरी, 1963 ई0)

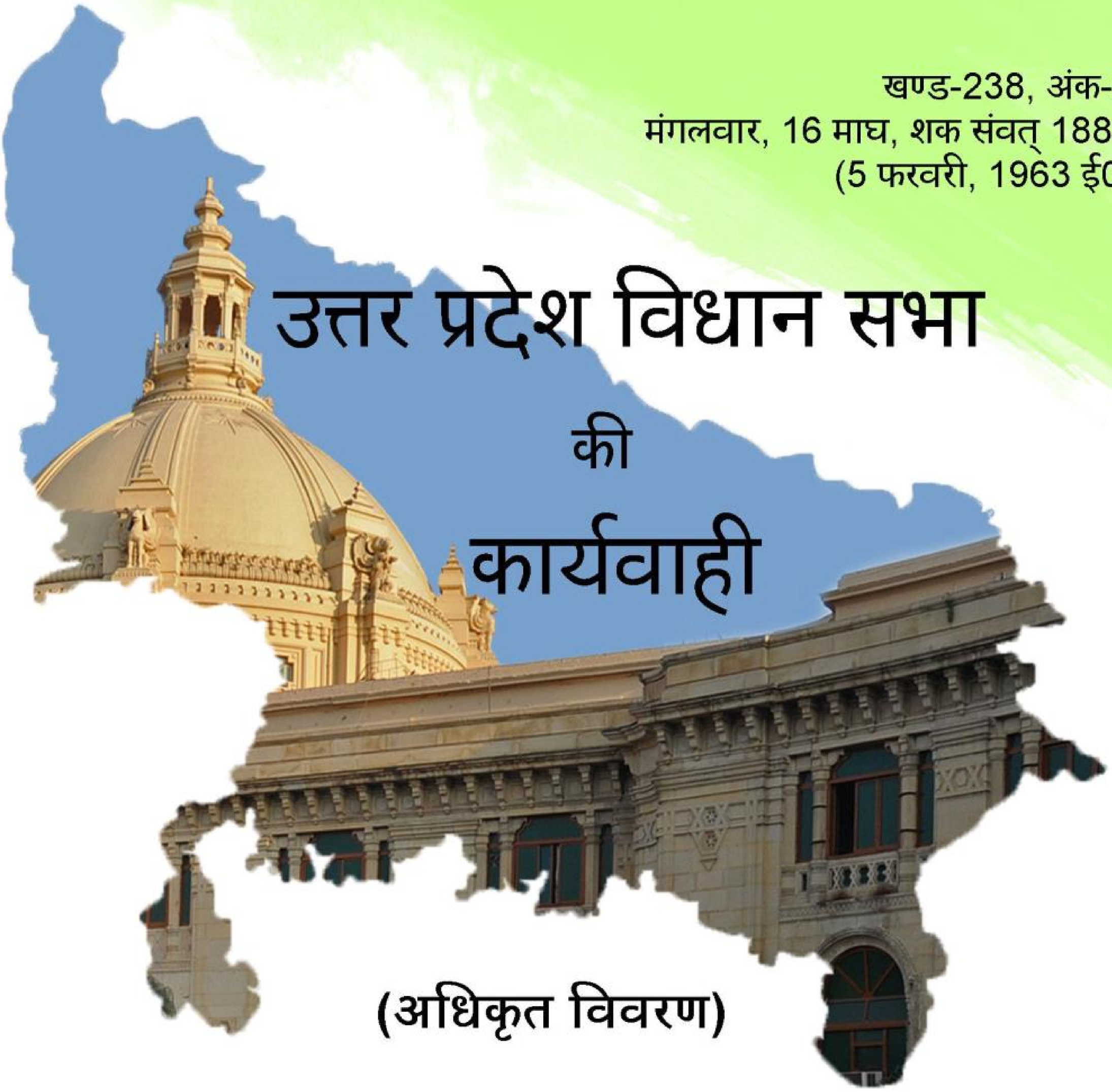

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 238 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२५–२९
प्रश्नोत्तर	२९–५४
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा नियमावली, १९६२ (मेज पर रखी गई)	५५
समाजवादी संयुक्त दल को मुख्य विरोधी दल की मान्यता देने के सम्बन्ध में जानकारी	५५–५६
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ..	५६
गोरखपर गोलीकाण्ड की न्यायिक जांच स्थगित करने के सरकारी आदेश के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	५६–६८
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३ (पुरःस्थापित किया गया)	६८
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (विवाद जारी)	६८–११९
नत्थियां	१२०–१२६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ५ फरवरी, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में साढ़े १० बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७५

अखण्डप्रतापसिंह ,श्री
अजीज इमाम,श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री सैयद
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श , श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह , श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त , श्री
उमाशंकर , श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल , श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस , श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी , श्री
कंधईलाल , श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुरपाल, श्री
काशीनाथ मिश्र ,श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी , श्री
किशोरीलाल अग्रवाल , श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द ,श्री
कृष्णपालसिंह , श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त , श्री
केशवराम ,श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश ,श्री
कोतवालसिंह भदौरिया , श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह , श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी , श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी,श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा , श्री
गिरजाप्रसाद , श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी , श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव , श्री
चन्द्रपाल , श्री
चन्द्रबलीसिंह , श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती , श्रीमती
चरणसिंह , श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल , श्री
चैतन्यराजसिंह , श्री
छांगुर , श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वकन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिल राम, श्री
टम्बे[illegible]प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई लाल, श्री

पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
वंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल सिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री

रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय केयवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री

शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन राम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविंद सिंह, तथा सिंचाई उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ५ फरवरी, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मध्य प्रदेश को रिहन्द बांध से बिजली देने पर विचार

***१—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ), श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध से उत्पादित बिजली के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारी राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के पास कुछ आपत्तियां भेजी हैं ? यदि हां ,तो उनकी आपति के क्या आधार हैं और राज्य सरकार ने उस पर अब तक क्या निर्णय लिया है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत चल रही है और अभी इस सम्बन्ध में कुछ कहना जन हित में न होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कि जिस वक्त रिहन्द डैम का निर्माण हो रहा था उस के पहले मध्य प्रदेश सरकार से कुछ समझौता हुआ था, इस संबंध में और हमारी राज्य सरकार कुछ बिजली उनको देने के लिये पहले ही वचन बद्ध थी तो आगे चलकर यह विवाद क्यों खड़ा हुआ है और उस विवाद में केन्द्रीय सरकार ने किस प्रकार का हस्तक्षेप किया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

आप मध्य प्रदेश सरकार से ज्यादा इन्टरस्टेड हैं या हम लोगों से ? कोई समझौता नहीं हुआ है और अभी बातचीत चल रही है। परन्तु उस सम्बन्ध में कुछ चीजें यहां पर बताना जनहित में नहीं होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि हमारे प्रदेश में बिजली की स्वयं कमी है और बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में वह नहीं दी गई है और तृतीय पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य हैं वह भी पूरे नहीं हो पाये हैं। क्या उसको मद्देनजर उस बातचीत में रखा जायगा जो कि मध्य प्रदेश सरकार से की जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

आप ठीक ही समझें हैं और जो आप चाहते हैं उसी हिसाब से बातचीत चल रही है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह बातचीत कब तक चलेगी और किन-किन विषयों पर चल रही है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

श्रीमन्, वह जब तक खत्म नहीं हो पायेगी तब तक चलेगी।

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के यह बतायेंगे कि जो बातचीत चल रही है उस बातचीत का आधार क्या है जो कि दोनों प्रदेशों की सरकारों के बीच और केन्द्रीय सरकार के बीच चल रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, मैंने तो बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको यहां बताना जनहित में नहीं होगा। आप इस बात का विश्वास रखें कि वह हमारा पड़ोसी प्रदेश है और हम उनके साथ कोई ज्यादती नहीं करने वाले हैं और साथ ही साथ न अपने प्रदेश का अनहित ही करने वाले हैं।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, हमारा प्रश्न ही दूसरा था। मैंने तो पूछा था कि मुख्य-मुख्य क्या बातें हैं उसकी, जिसपर कि वह बातचीत चल रही है। मैं उसके डिटेल नहीं जाना चाहता हूं केवल मुख्य बातें ही जानना चाहता हूं। वही आप कृपया बताने का कष्ट करें ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो जवाब हो गया कि वह बतलाना जनहित में नहीं है।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान माननीय मुख्य मंत्री जी के उस वक्तव्य की ओर गया है जो कि उन्होंने जनवरी महीने में दिया था कि मध्य प्रदेश सरकार मुफ्त में ही बिजली और पानी लेना चाहती है। जो लागत है रिहन्द डैम की या माताटीला बांध की उसमें वह कुछ

हिस्सा नहीं देना चाहती है। इसलिये उन्होंने कहा था उस वक्तव्य में कि रिहन्द बांध से जो पानी मध्य प्रदेश सरकार को दिया जायगा उसके एवज में उनसे ६ करोड़ रूपया लिया जायगा। कदाचित आपने इस बात पर जो कि मुख्य मंत्री जी द्वारा कही गई थी ध्यान नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार से समझौता किस स्तर पर किया जायगा? क्या जो लागत है उसी अनुपात से लेने का सरकार इरादा करती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

आपने बहुत सी बातें कही हैं लेकिन आपको मैं सूचना के लिये बता दूं कि बातचीत चल रही है और जो भी समझौता होगा बहरहाल वह आपके सामने रख दिया जायेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय की स्थिति क्या है? क्या मध्य प्रदेश सरकार को कुछ बिजली दी जा रही है और क्या मध्य प्रदेश सरकार ने लागत में कुछ रुपया हमारी सरकार को दिया है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इस वक्त बिजली नहीं दी जा रही है और न कोई रुपया दिया गया है। बिजली देने के पहले लाइन उनको खींचनी पड़ेगी। उसमें कुछ समय लगा करता है। लाइन खींचेगें तो बिजली दे देंगे।

तारांकित प्रश्न

नदियों से कटाव

*१—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार प्रदेश में जो जमीन का कटाव नदियों और नालों द्वारा हो रहा है उसे रोकने की कोई व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो वह क्या व्यवस्था है?

सिंचाई उप-मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

यह समस्या ऐसी है कि यदि हर नदी नाले पर हर जगह कटाव रोकने की व्यवस्था की जाय तो बहुत अधिक धन व्यय होगा और तबभी कोई विशेष लाभ न होगा, क्योंकि यदि एक जगह कटाव को रोका गया तो सम्भवतः या तो नदी के दूसरे किनारे पर या उस के नीचे (Downstream) फिर कटाव होगा। अतः केवल बड़े-बड़े शहरों व महत्वपूर्ण स्थानों में कटाव रोकने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कटाव रोकने के लिये कुल कितने रुपये की योजना सरकार द्वारा बन चुकी है?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)--

कोई योजना एक वक्त में नहीं बनती, जरूरत के मुताबिक चीजें आती रहती हैं और उनकी योजनाएं बनती रहती हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह--

अब तक जो योजना राज्य सरकार द्वारा बनी है उसका क्या स्वरूप है?

श्री राममूर्ति--

यह ज्यादा ब्योरे का सवाल है, यहां सरेदस्त कोई चीज नहीं बतायी जा सकती। कई मर्तबा बताया जा चुका है, बजट के मौके पर जिक्र किया गया था और आंकड़े भी पेश किये गये थे।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री--

यह जो उत्तर में बतलाया गया है वह खास स्थान कौन से हैं और बड़े शहरों में ही यह व्यवस्था क्यों की जा रही है ?

डॉक्टर रामनारायण पांडेय--

बात यह है कि जहां तक गांवों के कटाव रोकने का सबंध है उस पर व्यय इतना अधिक होता है कि वह संभव नहीं हो पाता और उससे कम व्यय पर दूसरी जगहों में उन्हें बसाया जा सकता है। महत्वपूर्ण स्थानों का ध्यान रखा जाता है जिनको सुरक्षित रखना है, जैसे धार्मिक महत्व के स्थान हैं या औद्योगिक महत्व के हैं, वह लिये गये हैं।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री--

भूमि की उर्वरा शक्ति को कायम रखने के लिये क्या हो रहा है ? यह जो नालों के द्वारा कटाव होता रहता है, हमारे यहां भी हो रहा है इसको कैसे रोका जाय जो भूमि क्षरण हो रही है ?

श्री राममूर्ति--

इस प्रश्न के दो-तीन पहलू हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने फरमाया कि कटाव हो रहा है तो वह अनन्तकाल से हो रहा है। एक तरफ कटाव होता है तो दूसरी तरफ जमीन खुल जाती है ,एक तरफ दरिया बढ़ जाता है तो दूसरी तरफ से हट जाता है। दूसरी बात यह है कि जहां कहीं इरोजन होता है, उसको रोकने के लिये कृषि विभाग की तरफ से एक वृहत योजना भी बनायी गयी है जो बजट के मौके पर आप के सामने रखी जायगी। फिर जैसा कि अभी डिप्टी मिनिस्टर साहब ने फरमाया, जो ऐसे स्थान हैं जहां पर कि बसाने में काफी पैसा खर्च हुआ है, जैसे औद्योगिक नगर आदि हैं, वहां पर पहले प्रबन्ध किया जाता है। ठोकरें लगाने में ५०-६० लाख रुपये का खर्चा आता है, और गांव की हैसियत करीब १ लाख की ही होती है इसलिये वहां यह करना मुनासिब नहीं है। और भी तमाम बातें हैं जिन पर विचार करना होता है और वहां इसको मुनासिब नहीं समझा गया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सिंचाई मंत्री जी, इस बात को देखते हुए कि नदी के कटाव से हर साल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत से गांव बह जाते हैं और उससे काफी जन-धन की हानि होती है, वहां के लोग को कहीं और नहीं बसाया जाता, यह बताने की कृपा करेंगे इसके लिये वे क्या इंतजाम कर रहे हैं जिससे कि उनके कटाव को रोका जा सके और उनको बसाने का प्रबन्ध हो सके ?

श्री राममूर्ति--

गांव जब कट जाते हैं तो राजस्व विभाग की तरफ़ से उनको बसाने का प्रबन्ध किया जाता है।

अवैतनिक ओवरसियर

*२--श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन, यू० पी० द्वारा ली गयी सिविल ओवरसियर परीक्षा पास (सन् १९६० तक के) कितने और कौन-कौन उम्मीदवार (apprentice) एक वर्ष अनपेड (अवैतनिक) कार्य कर चुके हैं ?

श्री राममूर्ति--

सिंचाई विभाग में स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन, यू० पी० द्वारा ली गई सिविल ओवरसियर परीक्षा पास (सन् १९६० तक के) २१ उम्मीदवार (apprentice), जिनके नाम संलग्न तालिका १, में दिये हैं, एक वर्ष अनपेड (अवैतनिक) कार्य कर चुके हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२० पर।)

132654

*३—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (अनुपस्थित)—

क्या उनके नियुक्ति पत्रों (apprentice appointment letters) में रिक्त स्थानों के पैदा हो जाने पर उन्हें नौकरी देने के सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्ण आश्वासन तथा प्राथमिकता देने का उल्लेख नहीं है ? यदि हां, तो क्या उन सबको नई रिक्तियों में रखा जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

उक्त उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्रों (apprentice appointment letters) में यह उल्लिखित है कि प्रशिक्षण पूर्ण करने पर ओवरसियर पद के लिये विभाग में उनका कोई दावा न होगा लेकिन विभाग द्वारा समय-समय पर ओवरसियर पद पर होने वाले रिक्त स्थानों पर उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा। तद्नुसार उक्त उम्मीदवारों में से १४ की नियुक्ति के आदेश दिये जा चुके हैं और शेष ७ की नियुक्ति के सम्बन्ध में यथा समय विचार किया जायगा। इनको अब तक नियुक्त न किये जाने का कारण यह है कि इन लोगों ने परीक्षा में औरों के मुकाबले में कम अंक प्राप्त किये हैं।

*४—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (अनुपस्थित)—

कितने नये रिक्त स्थान अब पैदा हो रहे हैं ? क्या उन्हें भरने में सन् १९६१ के पास शुदा किस-किस उम्मीदवार को केवल ३ मास की अवैतनिक उम्मीदवारी करने पर ही प्रमुखता दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जनवरी सन् १९६२ से अब तक कुल २३३ स्थान रिक्त हुए। रिक्त स्थानों को भरने में सन् १९६१ के पास शुदा १७३ अभ्यर्थियों को, जिनके नाम संलग्न तालिका २† में दिये हैं नियुक्त किया गया। इन्होंने केवल ३ मास अवैतनिक प्रशिक्षण पूर्ण किया था। इन्हें प्रमुखता दिये जाने का कारण यह है कि इन्होंने परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किये थे। विभागीय पद्धति के अनुसार अच्छे अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को ही ओवरसियर के पद पर नियुक्त करने हेतु प्राथमिकता दी जाती है।

सिंचाई मण्डल, वाराणसी के अन्तर्गत मिस्त्रियों का चुनाव

*५—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, वाराणसी जिले के नलकूप विभाग के कर्मचारियों का मेकैनिक एवं मिस्त्री के लिये कोई विभागीय चुनाव १९६० में हुआ था तथा क्या उक्त चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त चुनाव में प्रत्येक जिले से कितने विभागीय कर्मचारी सम्मिलित हुए थे तथा उनमें से कितने कर्मचारियों की नियुक्ति उक्त पदों पर की गयी ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। सिंचाई मण्डल, वाराणसी के अन्तर्गत सन् १९६० में केवल मिस्त्रियों के लिये, एक विभागीय चुनाव, एक बोर्ड द्वारा किया गया था। चुनाव के परिणाम को एक विभागीय मामले की निर्विघ्न जांच हेतु उस समय घोषित नहीं किया गया और रोक लिया गया। अब आवश्यक जांच के उपरान्त चुनाव फल को घोषित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। चुनाव में प्रत्येक जिले से सम्मिलित हुए विभागीय कर्मचारियों का ब्योरा निम्नलिखित है :

	व्यक्ति
१—वाराणसी	५६
२—गाजीपुर	१८
३—जौनपुर	१४
४—बलिया	७
योग ..	९५

† छापी नहीं गई।

कर्मचारियों की नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि चुनाव में सम्मिलित सभी कर्मचारी विभाग में पहिले से ही काम कर रहे हैं।

कानपुर रोडवेज क्षेत्र में ठेकेदार का कथित बकाया

*६—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रीजन में रोडवेज का काम करने वाले किन-किन ठेकेदारों का कितना-कितना रुपया कब से बकाया पड़ा हुआ है?

परिवहन मन्त्री के सभा-सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—

किसी भी ठेकेदार का कोई बकाया नहीं है।

*७—श्री सहदेवसिंह—

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस बकाया धन की अदायगी अब तक क्यों नहीं की गयी है? क्या सरकार इतने विलम्ब को देखते हुए शीघ्र इस बकाया धन की अदायगी करने का विचार करेगी?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सहदेवसिंह—

मेरी सूचना को आधार मानकर क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इटावा के एक ठेकेदार, श्री रामकृष्ण का, जिसने रोडवेज स्टेशन में नाली वगैरह बनायी थीं उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सही है कि श्री आर० के० चौधरी का १२७२.७९ नया पैसा भुगतान का बकाया था, किन्तु इतना ही धन उनसे लेना भी है। इसलिये कोई रकम उनकी बकाया नहीं है।

गोरी नदी के किनारे बांध निर्माण के लिये प्रार्थना

*८—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या देवरिया जिला के रुद्रपुर क्षेत्र में गोरी नदी के किनारे, रत्नपुर से भगवांन माझा उर्फ बेलवा तक बांध निर्माण कराने तथा निर्माण हेतु अनुदान सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र प्रश्न कर्ता द्वारा २० सितम्बर, १९६२ को भेजा हुआ सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—बाढ़ के समय यह सम्पूर्ण क्षेत्र ५ फीट तक जलमग्न हो जाता है और वहां पर ऊंचा स्थान भी नहीं है। इस कारण इस क्षेत्र में बांध निर्माण करना सम्भव नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस इलाके को बचाने के लिये कोई दूसरी योजना है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां, वहां पर एक दूसरा बांध बनान की योजना है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

उस योजना का क्या नाम है और उससे किन-किन गांव को बचाया जा सकेगा?

श्री राममूर्ति---

इस नशेब के क्षेत्र के नजदीक कोई ऊंची जगह बांध को मिलाने के लिये नहीं है। गोरखपुर के मैलोनी बांध को रुद्रपुर तक ले जाकर देवरिया में मिलाने के लिये सर्वे हो रहा है। टैक्नीकल सब कमेटी और फ्लड बोर्ड से मंजूर होने पर उसे बनाने की बात पैदा होगी।

श्री कल्पनाथसिंह---

इससे राप्ती के बायें किनारे पर पानी रुकने से दायें किनारे पर अधिक होगा, तो दायें किनारे के लोगों को बचाने के लिये क्या उपाय है?

श्री राममूर्ति---

पहले बायें किनारे का इन्तजाम हो, तब दायें किनारे को भी देखा जायेगा।

श्री कल्पनाथसिंह---

कोई उपाय अभी है या नहीं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

अभी तो नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

नयी योजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा और कितनी भूमि की रक्षा की जा सकेगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

अभी यह सर्वेक्षण की स्थिति में ही है।

मुरादाबाद साउथ डिवीजन में नलकूपों के लिये मशीनों की सप्लाई

*९---श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद) तथा श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि मुरादाबाद साउथ डिवीजन के नलकूपों के लिये मशीनें व मरम्मत के लिये कल पुरजे किस कम्पनी से खरीदे जाते हैं और दिसम्बर, १९६१ से ३१ अगस्त, १९६२ तक उस कम्पनी से कितने रुपये का सामान खरीदा गया?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

मशीन व मरम्मत के लिये कल पूर्जे किसी एक विशेष फर्म से नहीं खरीदे गये हैं। दिसम्बर, १९ से ३१ अगस्त, १९६२ तक ३३ फर्मों से २,५७,४११ रुपये का सामान खरीदा गया था।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

जिन ३३ फर्मों से सामान खरीदा गया उनमें से मुरादाबाद खास की कितनी हैं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

कृष्णा इंडस्ट्रीज वर्क्स, माडर्न इंजीनियरिंग वर्क्स, शाहिद हुसैन ऐंड सन्स, सहगल इलेक्ट्रिक वर्क्स, नेशनल इंडस्ट्रीज, सेक्शन ट्रेडर्स, कामर्शल इंजीनियरिंग वर्क्स, हिन्दुस्तान इंडस्ट्रीज, कैसर इंजीनियरिंग वर्क्स, यूनाइटेड इलेक्ट्रिक ऐंड जनरल स्टोर्स, मुहम्मद नसीम ऐंड सन्स हैं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

मेरी निजी जानकारी है कि इनमें से दो-तिहाई फर्म बोगस हैं। क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

केवल २ फर्म ऐसी हैं जिन्होंने १० या १२ हजार से अधिक का सामान सप्लाई किया है। बाकी छोटी-छोटी हैं और मैं नहीं समझ सकता कि ये बोगस हो सकती हैं।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)---

इतनी भारी रकम के पुर्जे ८ महीने में खरीद लिये गये। लेकिन हकीकतन कुवों की मरम्मत नहीं हुई, कुवों का डिसचार्ज भी १२,००० गैलन से कम है। जिससे आबपाशी ६ और

७ रुपये बीघा पड़ती है । इस प्रकार हर साल रुपया मुरादाबाद साउथ डिवीजन में ले लिया जाता है । क्या सरकार इसकी जांच कराने की मेहरबानी करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने जवाब दे दिया है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

इस बात को देखते हुये कि वहां के इंजीनियर ने फर्जी कम्पनी खड़ी करके लाखों रुपये का गोलमाल किया है, मंत्री जी जांच करावेंगे कि ये कम्पनीज सही हैं या गलत ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

कुल २ लाख कुछ हजार का माल खरीदा गया । लाखों रुपयों का गोलमाल कहां से हो गया । मैं यह बता सकता हूं कि कितने टेंडर एक-एक आइटम के मांगे गये और उसके बाद लोएस्ट कोटेशन का माल खरीदा गया ।

श्री शराफत हुसैन रिज़वी---

जो पुर्जे खरीदे गये, वे नये थे या पुराने ?

श्री राममूर्ति---

माननीय सदस्य किसी माहौल के जेरेअसर यह सवाल कर रहे हैं । इन फर्मों में कम्पीटीशन और ईर्षा भी होती है । अगर स्थानीय वाकफियत की बिना पर माननीय सदस्य किसी बोगस फर्म का नाम बतावेंगे तो उन्हें अलग कर दिया जायगा । मिनजुमला जान्सन कम्पनी से ८५ हजार का माल लिया, मेरठ की फर्म से २७ हजार का लिया, बम्बई की है और फिर मेरठ की, इसी तरह से हैं । अगर माननीय सदस्य लिखकर दे दें तो आगे बोगस फर्मों को बचाने की कोशिश की जायगी ।

श्री रामायणराय---

जो सूची हमारे समक्ष रखी गयी है, जिसमें कि फर्मों के नाम दिये गये हैं, क्या उन फर्मों के बारे में माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि उनमें से कितनी फर्में स्टोर परचेज़ डिपार्टमेन्ट द्वारा प्रमाणित हैं और कितनी एप्रुव्ड लिस्ट पर नहीं हैं ?

श्री राममूर्ति---

कायदा यह है कि जितना भी सामान खरीदा जाता है वह डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज़ के जरिये से खरीदा जाता है । दूसरे हमारे पास जो इत्तिला है उसके अनुसार सब फर्म्स रजिस्टर्ड हैं ।

हसनपुर ग्रुप में नलकूप की रिबोरिंग

*१०---श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि हसनपुर ग्रुप, जिला मुरादाबाद के नलकूप नं० ५९ का रिबोरिंग पिछली बार किस सन् में हुई और उस पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

नलकूप सं० ५९ हसनपुर ग्रुप का रिबोरिंग सन् १९५६ ई० में किया गया था और उस पर कुल १३,६३२ रुपये व्यय हुए ।

*११---श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि रिबोरिंग पुराने कुयें से कितने फासले पर किया गया और इस समय इस नये कुयें का डिसचार्ज प्रति घंटे कितना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इस कूप का रिबोरिंग पुराने नलकूप से लगभग ३० फीट की दूरी पर किया गया है और इसका इस समय डिस्चार्ज २४,९६४ गैलन प्रति घंटा १७ फीट डिप्रेशन पर है ।

*१२—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतायेंगे कि नलकूप नं० ५९ के रिबोरिंग के लिये कितने फुट गहरा नल गलाया गया और यह नल व मशीन आदि इस कुयें के लिये किस कम्पनी से खरीदी गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

लगभग ३३५ फीट ३-१/२ इंच नल इस कूप को बोरिंग में लगा है, जो कि सरकारी स्टाक से दिया गया था। यह नल मैसर्स स्टीवार्ट लाइड्स कम्पनी, कलकत्ता से खरीदा गया था और इस नये नलकूप में पुराने कूप की मशीनरी लगाई गई।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि रिबोरिंग पर १३ हजार रुपया व्यय किया गया लेकिन फिर भी २४ हजार गैलन प्रतिघंटा ही डिस्चार्ज होने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

इसका कारण तो यही है कि उसका डिस्चार्ज २४ हजार गैलन है। ये तो जमीन के अन्दर की बात है। पहली जगह जो बोरिंग हुआ वह खराब हो गया, इसलिये उसका रिबोरिंग कराया गया और इस प्रकार से पंप हाउस बनाने में जो ज्यादा खर्च होता उसको बचा लिया गया।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

माननीय मंत्री जी ने बताया था कि जिस कुयें का डिस्चार्ज १५ और २० हजार के बीच में होता है, हम उसकी रिबोरिंग कराते हैं। अब इस जगह आपने रिबोरिंग कराई और सिर्फ २४ हजार गैलन उसका डिस्चार्ज आया यानी सिर्फ ४ हजार गैलन ही ज्यादा आया और उस पर १३ हजार रुपया खर्च कर दिया गया, ऐसा क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सवालों का मौका है, आप तो बहस कर रहे हैं। प्रश्नों के समय बहस नहीं कर सकते।

*१३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—[२० फरवरी, १९६३ के लिये प्रश्न १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोरखपुर जिले में बाढ़ सुरक्षा कार्य

*१४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में २६ मई, १९६२ के जिला बाढ़ समिति के प्रस्तावों के अनुसार कितने गांव ऊंचे करने की योजना तहसीलवार है, उनमें कितनों पर काम शुरू हो गया तथा कितने बाकी हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उस समिति ने १४८ गांवों को ऊंचा करने की सिफारिश की थी जिनका तहसीलवार ब्योरा इस प्रकार है—

सदर	७३
महाराजगंज	११
फरेंदा	३३
बांसगांव	३१
	१४८

इन गांवों में से केवल ५८ गांव लिये गये और इनमें से ५१ गांवों पर काम आरम्भ हो चुका है।

*१५---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील में दौलतपुर सौरहा बांध तथा रेगुलेटर पर काम कब तक शुरू हो जायेगा और यह योजना कितने दिनों से सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह योजना जून, १९६० से विचाराधीन है । टेक्निकल सब-कमेटी की स्वीकृति मिलने पर तथा आवश्यक धनराशि प्राप्त होने पर यह योजना कार्यान्वित की जा सकेगी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि १४८ गांव ऊंचे करने के लिये सिफारिश की गयी थी, जिनमें से केवल ५८ गांव लिये गये थे लेकिन सिर्फ ५१ गांवों में ही कार्य प्रारम्भ हो पाया । मैं जानना चाहता हूं कि किस-किस तहसील में कौन-कौन गांव अभी तक ऊंचे किये गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

५८ गांवों में से ३६ सदर तहसील में, २ महाराजगंज में, ११ फरेंदा में और ९ बांस गांव में थे जिन पर काम लिया गया था लेकिन उनमें से ७ गांवों---रामपुर, गोपालपुर, जिन्दापुर, कोठा, डुमन गढ़, मांझ गांव तथा चेरियर में, काम शुरू नहीं हुआ ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि वहां कि जिला समितियों ने भी इस बात की शिकायत की थी कि जिन गांवों की पटाई की गयी बतायी जाती है उन गांवों को कम्प्लीट पटाई नहीं हुई है । बाद में इसकी जांच के लिये इंजीनियर महोदय भी गये थे और वे भी इस नतीजे पर पहुंचे और उन्होंने भी ऐसी रिपोर्ट दी कि कम्प्लीट पटाई नहीं हुई, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि उन गांवों को क्यों नहीं पूरी तरह से पाटा गया ?

श्री राममूर्ति---

माननीय सदस्य ने कहा कि वे खुद एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ गये थे और उनकी राय यह है कि मुकम्मल तरीके से गांव पाटे नहीं गये हैं । तो बाकी गांवों के पाटने का इन्तजाम वे स्वयं कर रहे होंगे क्योंकि यह उनकी रिस्पांसिबिलिटी है ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

क्या सिंचाई मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जो १४८ गांवों की लिस्ट बनी, उनमें से ५८ गांवों को ही क्यों काम में लिया गया और इन ५८ गांवों में से ५१ गांवों में ही क्यों काम शुरू हुआ और जो काम शुरू हुआ, उस पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

५१ गांवों में काम शुरू होने का यह कारण है कि ५८ गांवों में काम शुरू होना था लेकिन रेट कम होने की वजह से ७ गांव के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया । मिट्टी का भाव ७ रुपये हजार है जिस भाव पर काम करने के लिये कम लोग तैयार होते हैं, इसलिये वह नहीं हो पाया ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

जहां पर टेस्ट वर्क से रेट ज्यादा है और अभी तक गांवों की पटाई कम्पलीट नहीं हो सकी है, वहां सरकार मैन पावर स्कीम के अन्तर्गत काम कराने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति---

जो गांव बाकी हैं, उनको मैंने पावर स्कीम में लिया जायगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

माननीय मंत्री जी का मतलब बाकी गांव से क्या है, वे १४८ हैं या ७ हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

९० हैं ।

गोविन्दसागर बांध

*१६—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि गोविन्दसागर बांध जो ललितपुर, जिला झांसी में है कब बना व उस पर कितना रुपया व्यय हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

गोविन्दसागर बांध सन् १९५२–५३ में बन कर तैयार हुआ । इस बांध पर सन् १९६१–६२ तक ४१,८४,२१८ रुपया व्यय हुआ है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि सन् १९६२ में गोविन्दसागर बांध में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गयीं जिससे जनता बहुत भयभीत थी ?

श्री राममूर्ति—

कोई दरार नहीं पड़ी थी, यह गलत खबर है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानते हुए कि ललितपुर नगरपालिका के चेयरमैन द्वारा एलान किया गया था कि बांध में बहुत-सी दरारें पड़ गयी हैं जिससे बहुत से लोग भाग गये और उसके बाद सरकार ने रातों रात उसकी मरम्मत करायी और कई हजार रुपया सन् १९६२ में सरकार का सर्फ हुआ, इसकी दोबारा जांच करायेंगे ?

श्री राममूर्ति—

दरार पड़ने का कोई सवाल नहीं है । ऐसा हुआ था कि पिछली बरसात में एक दफा बहुत जोर की आंधी आयी और उस सिलसिले में वेव ऐक्शन की वजह से पीचिंग में कुछ खराबी आ गयी थी जिसको दुरुस्त करा दिया गया ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस गोविन्दसागर बांध से कितनी भूमि को लाभ होता है ?

श्री राममूर्ति—

यह बिलकुल नया सवाल है । सिंचाई के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी इस आदरणीय सदन को जो अभी उन्होंने बतलाया कि पीचिंग टूट गयी थी, कोई दरार नहीं पड़ी थी, इसकी व्याख्या व भाष्य बतलाने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

फर्रुखाबाद रोडवेज स्टेशन पर डेली वेजेज वाले कर्मचारी

*१७—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद रोडवेज स्टेशन पर कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले सात-आठ साल से लगातार daily wages पर कार्य करते चले आ रहे हैं और वह regular cadre में नहीं लिये गये हैं तथा उसके कारण क्या हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

ऐसे कोई कर्मचारी नहीं हैं ।

*१८—श्री दयाराम शाक्य—

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बतायेंगे कि डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आदेश संख्या ३०६८-rest-१०१-आर/ई० एस० टी०-६१, दिनांक ४ जुलाई, १९६१ के अन्तर्गत किस-किस को किन-किन पदों के लिए पदोन्नत किया गया तथा उसके आधार पर क्या थे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

उक्त आदेश द्वारा केवल श्री एस० एस० चौहान, असिस्टेंट ट्रैफिक इन्सपेक्टर को जूनियर स्टेशन इन्चार्ज के पद पर विशेष योग्यता के आधार पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किया गया।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या मंत्री महोदय मेरी सूचना को सही मानकर कि अब भी कन्डक्टर्स और दूसरे पदों पर ५-६ ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले कई साल से डेली वेजेज पर काम कर रहे हैं और वह अभी भी रेगुलर केडर पर नहीं हैं उनको रेगुलर केडर में लाने के आदेश जारी करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

"मेरी एक अपील है कि "मेरी सूचना को सही मानकर" ऐसा कहकर तो आप और सूचना देते हैं, न कि सूचना मांगते हैं। आप सूचना मांगे।

श्री दयाराम शाक्य—

जब फिगर्स सही नहीं आती हैं और हमारी जानकारी. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवाल कीजिये और उस अपनी सूचना में से ही सवाल कर के पूछिये, आपकी सूचना को तो गवर्नमेंट नहीं मान सकती।

श्री दयाराम शाक्य—

जहां तक मेरी जानकारी है अब भी ५-६ कर्मचारी डेली वेजेज पर काम कर रहे हैं और उन को रेगुलर केडर नहीं दिया गया है। क्या पुनः मंत्री जी इसकी जानकारी करायेंगे और सदन को उस से अवगत करेंगे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

जहां तक विभाग का जानकारी है केवल एक कर्मचारी जुलाई, १९५७ का पुराना है, अब यह आदेश है कि जैसे जैसे जगहें होती जायं उनको सीनियारिटी से रेगुलर केडर में में लिया जाय।

इटावा तथा फर्रुखाबाद रोडवेज के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*१९—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ए० टी० आई०, मिस्टर सरोही व ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट, डब्लू० एन० शर्मा का हेडक्वार्टर इटावा है फिर वे फर्रुखाबाद क्यों रहा करते हैं ? ए० जी० एम०, इटावा ने अब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है या नहीं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

ए० टी० आई०, श्री सिरोही सरकारी काम के संबंध में फर्रुखाबाद तथा अन्य स्टेशनों पर नाइट आउट करते हैं। ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट, श्री शर्मा का हेडक्वार्टर्स फर्रुखाबाद ही है। अतः उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*२०—श्री बृजेश्वरसहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कण्डक्टर विश्रामसिंह व आसाराम व जे० पी० शर्मा व रामचन्द्र राजपूत, कण्डक्टर, फर्रुखाबाद के खिलाफ तीन वर्षों में कितनी शिकायतें आयी हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ? इन लोगों को ड्यूटी लास्ट बस की दी जाती है ? और यह अपनी ड्यूटी में ए० जी० एम०, इटावा को समान लाकर देते हैं और ए० जी० एम०, इटावा इन पर खास मेहरबान हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

इन कर्मचारियों के खिलाफ आई शिकायतों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है। यह सही नहीं है कि इन कर्मचारियों की ड्यूटी सदैव लास्ट बस की दी जाती है अथवा यह लोग अपनी ड्यूटी में ए० जी० एम०, इटावा को सामान लाकर देते हैं। यह भी ठीक नहीं है कि ए० जी० एम० इटावा इन पर खास मेहरबान हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १२१ पर)

*२१---श्री बृजेश्वरसहाय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६२ में फोरमेन इटावा रोडवेज से ए० जी० एम० इटावा से इस बात पर झगड़ा हुआ था कि जी० एम० उस फोरमैन के द्वारा ६ कुर्सी पाइप की बनवा ली थीं और इसी तरह की कुसियां और बनवाना चाहते थे जो उसने मना कर दी क्या सरकार वर्कशाप को तत्काल चेकिंग कराने की कृपा करेगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

यह गलत है कि फोरमैन इटावा रोडवेज से और ए० जी० एम० इटावा से इस प्रकार का कोई झगड़ा हुआ था। स्टाक चेकिंग के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि ऐसी कोई कुर्सियां नहीं बनी थीं।

श्री बृजेश्वरसहाय---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ए० टी० आई० श्री सरोही ने साल में फर्रुखाबाद और अन्य स्टेशनों के कितने दौरे किये और वे हेडक्वार्टर में उन्होंने कितने नाइट हाल्ट्स किये ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

इसकी सूचना इस समय नहीं है।

श्री बृजेश्वरसहाय---

यह जो विश्वनाथसिंह की ५ शिकायतें, आशाराम की २ शिकायतें और रामचन्द्र की ३ शिकायतें आई हैं तो यह शिकायतें कितने-कितने दिन के वक्फे से आई हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

शिकायतें तो आई हैं लेकिन उनके ड्यूरेशन की सूचना नहीं है।

श्री बृजेश्वरसहाय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन लोगों ने बार-बार जुल्म किया तो उनको कितनी बार सस्पेंड किया गया ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

श्रीमन्, आप की आज्ञा हो तो जो-जो शिकायतें मिली हैं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है, वह मैं आपके सामने पढ़ दूं .....

श्री उपाध्यक्ष---

वह अगर लम्बी हों तो आप संक्षेप में ही कह दें।

श्री गनेशीलाल चौधरी---

वह लम्बी हैं, संक्षेप में श्री जे० पी० शर्मा की ४ शिकायतें आईं।

श्री बृजेश्वरसहाय---

यह बता दें क्या-क्या कार्यवाही हुई उनके खिलाफ ?

श्री गनेशीलाल—

जे० पी० शर्मा के खिलाफ कार्यवाही जारी है, पर्सनल हीयरिंग की तारीख मुकर्रर की गई है, श्री विश्रामसिंह का ६ मास का भत्ता काटा गया और चेतावनी दी गई और शिकायत नम्बर ३-में एक मास का गुड कन्डक्ट भत्ता काटा गया है, शिकायत नम्बर ३ पर श्री विश्रामसिंह को चेतावनी दी गई। शिकायत नम्बर ४ पर उनका ४ मास का गुड कंडक्ट का भत्ता काटा गया तथा कैरेक्टर रोल में प्रतिकूल ऐन्ट्री की गई। शिकायत नम्बर ५ पर १ मास का गुड कंक्टड भत्ता काटा गया। श्री आशाराम की दो शिकायतें हैं। पहली शिकायत पर १ मास का गुड कंडक्ट का भत्ता काटा गया और दूसरी पर चेतावदी दी गई। श्री रामचन्द्र राजपूत को अप्रैल १९६२ में ससपेंड किया गया था तथा नवम्बर मास में एक चौथाई वेतन तथा दो साल की वार्षिक वेतन वद्धि रोक कर रीइंस्टेट किया गया।

रोडवेज कार्यालय, इलाहाबाद में श्री दीपचन्द के विरुद्ध शिकायतें

*२२—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद रोडवेज के जनरल मैनेजर के कार्यालय में श्री दीपचन्द वैश्य क्लर्क के विरुद्ध कितनी शिकायतें चल रही हैं? उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

इस समय कोई शिकायत नहीं चल रही है। चार शिकायतें आई थीं जो जांच के बाद सिद्ध नहीं हुईं।

श्री बंशीलाल—

मंत्री जी बतायेंगे जो चार शिकायतें आयी हैं वे क्या-क्या थीं?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

एक शिकायत श्री दीपचन्द के खिलाफ थी जो गुमनाम थी और ११-५-१९६१ को आई थी, कर्मचारियों को स्थान परिवर्तन आदि द्वारा तंग करना तथा भ्रष्टाचार। इसकी जांच की गई। पता चला शिकायत आपसी शत्रुता के कारण हुई और कोई तथ्य नहीं पाया गया। दूसरी शिकायत भी गुमनाम थी, कोई तारीख भी नहीं थी। शिकायत यह थी कि कर्मचारियों के प्रति शरारतपूर्ण व्यवहार। जांच के पश्चात् किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। तीसरी शिकायत श्री आर० के० गुप्त, कंडक्टर ने की थी, दिनांक १६-५-१९६१ की, कर्मचारियों से अभद्रता का व्यवहार, गाली गलौज, तनख्वाह रोकना व धमकी। श्री आर० के० गुप्त, कंडक्टर ने लिखित बयान दिया कि उन्हें अब कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने सर्वश्री दीपचन्द व बनर्जी के विरुद्ध केवल सुनी बातों के आधार पर शिकायत लिखी। इस बयान के देखते हुये किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हुई। चौथी शिकायत श्री रामअधार दुबे, ग्राम मिलकी, पो० रमनपुर, जिला वाराणसी, श्री हरीशंकर उपाध्याय, श्री विन्धवासिनी प्रसाद श्रीवास्तव, श्री श्यामबहादुर श्रीवास्तव ने की थी जो २३-४-१९६२ की थी। कंडक्टर के साथ अभद्रता पूर्ण व्यवहार, जूतों से मारने की धमकी देना आदि। श्री बिन्धवासिनीप्रसाद श्रीवास्तव, वकील इलाहाबाद ने अपने लिखित बयान में बताया कि श्री दीपचन्द वैश्य जो उनके सामने उपस्थित हैं उस शिकायत घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे कोई अन्य व्यक्ति था। इस बयान को देखते हुये श्री दीपचन्द के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई।

श्री कल्पनाथसिंह—

मंत्री जी बतायेंगे कि श्री दीपचन्द को जनरल मैनेजर के दफ्तर में कौन सा काम सौंपा गया है और इसका क्या कारण है कि इस तरह की शिकायतें जो आयी हैं उनमें यह भी था कि इनको यहां की ड्यूटी से हटा दिया जाय?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

वह जनरल मैनेजर के दफ्तर में एकाउन्ट्स का काम करते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

अभी मंत्री जी ने कहा जूते से मारने आदि की शिकायत थी। तो यह आदि शब्द का प्रयोग किस के लिये किया गया है ? क्या उसके आगे पीछे और भी कुछ शिकायत थी या महज एक ही शिकायत थी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

जो चार शिकायतें थीं उनका विवरण तो मैंने दे दिया।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

माननीय मंत्री जी ने जो शिकायतें पढ़ी हैं उनमें दो, तीन शिकायतें ऐसी हैं जिनमें वर्कर अपना नाम लिखते हुये हिचकता है। तो क्या यह बात सत्य है कि नाम लिखते हुये वह इसलिये डरता है कि वह काम पर से निकाल दिया जायगा ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

कानपुर रोडवेज क्षेत्र में नये कण्डक्टरों की सिक्योरिटी

*२३--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि सरकारी रोडवेज बसों में कन्डक्टरों को तब तक काम नहीं दिया जा सकता जब तक उनकी सिक्योरिटी जमा न हो जाये ? यदि हां, तो कानपुर रीजन में अब्दुल मतीन और अब्दुल लतीफ को कैसे कन्डक्टर का काम मिला जब उनकी सिक्योरिटी जमा नहीं थी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

यह सही है कि कन्डक्टरों को तब तक काम नहीं दिया जाता जब तक उनकी सिक्योरिटी जमा न हो जाय। श्री अब्दुल मतीन ने सिक्योरिटी जमा किय जाने की रसीद पेश की थी और श्री अब्दुल लतीफ (जिनका सही नाम श्री मोहम्मद लतीफ सिद्दीकी है) ने नकद सिक्योरिटी जमा की थी।

श्री देवदत्त मिश्र--

क्या मंत्री महोदय इन कन्डक्टरों की नियुक्ति और सिक्योरिटी जमा करने की तारीख बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

श्री अब्दुल मतीन ने ४-४-१९६२ को अपनी रसीद दिखायी और ११-४-१९६२ को वह तकर्रुर किये गये। श्री अब्दुल लतीफ ने २७-३-१९६२ को अपनी सिक्योरिटी जमा की और और २८-३-१९६२ को वह नेशनल सेविंस सर्टिफिकेट में दाखिल कर दी गयी।

इलाहाबाद क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों के भत्ता भुगतान में विलम्ब

*२४--श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद रीजन के रोडवेज विभाग में असिस्टेंट ट्रैफिक इन्सपेक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों को छः मास से टी० ए०, डी० ए०, ओवरटाइम के बिल का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो भुगतान न होने का क्या कारण है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

कुछ टी० ए० बिल अक्तूबर १९६२ मास से और कुछ ओवरटाइम बिल दिसम्बर मास १९६२ से शेष हैं। कर्मचारियों के बिल देने में देरी करने या गलत बिल देने से भुगतान में देरी होती है।

श्री उदल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९६२ के जो बिल हैं उनका भुगतान अब कर दिया गया है या नहीं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

केवल नवम्बर और दिसम्बर, १९६२ के कुछ बिल पड़े हुये हैं, बाकी का भुगतान कर दिया गया है ।

फर्रुखाबाद रोडवेज डिपो के कर्मचारियों का भत्ता

*२५—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद रोडवेज डिपो में अप्रैल, १९६२ से सितम्बर, १९६२ तक का ओवरटाइम एलाउन्स अभी तक क्यों नहीं वितरित किया गया ? इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों पर, जो इस देर के जिम्मेदार हैं क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

अप्रैल व मई सन् १९६२ तक का एलाउन्स दे दिया गया है । जून, सन् १९६२ से सितम्बर, सन, १९६२ तक के भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है । देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आवश्यक पूंछ-तांछ की जा रही है ।

*२६—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद रोडवेज डिपो में गुड कन्डक्ट माइलेज तथा नाइट एलाउन्स जुलाई, १९६२ से सितम्बर, १९६२ तक का इस समय तक वितरित क्यों नहीं हुआ ? क्या सम्बन्धित अधिकारी एवं लिपिक पर जो इस देर के जिम्मेदार ह कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

इसका भुगतान किया जा चुका है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस देरी का कारण क्या है तथा जो भुगतान प्रारम्भ हुआ, वह कब से प्रारम्भ हुआ ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

कभी कभी तो कर्मचारी स्वयं ही देर से अपने बिल बना कर देते हैं और कभी कभी उनमें आब्जेक्शन हो जाता है तो दोबारा बनाना पड़ता है इसलिये देरी तो हो ही जाती है ।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज के कर्मचारी जिस समय ड्यूटी पर स्टेशन पर आ जाते हैं उस समय से उनके ड्यूटी आवर्स माने जाते हैं अथवा जिस समय गाड़ी उनके चार्ज में दी जाती हैं उस समय से उनकी ड्यूटी काउन्ट की जाती है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

ड्यूटी तो स्प्रेड आवर्स में होती है । १२ घंटे के स्प्रेड आवर में ८ घंटे की ड्यूटी ली जाती है ।

सिंचाई वर्कशाप, मुरादाबाद

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

*२७—क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मुरादाबाद में सिंचाई विभाग के वर्कशाप में कुल कितने आदमी काम करते हैं और क्या यह सच है कि वर्कशाप सुपरवाइजर को वहां काम करते हुए ४ साल से अधिक हो गये हैं ? यदि हां, तो उनको ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मुरादाबाद में सिचाई विभाग की दो वर्कशाप और एक रिवाइन्डिग शाप हैं।

मुरादाबाद वर्कशाप में ६ व्यक्ति, चन्दौसी वर्कशाप में ९ व्यक्ति तथा रिवाइन्डिग शाप में ३ व्यक्ति काम करते हैं। इनमें से किसी भी सुपरवाइजर को काम करते हुए ४ साल का समय नहीं हुआ है अतः इनके ट्रांसफर का प्रश्न नहीं उठता।

*२८--श्री शराफत हुसैन रिजवी--

[५ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किया गया।]

*२९-३०--श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर) तथा श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

[१५ फरवरी, १९६३ के लिए प्रश्न ४४-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३१-३२--श्री कृष्णनन्द राय--

[१५ फरवरी, १९६३ के लिए प्रश्न ४३-४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बीलों ग्राम से जल निकासी

*३३--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

*३३--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रधान ग्राम सभा बीलों व अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद, मैनपुरी ने ३० सितम्बर, १९६२ को जिला नियोजन अधिकारी को यह सुझाव दिया था कि इस क्षेत्र का पानी बीलों माइनर में खांघी काट कर निकालने के बजाय बीलों माइनर के पैरलल एक नाली खुदवा कर निकाली जाय जिसको बीलों गांव के लोग श्रमदान द्वारा खोदने को तैयार थे परन्तु जिला नियोजन अधिकारी ने उनकी बात न मानकर नहर कटवा दी जिससे बीलों गांव की २ हजार बीघा जमीन डूब गयी और पूरी फसल बरबाद हो गयी। यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

ऐसी बात नहीं है। हर साल की ही भांति खाघी काट कर पानी निकाला गया था।

फतेहपुर जिले में पानी का जमाव

*३४--श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में नवनिर्मित रामगंगा नहर हथगांव डिस्ट्रीब्युटरी के निर्माण से जिला के अनेक स्थानों में पानी जमा (water logging) की समस्या उत्पन्न हो गयी है तथा वर्षाकाल में उन गांवों का जन जीवन संकटमय हो गया है ? उपरोक्त संकट के निवारणार्थ सरकार की ओर से क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

प्रश्न में उल्लिखित डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण के कारण केवल तीन स्थानों पर पानी जमा हो जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट मिली थी। एकत्र हुए पानी को निकालने के लिये नहर के किनारे काट दिये गये।

श्री रक्षपालसिंह--

क्या मंत्री जी बतायगें कि वे तीन स्थान कौन-कौन से हैं और उन पर परमानेंटली पानी निकालने की व्यवस्था के बारे में वे कोई कार्यवाही करेंगे।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, पहला स्थान है १८ मील ४ फरलांग, दूसरा १९ मील ४ फरलांग और तीसरा स्थान २१ मील २ फर्लांग है। जहां तक परमानेंट व्यवस्था का सवाल है इस पर विचार होगा। इस पर विचार किया जा रहा है कि कहां पर पानी की वास्तविक समस्या पैदा होती है और उचित स्थान पर साइफन बनाकर पानी निकाला जाय।

श्री रक्षपालसिंह--

वहां पर पानी की ऐसी व्यवस्था है जिससे फसल तथा गांव डूब जाते हैं इसलिये क्या मंत्री जी नाली बनाकर पानी निकालने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

श्रीमन्, यह नई डिस्ट्रीब्यूटरी है और प्रारम्भ में कोशिश की जाती है कि २, ४ साल के अन्दर ऐसे हालात जान लिये जांय, जैसा कि बताया गया कि तीन स्थानों पर साइफन बनाने की जरूरत है। इसका सर्वेक्षण हो रहा है और आगे चलकर बनाया जायगा।

रोडवेज बसें

*३५--श्री मनसाराम (जिला मैनपुरी)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज की एक बस को एक दिन में कितना मील चलना आवश्यक है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

रोजवज की मर्सीडीज एवं ले लैन्ड गाड़ियों को प्रतिदिन १२० मील चलना उपयुक्त माना गया है। शेवर्लेट, कामर, सीडान तथा स्टूडीबेकर मेक की पुरानी (obsolete) गाड़ियों के लिये प्रतिदिन ६० मील चलना आवश्यक निर्धारित किया गया है।

*३६--श्री मनसाराम--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन रूटों पर प्राइवेट बसें चल रही हैं वहां और नये परमिट देकर के बसों की संख्या इतनी बढ़ा दी गई है कि खर्चे भी पूरे नहीं हो पाते हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

शासन को ऐसी सूचना नहीं है। किसी भी मार्ग पर बसों की संख्या नियत करने तथा परमिट देने की जिम्मेदारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी की है जोकि एक quasi judicial body है।

श्री मनसाराम--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी सरकार के मातहत नहीं है और क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानेंगे कि शिकोहाबाद-एटा लाइन पर २३ बसें चलती थीं वहां ३० बसें कर दी गयी हैं जिसका नतीजा यह है कि कोई भी बस ३५ मील से ज्यादा नहीं चल पाती ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

जहां तक माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का ताल्लुक है, आर० टी० ए० सरकार के मातहत तो है लेकिन मोटर वेहिकिल ऐक्ट के अन्तर्गत काम करती है।

श्री बृजेश्वरसहाय--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कि सरकारी बसों के लिए ६० और १२० मील रोज चलना जरूरी होता है, तो क्या जनता की तकलीफ को देखते हुये जिन सड़कों पर सरकरी बसें चल रही हैं उन पर भी अधिक बसें चलाने की सुविधा देंगे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

अधिक तो चलती ही हैं। माननीय सदस्य जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनका प्रश्न यह है कि प्राइवेट बसें ज्यादा कर दी गयी हैं, वह तो जब जब जनता की मांग होती है और आवश्यकता प्रतीत होती है कमेटी तब तब बसें बढ़ाती रहती हैं।

श्री मनसाराम---

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि सरकारी बसें ६० मील और १२० मील रोज चलती हैं, तो क्या पैसेंजरों की तकलीफ को देखते हुये रोडवेज में बसों को बढ़ाने के लिये तैयार हैं, जब कि हमारे यहां २३ से ३० बसें कर दी गयी हैं जिसके फलस्वरूप एक बस ३५ मील से ज्यादा नहीं चल पाती, क्या यही सुविधा गवर्नमेंट रोडवेज में देगी ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---

यह रास्तों का सर्वे होता है । उस सर्वे के नतीजे में जहां जितनी बसों की जरूरत होती है उतनी बढ़ाई जाती हैं ।

श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)---

मैं पचास दफा खड़ा हो चुका हूं । एक साल हो गया, ऐसे ही खड़े होते हुये । कोई बात नहीं सुनता है ।

*३७---श्री मनसाराम---

[१९ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

वक्फ जामा मसजिद, इलाहाबाद

*३८---श्री रियासत हुसैन---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या कोई जांच कमेटी वक्फ जामा मस्जिद, इलाहाबाद की जांच करने के लिये बनायी गयी थी ? यदि हां, तो उसके मेम्बरान के नाम क्या हैं ?

न्याय मंत्री के सभा-सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)---

सरकार ने कोई ऐसी जांच कमेटी नहीं बनाई थी ।

*३९---श्री रियासत हुसैन---

उस जांच कमेटी ने किस तारीख को अपनी रिपोर्ट सरकार को दी और उस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---

प्रश्न नहीं उठता ।

*४०-४१---श्री चन्द्रबलीसिंह---

[१९ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

बृजमनगंज ब्लाक में पशु सेवक के विरुद्ध जांच

*४२---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बृजमनगंज, ब्लाक में कोल्हुई में जो पशु सेवक केन्द्र है वहां पर कितने महीनों से पशु सेवक नहीं है ? क्या यह सच है कि वहां पर एक पशु सेवक की नियुक्ति हुई है और वह तनख्वाह भी पशुपालन विभाग, गोरखपुर से प्राप्त करते हैं ?

कृषि उप-मंत्री (श्री शिवराजसिंह)---

यह ज्ञात हुआ है कि गोरखपुर जिले के बृजमनगंज ब्लाक में कोल्हुई पशु सेवा केन्द्र का पशु-सेवक माह जून, १९६२ से अक्सर अनुपस्थित रहता था । उक्त केन्द्र पर दिनांक १ जनवरी, १९६३ से १० जनवरी, १९६३ तक कोई पशु सेवक नहीं रहा । पशु सेवक को पशु पालन विभाग द्वारा वेतन दिया जा रहा है ।

*४३---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या कृषि मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम सभा, कोल्हुई के प्रधान तथा ब्लाक डेवलपमेंट अधिकारी, बृजमनगंज ने इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट २० दिसम्बर, १९६२ को जिला प्लानिंग अफसर को दी है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवराजसिंह—

प्रधान, ग्राम सभा कोल्हुई तथा ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर की कोई रिपोर्ट दिनांक २० दिसम्बर, १९६२ को नहीं प्राप्त हुई। ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर, बृजमनगंज ने दिनांक ७ दिसम्बर, १९६२ को एक पत्र पशु सेवक कोल्हुई को लिखा था तथा उसकी प्रतिलिपि जिला पशुधन अधिकारी को भी भेजी थी। यह ज्ञात हुआ है कि पशु सेवक माह जून, १९६२ से अक्सर अनुपस्थित रहता है और केन्द्र प्रायः बन्द रहा करता है। पशु सेवक के विरुद्ध जांच हो रही है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि बी० डी० ओ०, बृजमनगंज ने जो पत्र जिला पशु अधिकारी को लिखा, वह पत्र क्या है और उसमें किस बात की शिकायत की गयी है ?

श्री शिवराजसिंह—

ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर ने पत्र लिखा था स्टाकमैन के लिये, उसकी एक कापी डी० एल० ओ० को भेजी थी। उसमें यह शिकायत की थी कि वह अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह जो पशु सेवक अनुपस्थित रहते थे वह इसलिये कोल्हुई में नहीं रह पाते थे क्योंकि जिला पशु अधिकारी ने उनको दूसरी जगह पर, दूसरे काम पर भेज रखा था और यह उनकी गलती नहीं थी बल्कि जिला पशु अधिकारी की गलती थी कि जहां पर वह अप्वाइंट हुये थे वहां पर न रख कर, दूसरे काम पर भेज दिया था ?

श्री शिवराजसिंह—

स्टाकमैन की अनुपस्थिति की पूरी जांच की जा रही है। उसमें इसकी भी जांच करवा ली जायगी।

*४४–४६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

[१९ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद–कम्पिल बस सर्विस की मांग, तिरवा बस स्टेशन पर पानी वाले का वेतन

*४७—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फर्रुखाबाद से कम्पिल तक राजकीय बसें चलाने के संबंध में रायपुर ग्राम वासियों (तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद) का कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक २७ मार्च, १९६२ का उनको मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

जी हां, दिनांक १२–३–१९६२ का, परन्तु कुछ कानूनी अड़चनों के कारण सरकारी गाड़ियां नहीं चलाई जा सकीं।

*४८—श्री होरीलाल यादव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या रोडवेज कानपुर डिवीजन में कन्नौज और तिरवा बस स्टेशनों पर १९६०–६१, १९६१–६२ तक तथा १९६२–६३ में अन्नपूर्णा देवी के मेल के समय वाटर मैनों को स्थायी तौर पर नौकर रखा गया था ? यदि हां, तो कितने और क्या उनकी तनख्वाहें अभी तक नहीं दी गयी हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

केवल एक वाटर बवाय तिरवा बस स्टेशन पर अस्थायी तौर पर नौकर रक्खा गया था। इसको १९६०–६१ तथा १९६१–६२ की क्रमशः १३ व १२ दिनों की तनख्वाह अभी तक नहीं दी गई है। १९६२–६३ की १४ दिन की तनख्वाह दी जा चुकी है।

श्री होरीलाल यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कौन-सी अड़चनें हैं जिनकी वजह से फर्रुखाबाद से कम्पिल रोडवेज की बसें नहीं चल सकती हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

श्रीमन्, कानूनी बन्दिशें हैं। पहले नोटिस दी जाती है, नोटिस के बाद आब्जेक्शन इन्वाइट किया जाता है, फिर आब्जेक्शन को डिस्पोज आफ किया जाता है। इसी बीच में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में चला जाता है तो और भी डिले हो जाती है।

श्री होरीलाल यादव--

क्या इस सिलसिले में यह कार्यवाही कोई हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो क्या हाई-कोर्ट में कोई रिट पेटीशन दायर है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

श्रीमन्, इसकी कार्यवाही तो हो ही गयी थी। लेकिन बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ इसी तरह से मामला रुक गया, जिससे देरी हो गई।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हाईकोर्ट में रिट दाखिल होने से भी विलम्ब हो जाता है तो जहां का यह सवाल है फर्रुखाबाद से कम्पिल राजकीय बस चलाने का, उसमें कौन से कारण हैं जिनसे विलम्ब हुआ ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

उसमें इस मामले में जो जे० एल० आर० हैं, वह जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

श्री होरीलाल यादव--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तिरवा बस स्टेशन पर जो वाटर ब्वाय नौकर रखा गया उसको १९६२ और ६३ का वेतन तो दे दिया गया लेकिन १९६०-१९६१ और ६१-६२ का वेतन अभी तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

उसका अटेंडेन्स रजिस्टर और चार्ज रिपोर्ट जो है वह ए० जी० एम० को नहीं मिल पाया था, इसलिये देर हुई।

ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, फैजाबाद

*४९--श्री विजयसिंह--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग से तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जो द्वितीय बैच ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, फैजाबाद में भेजे गये थे वह विकास आयुक्त के पत्र संख्या २८, दिनांक २३ मार्च, १९६२ के अनुसार ही भेजे गये थे ? यदि हां, तो सरकार क्या उस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--

जी हां। विकास आयुक्त के पत्र संख्या २८,/१९५९ स्था० १, दिनांक २३ मार्च, १९६२ की प्रतिलिपि संलग्न† है।

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*५०—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले से फैजाबाद सेन्टर को ग्राम सेवक प्रशिक्षण के लिये अप्रैल, १९६२ के बैच में विभाग से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में से जो सबसे जूनियर हों उनको मांगा गया था ? यदि हां, तो वहां से जूनियर्स को छोड़ कर सीनियर सर्विस वालों को क्यों भेजा गया ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

जी हां। कृषि निदेशक की आज्ञा यह थी कि उप-कृषि निदेशक जूनियर कर्मचारियों के नाम ही भेजें। जो व्यक्ति झांसी जिले से भेजा गया वह भी जूनियर था। भेजने में विकास आयुक्त की इस आज्ञा का ध्यान रक्खा गया कि केवल उन्हीं व्यक्तियों का नाम प्रशिक्षण के लिये भेजा जाय जिनका सुपरवाइजर के पद पर काम अच्छा रहा हो और जो ग्राम सेवक पद के उपयुक्त हों।

*५१—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग को तृतीय श्रेणी के जो कार्यकर्त्ता ग्राम सेवक प्रशिक्षण पूर्ण करके नियोजन विभाग में भेजे जायेंगे उनकी सेवायें जो कृषि विभाग की हैं नियोजन विभाग में शामिल की जायेंगी (यानी Service Continue मान कर Count की जायेगी) ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रशिक्षण में भेजने के पूर्व इस संबंध में कृषि विभाग द्वारा भेजे जाने वालों को अवगत कराया जा चुका था या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं। ग्राम सेवकों तथा प्रदर्शन पर्यवेक्षकों का केडर पृथक है। प्रशिक्षण में वही पर्यवेक्षक भेजे गये थे जो कृषि विभाग में छटनी में आ रहे थे। उनको कृषि विभाग यह प्रमाण पत्र नहीं दे सकता कि यदि वह नियोजन विभाग में न जाते तो अपने पदों पर बने रहते। यदि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो छटनी में न आता तो उनको कृषि विभाग की सेवाओं का लाभ देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा। प्रशिक्षण में भेजने के पूर्व इस संबंध में कृषि विभाग द्वारा भेजे जाने वाले पर्यवेक्षकों को अवगत नहीं कराया गया।

सहारनपुर जिले में राजकीय उद्यान के लिये अध्याप्त भूमि का प्रतिकर

*५२—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर Government Gardens के लिये दरा राजपुरा नुमाइश कैम्प, सहारनपुर में कोई जमीन acquire की गई है जिसका खसरा न० ३७६ है ?

श्री चरणसिंह—

जी हाँ।

*५३—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऊपर कही गयी जमीन का मुआवजा मालिक को दे दिया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं। मुआविजे की रकम (माल विभाग द्वारा) अभी तय नहीं हो पायी है।

*५४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऊपर कही गयी जमीन में जो फसल उस समय खड़ी थी, उसका मालिक ने क्या मुआवजा मांगा है और वह बाग के अधिकारियों ने कितने में बेची या नीलाम की ? वह फसल क्या थी और कितनी थी ?

श्री चरणसिंह—

उपर्युक्त जमीन में निम्नलिखित फसलें खड़ी थीं :—

१—सरसों	१४ विस्वा
२—गेहूं-चना	२ बीघा ६ विस्वा
३—बरसीम चारा	१४ विस्वा
४—जई-चारा	१० विस्वा
५—सलजम-मूली	१ बीघा १० विस्वा ।
कुल योग ..	५ बीघा १४ विस्वा

इस फसल का मुआवजा भूमिधर ने स्थानीय लैंड एक्वीजिशन आफीसर से मांगा है और वह कितना है इस विषय में अभी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

बाग के अधिकारियों ने फसल २५० रुपये में बेची ।

अतारांकित प्रश्न

नगवा बांध , बंजरहा ठोकर के निर्माण की शिकायत

१—श्री जगदीशप्रसाद (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में नगवा प्रोटेक्शन स्कीम व बंजरहा स्पर का काम अभी पूरा नहीं हो सका है ? वह काम कब तक पूरा हो जायेगा और क्या इस संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, एक शिकायती पत्र इस संबंध में प्रश्न-कर्ता का विभाग में प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने बांध व ड्रेन न बनने की शिकायत की थी और ठोकरों पर गलत काम होने का विवरण किया था । इसकी जांच की गई थी । यह योजनाएं लगभग पूरी हो गई हैं । पांच स्परों में से केवल एक स्पर का बनना बाकी रह गया है । आशा है यह भी आगामी वर्षा ऋतु के पहले पूरा हो जायगा, स्पर सभी ठीक ढंग से बनाए गये थे ।

२—श्री जगदीशप्रसाद—

क्या सरकार को मालूम है कि बंजरहा इत्यादि गांव में गलत ड्रेन खुदने से काफी क्षति हुई है ? अगर हां, तो सरकार इस पर क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं । आगे का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले में राप्ती का बांध

३—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के जिलाधीश के निर्माण एवं रख-रखाव में राप्ती तट का विवरा खैरवा से नगवा खास तक का बांध इस साल कई स्थानों पर टूट गया है ? यदि हां, तो मरम्मत के लिये कब से कदम उठाया जा रहा है ? मरम्मत का तरीका क्या होगा—— टेस्ट वर्क या ठेका ?

श्री राममूर्ति—

प्रथम भाग—जी हां ।

द्वितीय भागः—इस बांध की मरम्मत से कोई लाभ न होगा क्योंकि यह नदी के बहुत ही निकट है ।

तृतीय भागः—प्रश्न नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद जिले में मीरपुर नलकूप सर्विस रोड

४—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नलकूप नं० ५७ फर्रुखाबाद ग्रुप से सर्विस रोड मीरपुर रोड मिलाने के लिये निकाली जा रही है ? यदि हां, तो यह रोड जिस जमीन को पहले एक्वायर किया गया उस से नहीं निकाली जा रही है ? इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। पहले गलती से यह कार्य उस जमीन पर प्रारम्भ कर दिया गया था जो प्राप्त (acquire) नहीं की गई थी। परन्तु जैसे ही यह गलती मालूम हुई, कार्य बंद कर दिया गया और अब यह निश्चय किया गया है कि सर्विस रोड प्राप्त की गई भूमि पर ही बनाई जाय।

गम्हीरा—उझियानी नाला

५—श्री राम सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम गम्हीरा, तहसील करहल, जिला मैनपुरी में जो नाला ग्राम गम्हीरा से उझियानी तक ५ मील ४ फर्लांग का है उसकी सर्वे हो चुकी है ? क्या सरकार उसको जल्दी से जल्दी पूरा करा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—

इस प्रस्तावित नाले का विस्तृत सर्वे हो रहा है। इसके पूरा होने पर ही, अगर योजना कार्यान्वित करने योग्य पाई गई और धन उपलब्ध हो सका तो कार्य किया जा सकेगा।

मोहम्मदपुर पावर हाउस के निकट भूमि का लगान

६—श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि नहर गंग के पानी की सतह ऊपर उठाये जाने से झाल आ सिफनगर-मोहम्मदपुर पावर हाउस तक के आस-पास के ग्रामों में चोया आया है और पैदावार को नुकसान पहुंचा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके लगान या मालगुजारी में कुछ कमी करने पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—

मोहम्मदपुर पावर हाऊस के बनने से गंग नहर के पानी की सतह झाल आसिफनगर से मोहम्मदपुर तक बढ़ाई गई है। पानी की सतह बढ़ने के कारण नहर के दोनों किनारों पर चोये का विस्तार कुछ बढ़ गया है। इस चोये के पानी को निकालने के लिये नाली बनी हुई है, फिर भी चोये के कारण कुछ खेतों की पैदावार में कुछ कमी हुई है। जिला अधिकारियों द्वारा पैदावार की कमी की जांच की गई और आठ आने से कम नुकसान होने के कारण लगान इत्यादि में छूट नहीं दी जा सकी।

मऊ के निकट हरिजन कृषि भूमि पर पानी का जमाव

७—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ (आजमगढ़) कस्बे के पश्चिम बाईपास के पूरब हरिजनों के लगभग ५०० एकड़ उपजाऊ खेत में पानी भरा हुआ है जिसके कारण फसल खरीफ बरबाद हो गई और रबी की फसल भी नहीं बोयी जा सकी है ?

श्री राममूर्ति—

बरसात में इस क्षेत्र में ५० एकड़ कृषि भूमि को क्षति पहुंची थी। मानसून का काल समाप्त होने के कारण अधिकतर पानी बह गया है या सूख गया है और इस समय केवल १० एकड़ भूमि में पानी भरा हुआ है।

बड़ौत–कांधला–शामली–नानोता बस सर्विस की मांग

८—श्री विजयपालसिंह, श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री रामचन्द्रसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार को मालूम है कि जो बसें देहली और सहारनपुर से छूटती हैं उनमें जगह भर जाने के कारण बीच की सवारियों को सहारनपुर और देहली जाने में असुविधा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बड़ौत-कांधला-शामली-नानोता से बसें चलाने पर विचार करेगी जिस से वहां की सवारियों को देहली व सहारनपुर व मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि जगहों पर जाने की सुविधा मिल सके ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां, कभी-कभी ऐसी असुविधा होती है। कानूनी अड़चन के कारण प्रस्तावित स्थानों से बसें चलाना इस समय सम्भव नहीं है।

९—श्री विजयपालसिंह, श्री चन्दनसिंह तथा श्री रामचन्द्रसिंह—

क्या सरकार को पता है कि अब से चार-पांच महीने पूर्व उपरोक्त स्टेशनों पर दो-दो गाड़ियां चला भी करती थीं ? यदि हां, तो वह किन कारणों से बन्द कर दी गईं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

शटल सर्विस प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, मेरठ क्षेत्र के आदेश से चल रही थी। इस आदेश को राजकीय परिवहन प्राधिकारी ने रेल तथा सड़क के यातायात में उचित समन्वय को दृष्टि में रखते हुये रद्द कर दिया, परन्तु उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण सर्विस चालू रहीं। अब उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश समाप्त होने पर शटल सर्विस बन्द कर दी गयी।

मदारपुर का कथित ट्यूबवेल

१०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम मदारपुर, तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी में सरकार ने कोई ट्यूबवेल लगाया है ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

११—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस ट्यूबवेल पर कितना और किस-किस मद से रुपया व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न नहीं उठता।

बागपत–लोनी के बीच बांध बनाने की आवश्यकता

१२—श्री शौकत हमीद खां (जिला मेरठ) तथा श्री जगदीशशरण रस्तोगी (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को मालूम है कि बहुधा यमुना नदी में बाढ़ आ जाया करती है जिससे जिला मेरठ के बागपत और लोनी के बीच रहने वालों को प्रत्येक वर्ष जन-धन की भारी हानि होती है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। मेरठ में यमुना नदी के बाएं किनारे के निचले क्षेत्र, जब यमुना में बाढ़ आती है, बाढ़ ग्रस्त हो जाया करते हैं जिससे काफी हानि होती है।

१३—श्री शौकत हमीद खां तथा श्री जगदीशशरण रस्तोगी—

क्या सरकार बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिये बागपत और लोनी के बीच बांध बनाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस योजना के कार्यरूप में परिणत होने की कब तक सम्भावना है ?

श्री राममूर्ति—

इस समय उक्त क्षेत्र में कोई बांध या स्वर बनाने की योजना विचाराधीन नहीं है ।

१४–१५—श्री ऊदल—

[१९ फरवरी, १९६३ के लिए स्थगित किये गये ।]

१६—श्री रियासत हुसैन—

[१९ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

तालकटोरा वर्कशाप, लखनऊ में ट्रैक्टर विभाग के कर्मचारियों का स्थायित्व

१७—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मंत्री दिनांक ४ दिसम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त राजाज्ञा के अनुसार १७५ पद कब स्थायी किये गये और शेष ११४ कर्मचारी अब तक स्थायी क्यों नहीं किये गये ?

श्री चरणसिंह—

१७५ स्थायी पदों में से १४३ पद १७–४–५६ को और ३२ पद ७–९–५७ को स्थायी किये गये । शेष ११४ कर्मचारियों में से ५ राजपत्रित पदों पर स्थायीकरण के लिये लोक सेवा आयोग से पत्र व्यवहार हो रहा है । शेष १०९ अराजपत्रित पदों पर स्थायीकरण के लिये संबंधित कर्मचारियों की सर्विस बुक एवं ज्येष्ठता सूची बनानी पड़ी, इस लिये देर लगी । स्थायीकरण शीघ्र ही हो जायेगा ।

नैपाल बांध योजना

१८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंडक (नारायणी) बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई हेतु नैपाल बांध योजना पर क्या नैपाल सरकार की स्वीकृति मिल गई है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा बांध निर्माण काम कब से प्रारम्भ हो जावेगा और निर्माण-कार्य कब समाप्त हो जावेगा ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं । अन्य वार्ता का प्रश्न नहीं उठता ।

१९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त बांध के निर्माण में कितना व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति—

इस कार्य की अनुमानित लागत पचास लाख रुपया है ।

२०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उस बांध के निर्माण से कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा होगी और कितने इलाके में बाँध का नियंत्रण होगा ?

श्री राममूर्ति—

नैपाल बांध एक बाढ़ नियंत्रण योजना है । इससे सिंचाई नहीं होगी । इस योजना से कितने इलाकों में बाढ़ का नियंत्रण होगा इस संबंध में अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा नियमावली, १९६२†

स्वायत्त शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

मैं आप की आज्ञा से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या १७३–म (नि–१८)/११–ग–-१–कार्य (४) –५७, दिनांक १४ दिसम्बर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका सेवा नियमावली, १९६२, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

समाजवादी संयुक्त दल को मुख्य विरोधी दल की मान्यता देने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से एक निवेदन करना चाहता हूं। पिछले सत्र में जब कि समाजवादी संयुक्त दल का गठन हुआ था, तो उस समय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि बजट सेशन जो आयेगा उसके पहले ही इस चीज को वह एनाउंस कर देंगे कि समाजवादी संयुक्त दल मुख्य विरोधी दल के रूप में कार्य करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मान्यवर, कल भी इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं दिया गया और न कोई एनाउन्समेंट किया गया। आज भी उस प्रश्न को मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। अगर आप की आज्ञा हो तो दो-चार शब्द में इस सम्बन्ध में कहूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अर्ज कर दूं कि असल में यह अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है और जब एक दफा उन्होंने उस को ले लिया है तो फिर उन्हीं का जो कुछ फैसला इस पर होगा, वह जब हो जायगा, तो आप के सामने रख दिया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

तो क्या इस बजट सेशन के पहले आप हमारे निवेदन को अध्यक्ष महोदय के सामने पहुंचाने की कृपा करेंगे जिससे कि इसका एनाउन्समेंट जल्दी हो जाय?

श्री उपाध्यक्ष—

आप जानते हैं कि वह बीमार हो गये थे और उनकी तबियत अभी इतनी अच्छी नहीं है कि उनके सामने ऐसे प्रश्न रखे जायं। जैसे ही उनकी तबियत ठीक हो जायगी, यह प्रश्न उनके सामने रख दिया जायगा।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, यह सवाल बड़ा अहम सवाल है। आज संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों की संख्या ५९ है और उसको पार्टी के रूप में मान्यता मिल चुकी है। अध्यक्ष महोदय ने संयुक्त समाजवादी दल को मान्यता दे दी है। जब उस को पार्टी के रूप में मान्यता दे दी गई है तो फिर उस को मुख्य रूप से विरोधीदल अभी तक न मानने में क्या कठिनाई हो रही है? मैं आप से यह निवेदन करता हूं कि जैसे इस सदन में सारी कार्यवाही चलाई जा रही है तो आप अपनी कुर्सी पर बैठ कर सक्षम हैं इस बात के लिये कि आप समाजवादी संयुक्त दल को मुख्य रूप में मान्यता प्रदान करें।

---

†छापी नहीं गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

जैसा कल्पनाथसिंह जी ने अभी कहा कि उनके समाजवादी संयुक्त दल को मान्यता दे दी गई है तो आप यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस को कब मान्यता प्रदान की गई है? माननीय अध्यक्ष की जो रूलिंग है उसके अनुसार इस मेल-जोल की पार्टी को पार्टी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके लिये उन की स्पष्ट रूलिंग है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसको मान्यता कब प्रदान की गई है?

श्री उपाध्यक्ष---

इस मसले पर अध्यक्ष महोदय का जो निर्णय होगा वही अन्तिम निर्णय होगा। चूंकि यह प्रश्न निर्णय के लिये उनके सामने है इसलिये इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अभी तक जो सिलसिला चल रहा है उससे यह साबित होता है कि समाजवादी संयुक्त दल इस सदन के अन्दर चल पायेगा या नहीं तो इसकी मान्यता का सवाल इस वजह से नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष---

यह उनके ही निर्णय के ऊपर डिपेन्ड करेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे सामने तीन कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं। मैंने उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया है। मैंने उनमें किसी को भी ऐसा नहीं पाया कि ए-लाऊ कर सकूं, क्योंकि इसके कारण हैं। एक तो यह बात है कि हमारे सामने जो चर्चा होने वाली है गवर्नर महोदय के सम्बोधन के ऊपर उसमें इतने संशोधन हैं सभी सूचनाओं के विषय उनमें आ गये हैं। जिनके ऊपर अच्छी तरह से उन बातों की चर्चा की जा सकती है। इसलिये मैं नहीं समझता कि ये जरूरी हैं।

गोरखपुर गोलीकांड की न्यायिक जांच स्थगित करने के सरकारी आदेश के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष---

एक प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने स्वीकार किया है जो गोरखपुर फायरिंग इन्क्वायरी के सम्बन्ध में था। इसलिये मैं उस को पढ़ कर सुनाये देता हूं। यह माननीय दुबे जी का है जिसमें वह कहते हैं कि "सरकार के आदेश द्वारा गोरखपुर गोली कांड की न्यायिक जांच अकस्मात् समाप्त कर दी गई है। सरकार के इस आदेश से पूरे प्रदेश में घोर चिन्ता, असन्तोष तथा उत्तेजना का वातावरण व्याप्त हो रहा है। जनता को जिज्ञासा है कि क्यों इसको स्थगित करने का आदेश दिया गया है...."

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

मुझे आपसे इस नियम ५२ की सूचना के सम्बन्ध में यह कहना है कि जितने भी कामरोको प्रस्ताव आये हैं उनमें मेरा मौलिक प्रस्ताव था जिसको आप ने स्वीकार नहीं किया। दफा ५२ को जिस तरह से मान कर आप ने स्वीकार किया है वह भी संशोधनों में है तो इसको भी स्वीकार करने की क्या जरूरत है? सही माने में आज बड़ा सवाल गन्ने के सम्बन्ध में है जिससे पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से असन्तोष फैला हुआ है। अगले तीन वर्षों तक करोड़ों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपये का बराबर घाटा सरकार को होने जा रहा है। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता हूं कि जिस सवाल का सम्बन्ध करोड़ों किसानों से है उसको आपने नहीं लिया। तो इस प्रश्न को भी हटाइये। इसको लेने से क्या लाभ है ?

श्री उपाध्यक्ष—

बात यह है कि संशोधन इन तीनों पर है। उनके ऊपर सम्बोधन में चर्चा हो सकती है। लेकिन मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना को इसलिये स्वीकार किया है ताकि यहां पर परिस्थिति साफ़ हो जाय। उस पर एक स्टेटमेंट हो जायगा। इसको मैंने गम्भीर समझा था।

श्री चन्द्रबली सिंह—

इस सवाल से लाखों किसानों का सम्बन्ध है और उनके जीवन मरण का प्रश्न है। गन्ने की रिकवरी कीमत के कारण १० करोड़ रुपया हर साल सरकार को इस प्रदेश में नुक्सान हो रहा है। अगले ३ वर्षों तक यहां पर गन्ने की पैदावार बढ़ेगी नहीं और उससे नुक्सान होगा। अगर यह विषम परिस्थिति न होती तो किसान गन्ना मिल को न देते और हम हड़ताल का नोटिस दिलवा देते और सरकार को देखते।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मेरा एक नियम ५२ का प्रस्ताव था गाजियाबाद मार्केट प्लान के सम्बन्ध में। उसे आपने गौर से पढ़ा होगा। मैं बतलाना चाहता हूं कि वह बड़ा अहम सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर भी अमेंडमेंट है। आप बहस में कह सकते हैं उस बारे में।

श्री राधेश्याम शर्मा—

लेकिन अब परिस्थितियां बदल गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, कल जब मैं आप के चेम्बर में आप से मिला तो मैंने गोरखपुर फायरिंग के बारे में एडजर्नमेंट मोशन दिया था। यहां पर सरकार ने जुडिशियरी के काम में इंटरफियरेंस किया है। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी का मैटर है....

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुनिये। अमेंडमेंट माननीय उग्रसेन जी ने दिया है और उसमें इस फायरिंग का जिक्र है। जो बहस होने वाली है उसमें आप वह सारी बात कह सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरा एडजर्नमेंट मोशन एक 'स्पेसिफिक' विषय पर है और इस सम्बन्ध में आप मेरा निवेदन सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं उसे एलाऊ नहीं करता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

लेकिन आप सुन तो लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार सदन के प्रति जिम्मेदार है आप भले ही इसे रूल आउट कर दें, लेकिन आपने मुझसे कहा था कि आप रूल आउट करने के पहले मुझे सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप विराजिये। सुन लीजिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

आप अपनी बात से मत मुकरिये। आप ने कहा था कि आप सुनेंगे तो उसके लिये आप उन को सुन लीजिये और फिर मंत्री जी उसका जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गृह मंत्री....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आप मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आप मुझे मजबूर मत करिये। यह बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आप दो मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराज जाइये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मैं इस तरह से बैठने वाला नहीं हूं। आप कहेंगे तो सदन के बाहर चला जाऊंगा, लेकिन बैठूंगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप एक बात सुन लीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

गोरखपुर फायरिंग के बारे में जो मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया था उस समय आप ने कहा था कि अगर आप उसे रूल आउट भी करेंगे तो मुझे सदन में सुनेंगे। आप की इसे रूल आउट करने की आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन उसके पहले मुझे सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप को थोड़ा भ्रम है। आप मुझसे बात कर लीजियेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आप के द्वारा मैं सदन के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह सरकार....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

यह सरकार अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर रही है और जुडिशियरी के काम में इंटरफियर कर रही है....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। आप कृपया शान्त रहिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आप ने जुडिशियल इंक्वायरी का आर्डर दिया....

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराज जाइये।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---
आपने चेम्बर में बात करने के लिये बुलाया था....

(व्यवधान)

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---
मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---
आप विराज जाइये।

(व्यवधान)

श्री रामायण राय---
मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज पहली बार यहां पर यह दिखलाई पड़ता है कि सदन में एक ही समय में कई सदस्य खड़े रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---
मैं आप से अर्ज करूं कि एक ही समय में एक माननीय सदस्य को खड़े होना चाहिये, लेकिन अगर वे इस तरह से इस माननीय सदन की मर्यादा को कायम नहीं रखना चाहते हैं तो मैं यही कह सकता हूं कि ऐसा कर के वे गलती करते हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---
नियम ५२ की नेता विरोधी दल की सूचना को तो पढ़ दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---
वह सब मैं पढ़ चुका हूं।

श्री कल्पनाथसिंह---
मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री उपाध्यक्ष---
आप कृपया विराजिये।

श्री कल्पनाथसिंह---
आप मुझे सुन तो लें कि गोरखपुर फायरिंग के सम्बन्ध में आप उनको अपने कक्ष में बुला रहे हैं। माननीय सदस्य आप के कक्ष में गये और वहां पर उनको यह गलतफहमी हो गयी। फिर आप उन को अपने कक्ष में बुला रहे हैं तो फिर गलतफहमी पैदा हो सकती है। इससे अच्छा तो यही है कि यह सवाल यहीं पर आये और आप उनकी पूरी बात सुन लें, क्योंकि यह बड़ा अहम सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष---
नहीं, यह बात नहीं हो सकती।

श्री कल्पनाथसिंह---
न्यायपालिका और कार्यपालिका के सम्बन्धों का यह ज्वलन्त उदाहरण है।

श्री उपाध्यक्ष---
यह बात ठीक नहीं है। आप विराजिये।

श्री कल्पनाथसिंह---
मैं बैठ जाऊंगा। आप की आज्ञा मैंने सदैव शिरोधार्य की है, लेकिन मेरी बात आप सुन तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---
नहीं, आप बैठ जाइये। माननीय गृह मंत्री।

श्री उग्रसेन---
एक वाक्य में क्या आप मेरा निवेदन सुनेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---
आप बैठ जाइये, माननीय गृह मंत्री को मैंने बुला लिया है और वह बोलेंगे।

श्री उग्रसेन---
इसी को तो मैं कह रहा हूं कि इस पर मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण दे दें कि मुकर्जी कमीशन की जांच को समाप्त करने का माननीय चन्द्रभानु गुप्त की सरकार को क्या अधिकार था ?

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---
मैं एक व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब श्रीमन् ने एक माननीय सदस्य को बुला लिया तो बीच में दूसरे सदस्य काहे को बोलने लगते हैं। इस पर श्रीमन् कोई व्यवस्था अपनी दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---
बिल्कुल ठीक है आप का कथन। माननीय गृह मंत्री।

गृह उपमन्त्री (श्री नवलकिशोर)---
उपाध्यक्ष महोदय, गोरखपुर फायरिंग पर जो इन्क्वायरी बैठी थी उसके सम्बन्ध में जो दफा ५२ के द्वारा ध्यान आकर्षित कराया गया है उसमें कुछ भ्रान्ति हो गयी है और आप की आज्ञा से मैं उसका एक स्पष्टीकरण दे दूं। बात यह है कि कुछ लोगों ने इस प्रकार की ऐप्लीकेशन दी कि चूंकि नेशनल इमरजेन्सी है, इस समय आपस के ताल्लुकात खराब न हों और युद्धकार्य के प्रोग्रेस में बाधा न पड़े, इसलिये इस को ड्राप कर दिया जाय। इसके ऊपर सरकार को यह बात रेफर की गयी कि उस की इसके ऊपर क्या राय है। सरकार ने उन ऐप्लीकेशंस को एक्जामिन करने के लिये कुछ समय के लिये कमीशन के कार्य को स्थगित कर दिया। उसके बाद मुख्य मंत्री जी ने ३१ जनवरी को प्रेस को एक स्पष्टीकरण दे दिया कि सरकार ने यह फैसला किया है कि इन्क्वायरी जैसी अब तक चलती रहती थी चलती रहेगी। उस को स्थगित नहीं किया जायगा। उस को पूर्ण किया जायगा। चूंकि ऐप्लीकेशन्स थीं, इसलिये आवश्यक था कि सरकार उनकी जांच करे, लेकिन अब यह तय हो गया है कि जो कमीशन बैठा था उस की कार्यवाही चलती रहेगी। इसलिये जिन भाइयों के दिमाग में भ्रान्ति है वह उस को निकाल दें, इन्क्वायरी चलती रहेगी।

श्री उग्रसेन---
प्रश्न यह है कि मुकर्जी कमीशन की कार्यवाही को क्यों रोका गया इस सरकार को इसका क्या हक़ है ? यह इस्तीफा दे।

श्री उपाध्यक्ष---
आप हल्ला करके बातें करेंगे या रीजन्स से बातें करेंगे ?

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---
उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उप-गृह मंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों ने कुछ दरख्वास्तें दी थीं। उनमें यह था कि आपस के सम्बन्ध न बिगड़ें, इसी कारण, उनके कथनानुसार, उन पर विचार करने के लिये सरकार ने उस को स्थगित किया था। अब, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें २ प्रश्न उठते हैं। क्या माननीय गृह मंत्री जी सदन को बतायेंगे कि वे कौन लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की दरख्वास्तें दीं ? दूसरे क्या यह बतायेंगे कि संबंध किसके बिगड़ गए ? संबंध क्या इन्क्वायरीज़ के बिगड़ रहे थे या संबंध इस बात से बिगड़े कि जो अन्याय हुआ था ? आप को बताऊं कि उसके ऊपर पानी फेरने का जो प्रयास किया गया। यह बातें मैं आशा करूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी बहुत स्पष्ट ढंग से अपने वक्तव्य में बतायेंगे ?

श्री नवलकिशोर---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात को नेता विरोधी दल ने फरमाया सरकार ने उसी बात को माना। मगर जिन्होंने एप्लीकेशन्स दीं, उनको इस बात का अधिकार था कि जो ठीक समझें वह करें, सरकार ने यह महसूस किया कि नेशनल इमर्जेन्सी के नाम पर इस काम को बन्द न किया जाय।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन---

नेशनल इमर्जेन्सी के नाम पर आप न्याय का गला घोंट देना चाहते हैं और घोंट रहे हैं।

श्री नवलकिशोर---

श्रीमन्, एप्लीकेशन्स जांचने के बाद सरकार ने यह तय किया कि संकटकालीन स्थिति के कारण प्रोसीडिंग्स को बंद नहीं किया जा सकता। लिहाजा प्रोसीडिंग्स चालू रहेंगी और इन्क्वायरी चलेगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

किस किस की एप्लीकेशन्स थीं?

श्री नवलकिशोर---

यह एप्लीकेशन्स दी गईं श्री ए० पी० वर्मा, एम० एल० ए० और श्री जी० एस० कोई कांग्रेस कमेटी के हैं, श्री रामचरन और श्री श्रद्धानन्द जी वाइस चेयरमैन, और श्री शिवकुमार जी और श्री सत्यनारायण जी प्रिंसिपल किसी कालेज के हैं, श्री उमाशंकर जी यह भी प्रिंसिपल जी० एस० कालेज के हैं और कोई एक सज्जन केन से सम्बन्धित हैं।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त---

मान्यवर, जो मेरा मन्तव्य था वह स्पष्ट नहीं हुआ। सरकार जिस दरख्वास्त को इतनी अहमियत दे कि विचार करने के लिये जांच स्थगित की, वह दरख्वास्त जनता की नहीं, बार एसोसियेशन की नहीं, रिप्रेजेन्टेटिव आर्गनाइजेशन की नहीं, केवल दलगत स्वार्थों को लेकर, एक गुट विशेष को लेकर उसके आधार पर उन्होंने जो इन्क्वायरी को रोकने का विचार किया तो मेरा यही आरोप है कि वह गलत है। और ऐसी महत्वपूर्ण पब्लिक इन्क्वायरी को रोक कर उस से जो क्षति हुई है और वहां की पब्लिक का मोरेल गिरा है, उसको भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिये, जिस समय कि निर्णय किया जाता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसको रोका जाय विचार के लिये।

श्री नवलकिशोर---

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने बहुत सी बातों को प्रिज्यूम कर के स्टार्ट किया है, जिनसे मैं कतई इत्तिफाक नहीं करता हूं। श्रीमन्, आप देखें कि उसमें ७-८ आदमी हैं कुछ कालेज के प्रिंसिपल हैं। यह तो ओपीनियन की बात हुई कि कौन साहब जनता के हैं और कौन नहीं हैं। सरकार का केवल इतना काम है कि जब ऐप्लीकेशंस आईं डिफरेंट सेक्शन्स की उसको सरकार ने एग्जामिन किया और उसके बाद यह फैसला किया कि कमीशन अपनी इंक्वायरी करेगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन-सी कठिनाई है।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि १९५१ में इन्क्वायरी कमीशन ऐक्ट की धारा ७ के मुताबिक केवल सरकार को इतना ही अधिकार है कि वह इन्क्वायरी कमीशन को नोटिफिकेशन करके एग्जिस्ट करने से रोक सकती है। लेकिन सरकार को उस इन्क्वायरी कमीशन का कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि वह इन्क्वायरी को एडजर्न कर सकती है। तो मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि जब २२ जनवरी को जस्टिस मुकर्जी के सामने जो जुडिशियल इन्क्वायरी आई तो उसमें नोटिफिकेशन दिनांक १३ नवम्बर के मातहत जब वह कर रहे थे जिनको आपने हाईकोर्ट का जज अपनी नोटिफिकेशन के अन्दर माना है, जो जुडीश्यल इंक्वायरी कर रहे थे और एवीडेंस रिकार्ड कर रहे थे, उस समय जो ऐप्लीकेशंस आपके पास आयीं, उन्हीं लोगों ने कोर्ट के सामने भी ऐप्लीकेशंस दीं कि हम इमरजेंसी को देखते हुये इंक्वायरी रोकना चाहते हैं और इंक्वायरी कमीशन के जज ने कहा कि पब्लिक की निगाह में पब्लिक सरवेंट की जो इज्जत है वह घट गयी है, इसलिये रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है कि कौन जिम्मेदार है और दूसरा जजमेंट उन्होंने दिया कि स्टूडेंट्स में से भी जिम्मेदार हैं तो दोनों पक्षों में कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं उसके लिये जरूरी है कि इंक्वायरी कमीशन प्रोसीड करे। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब २३ तारीख को उन्होंने आर्डर कर दिया तो २४ तारीख का जो वायरलेस होम सेक्रेटरी का जाता है तो क्या सरकार ने उस जुडिशियल इंक्वायरी पर दबाव नहीं डाला है और जो इस तरह से कंटेम्पट हुआ है उसके लिये जो होम सेक्रेटरी या कोई जिम्मेदार है उस पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

कंटेम्प्ट के संबंध में गवर्नमेंट को दखल देने का कोई अधिकार नहीं, वह तो अदालत चलायेगी, इतना तो आपको जानना चाहिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

२४ जनवरी को जो वायरलेस भेजा होम सेक्रेटरी ने तो उन्होंने न्यायपालिका के कार्य में इंटरफियर किया है, जो कंटेम्प्ट किये हैं और मिसलीड किये हैं उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है, सरकार?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह बात कहना चाहता हूं कि पांडेय जी ने दो बातें उठायीं। एक तो यह कि जिन आफिसर्स की गलती थी, जिस किसी की भी तो रेस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिये, तो सरकार ने कमीशन की भावनाओं को पूरा कर दिया है और आर्डर कर दिया है, कि वह चलती रहेगी, दूसरे यह कि सरकार को रोकने का अधिकार नहीं है। सो आड़ में यह सब कहने का दफा ५२ के अन्दर अधिकार पांडे जी को नहीं है यह तो इंटरप्रिटेशन का सवाल है हम कहते कि अधिकार है, वह हमने इस्तेमाल किया। तो यह दफा ५२ के अन्दर तय होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

फैक्टस के बारे में बोलिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी नरसिंहनारायण जी ने भी कहा कि इसी प्रकार की दरख्वास्त इंक्वायरिंग जज के सामने भी पड़ी थी, क्या यह सही है कि इन्हीं लोगों ने इंक्वायरी जज के सामने दरख्वास्त दी थी और जब उन्होंने खारिज कर दी तो गवर्नमेंट के पास आये?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नवलकिशोर—

ऐप्लीकेशंस कमीशन को दी गयीं वकील साहब की मार्फत, वकील साहब ने स्टे मांगा, कोर्ट ने कहा कि हम स्थगित करने वाले नहीं है, तब उन्होंने गवर्नमेंट के पास भेजी ।

श्री उपाध्यक्ष—

खारिज नहीं किया, उन्होंने ।

श्री उग्रसेन—

क्या सरकार को सूचना है कि मि० इस्लाम जो डी०आई० जी० हैं और उनके बाप, दोनों आदमी यहां आये, जस्टिस इकबाल से मेरा मतलब है कि सरकार के चरणों में आकर सरकार से आरजू मिन्नत की कि इस मामले में कुछ गड़बड़ होने वाली है, हम को त्राण दिया जाय और त्राण देने हेतु सरकार ने इस इंक्वायरी को स्थगन दे दिया ?

श्री नवलकिशोर—

यह बात बिल्कुल गलत है। मैं खुद गोरखपुर गया था और मुझ से लोगों ने इस बात के लिये कहा था कि इंक्वायरी को बन्द किया जाय, लेकिन डी०आई०जी० ने कहा था कि हमारी प्रेस्टीज के लिये यह जरूरी है कि इन्क्वायरी को बन्द किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जब माननीय गृह मंत्री जी गोरखपुर तशरीफ ले गये थे उस समय मैंने उनसे कहा था कि जो सरकारी अधिकारी हैं वे और वहां के जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी श्री राधाकृष्ण तथा रामबिलास जिनके नाम अभी पढ़े हैं, यह आफिसरों से मिलकर, उसको बन्द कराना चाहते हैं जिससे कि गवाहान वगैरह टूट जायं ? (व्यवधान) । तो क्या सरकार उन आफिसरों को ट्रांसफर करने की कृपा करेगी ?

श्री नवलकिशोर—

आपके दिमाग में कुछ भ्रांति है। मुझ से सब सरकारी अधिकारियों ने यही जोर दिया कि इन्क्यावरी होनी चाहिये और इसके द्वारा ही हमारी प्रेस्टीज कायम रह सकती है।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि जिन महानुभावों ने इंक्वायरी रुकवाने की दरख्वास्त दी वे वही लोग है जो उस इन्क्वायरी के सब्जेक्ट मैटर हैं ?

श्री नवलकिशोर—

जैसा कि मैंने अर्ज किया, यह तो पब्लिक की तरफ से आई थी ।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—

पहले म आपसे एक जानकारी कर लूं । अभी उप मंत्री जी ने कहा कि यह तो नियम ५२ के अन्दर लाने काबिल नहीं था, तो यह तो फैसला करने का अधिकार आपका है, या उनका है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवाल कीजिये ।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रार्थना-पत्र क्या है, उस पर कमीशन की क्या आज्ञा है, उसे माननीय मंत्री जी पढ़ दें।

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, मैंने अर्ज किया उनका मतलब यह था.....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

मैं उन शब्दों को जानना चाहता हूं।

श्री नवलकिशोर—

मैं जो जवाब दे रहा हूं उसको सुनिये, यू कांट डिक्टेट मी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर प्रश्न कर सकते हैं, मगर यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था.....

श्री नवलकिशोर—

मैं कह रहा था कि एप्लीकेशन में यह था कि राष्ट्रीय संकट कालीन स्थिति में इस प्रोसीडिंग्स के चलने से एक ऐजीटेशन की स्टेज पैदा हो सकती है और उससे युद्ध प्रयासों में बाधा पड़ सकती है। इसलिये पब्लिक इन्टरेस्ट में और अच्छे पब्लिक रिलेशन बनाये रखने के लिये यह एप्लीकेशन थी।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी यह जवाब नहीं आया कि कमीशन का क्या आर्डर था और उस पर यहां क्या आर्डर हुआ?

श्री नवलकिशोर—

श्रीमन्, कमीशन का आर्डर मेरे पास नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

यहाँ का आर्डर तो होगा?

श्री नवलकिशोर—

यहां से आर्डर यह गया कि जो एप्लीकेशन्स आयीं हैं उनको सरकार जब तक एक्जामिन न कर ले तब तक के लिये कमीशन की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाय।

श्री रामायणराय—

मंत्री जी ने यह बताया कि आपत्तिकालीन स्थिति में एजीटेशनल एटमासफियर न बने, इस उद्देश्य को सामने रख कर इंक्वायरी को रोका गया। तो सरकार को स्वयं ही इस बात से संतुष्ट होना चाहिये था कि प्रार्थना-पत्र कहां तक मौजूं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामायणराय—

माननीय मुख्य मंत्री जी, समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने के बाद देवरिया तशरीफ ले गये और हमको भी यह सुनने को मिला कि जैसे ही छात्रों को यह मालूम हुआ कि इंक्वायरी मुल्तवी हो गयी है, तरह-तरह के डिमांस्ट्रेशन होने लगे....

श्री उपाध्यक्ष—

रामायणराय जी आप तो समझदार आदमी हैं, यह बहस का टाइम नहीं है, आप सवाल पूछ लीजिये।

श्री रामायणराय--

प्रार्थना पत्रों पर जो ऐक्शन लिया गया और उसके विपरीत जो यह परिस्थिति विकसित हुई, इस नई परिस्थिति के विकसित करने के जो जिम्मेदार थे उनके ऊपर सरकार ने क्या ऐक्शन लिया ?

श्री नवलकिशोर--

इसमें किसी कार्यवाही का सवाल नहीं है। यह पीपुल्स गवर्नमेंट है, जो एप्लीकेशंस पब्लिक की ओर से आती हैं, उनकी जांच की जाती है। जब कमीशन बैठा हुआ था और प्रोसीडिंग्स चल रहीं थीं, उस समय जो ऐप्लीकेशंस आयीं थीं उन पर विचार करने में कुछ तो टाइम लगता ही, इसलिये उसकी कार्यवाही को स्टे कर दिया गया, ताकि उन एप्लीकेशंस पर विचार हो सके।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, हमको मौका नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

सब को मौका दिया जा चुका है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार बतायेगी कि जो अर्जियां ट्रिब्यूनल के सामने दी गयीं और ट्रिब्युनल के आदेश से वे अर्जियां सरकार के पास आ गयीं, लेकिन ट्रिब्युनल के आदेश क्या हुए यह इस सदन को नहीं बताया गया। मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि ट्रिब्युनल ने जो आदेश दिये थे वे क्या थे और क्या उस समय भी सरकार की यह मंशा थी कि इंक्वायरी चलती रहे तो वह बन्द क्यों की गयी ? अगर इन दो कारणों को सरकार नहीं बताती तो आप आज्ञा दें कि इस हाउस के सामने माननीय मंत्री जी का इम्पीचमेंट हो।

श्री नवलकिशोर--

श्रीमन्, इम्पीचमेंट की तो बात दूसरी है उसको आप तय करें। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कमीशन के सामने जो वकील थे उन्होंने स्टे होने की बात कही थी वह यह भी चाहते थे कि अगर स्टे नहीं किया जाता है तो टाइम ही दे दिया जाय जिससे वे गवर्नमेंट को एप्रोच कर सकें। स्टे नहीं किया गया। फिर एप्लीकेशंस यहां आयीं। अब उन एप्लीकेशंस पर विचार करने में कुछ समय तो लगता ही, इसलिये यह उचित समझा गया कि जब तक उन पर फैसला न हो जाय, तब तक के लिये कमीशन की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय परिवहन मंत्री,

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, कृपा करके इस सवाल पर मुझे एक स्पष्टीकरण माननीय गृह मंत्री से करा लेने का अवसर प्रदान करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपा करके आप विराजें।

श्री कल्पनाथसिंह--

गोरखपुर में जब गोली चली तो उस दिन शाम को-नवल किशोर जी मौजूद थे, मैंने उनको टेलीफून किया कि मैं गोरखपुर जा रहा हूं। आज ये कहते हैं कि यह पिपुल्स गवर्नमेंट है, पीपुल्स गवर्नमेंट या तो चीन में है या इस उत्तर प्रदेश में ही है। मेनन और प्राइम मिनिस्टर...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—
वह तो खत्म हो गया । मैंने परिवहन मंत्री को बुला लिया है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—
मुझे आपने बोलने तो दिया नहीं और खत्म कैसे हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष—
आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—
जो मैं कहता हूं उसे आप सुन तो लें ।

श्री उपाध्यक्ष—
काफी सवाल हो गये हैं, मैं और कैसे सुन लूं ?

श्री कल्पनार्थसिंह—
एक सवाल आप मुझे कर लेने दें ।

श्री उपाध्यक्ष—
जी नहीं, आप बैठ जायं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—
मैं जानता हूं कि नवलकिशोर जी गोरखपुर में कैसे-कैसे गये और वहां से कैसे-कैसे आये ।

श्री उपाध्यक्ष—
आप विराज जाइये ।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
श्रीमन्, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है । मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि यह असेम्बली जो है, पब्लिक की एक जिम्मेदार रिप्रिजेंटेटिव बाडी है ।

श्री उपाध्यक्ष—
यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
मैं उसी सूचना के संबंध में प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—
किस संबंध में ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
जो मैटर अभी डिस्कस हुआ है उसी के संबंध में ।

श्री उपाध्यक्ष—
उससे तो हम आगे बढ़ गये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
मेरा प्वायंट आफ आर्डर आप सुनते भी नहीं । मैं किसी चीज की भीख सदन में नहीं मांगता, मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—
क्या प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है....

(व्यवधान)

मेरा कहना यह है कि सदन के प्रति सरकार की ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी है। (व्यवधान) श्रीमन्, आप तो घबड़ा जाते हैं जब कि आप इस सदन में एक सक्षम व्यक्ति हैं। घबड़ाना तो सरकार को चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना प्वाइंट आफ आर्डर रखें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि इस सदन के प्रति इस सरकार की ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी है। इस सदन के अन्दर सरकार ने एक घोषणा की कि गोरखपुर फायरिंग की जांच के संबंध में एक जुडिशियल इन्क्वायरी कमीशन, कमीशन ऐक्ट की फलां धारा के मुताबिक नियुक्त किया जायगा और उसके बाद सदन ने उसको....

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो व्याख्यान है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

पहले मेरी बात सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जरा बैठ जायं। मैं सदन के माननीय सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं जैसा अभी कहा गया कि असेम्बली एक आदरणीय सदन है, इसमें ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि कौन सा तरीका होगा जब कि आप चेयर को नहीं मानते। आखिर यहां का काम किस तरह से चलेगा? यहां का जो स्तर है उसे नीचे गिराने से हमारा काम नहीं चलेगा। एक बार एक माननीय सदस्य को खड़ा होना चाहिये जब कि चार-चार साहब खड़े हो जाते हैं, मैं नहीं समझता कि यह किस तरह की बात है। आप जो कह रहे हैं वह मैंने सुन लिया, यह न प्वाइंट आफ आर्डर है न कुछ है आप तो व्याख्यान दे रहे हैं, व्याख्यान के वक्त व्याख्यान, प्वाइंड आफ आर्डर के वक्त प्वाइंट आफ आर्डर और सवाल के वक्त सवाल होना चाहिये।

(श्री चन्द्रबलीसिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री चन्द्रबली जी आप विराज जायं....

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर सुन लिया जाय, वह स्पेसिफिक है और यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष--

आप व्याख्यान न दें।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि सरकार की जनता के प्रति एक एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी है और इस सरकार ने आर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेशन के ला का उल्लंघन किया है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है, आप विराज जायं।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है....

श्री उपाध्यक्ष--

कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं, आप बैठ जायं।

श्री कल्पनाथसिंह—

आप नहीं सुनेंगे प्वाइंट आफ आर्डर को ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं सुनेंगे ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

एक लाइन की सूचना तो सुन लो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायें ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

श्रीमन्, जब इंक्वायरी कमेटी बैठ गई तो उस को काम न करने देने में सदन का अपमान हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं और नहीं बैठते तो आप सदन छोड़ दें ।

(श्री चन्द्रबलीसिंह ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है इस संबंध में...

श्री उपाध्यक्ष—

आप सदन छोड़ दीजिये ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मैं तो अब व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, मुझे माननीय राज्यपाल के भाषण के संबंध में यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना है....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो वह पेश नहीं है ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन अनुज्ञा देता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गनेशीलाल चौधरी—

उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२२–१२६ पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

अब श्री नौरंगलाल अपना प्रस्ताव पेश करेंगे ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय को स्वयं अभिभाषण करने का हक है, लेकिन उन्होंने सदन के सामने अभिभाषण नहीं किया, इसलिये अब उस पर चर्चा करने का प्रश्न नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष---

यदि वह गलत काम भी हुआ तो वह आप के ही अनुरोध पर हुआ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

विधान मंडल के दोनों सदनों को राज्यपाल का अभिभाषण और सभा में उस पर चर्चा-सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त....

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये अगर आप ऐसा करेंगे तो....

श्री चन्द्रबलीसिंह---

आपकी अगर राय है कि हम ऐसा ही करते हैं तो चले जायं?

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जायं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। राज्यपाल महोदय यहां सम्बोधन करने आये थे। उन्होंने स्वयं इस सदन को सम्बोधित नहीं किया। उन्हें विधान की किसी भी धारा के अनुसार यह अधिकार नहीं है कि वह अपने भाषण को किसी से पढ़वा सकें। राजस्थान में जब राज्यपाल महोदय हार्ट अटैक से बीमार थे उस समय यह समस्या वहां उठी थी कि संबोधन कैसे हो। तो सदन के सब सदस्य उनके कमरे में बुलाये गये थे और राज्यपाल बिल्कुल रोग शैय्या पर थे, तो उन्होंने उसमें से १,२ सेंटेंसेज पढ़ कर सुनाये थे। तो इस सदन में राज्यपाल महोदय ने अपना संबोधन नहीं किया बल्कि एक अनडेमोक्रैटिक तरीके से किसी अध्यक्ष से पढ़वा दिया। तो वह अभिभाषण इस सदन की वस्तु नहीं हो सकता, विधान के भी विरुद्ध है। यह मेरा वैधानिक प्रश्न है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

सम्बोधन का पहला पैराग्राफ स्वयं राज्यपाल महोदय ने कल हिन्दी में पढ़ा था। तो जैसा नेकराम शर्मा जी कह रहे हैं कि राजस्थान के राज्यपाल ने एक, दो सेंटेंसेज पढ़ दिये थे, वह यहां भी हुआ जब कि उन्होंने पूरा एक पैराग्राफ पढ़ा था।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके संबंध में बहुत साफ बात है। पहली बात तो यह है कि हमारे माननीय सदस्यों के आग्रह पर उन्होंने ऐसा किया था और दूसरी बात यह है कि गवर्नर ने स्वयं आदेश दिया था तब पढ़ा गया था। इसके लिये गवर्नर साहब की बात पर यहां ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कल आपने नोटिस भी ले लिया लिहाजा अब यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

मैं जानना चाहता हूं राज्यपाल ने स्वयं नहीं पढ़ा था या पढ़ने नहीं दिया गया?

श्री उपाध्यक्ष---

जी हां, बहुत मजबूर किया तब उन्होंने ऐसा किया।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

मान्यवर, आपने व्यवस्था दी, यह गड़बड़ी हुई आपके आग्रह से हुई। तो आप उसको गलत मानते हैं?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं नहीं मानता।

श्री मैनेजरसिंह--

आपने स्वयं श्रीमुख से कहा, उसको वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

जैसे गवर्नर के अभिभाषण पर जो डिस्कशन होता था उसमें जो पहले समय दिया था वही इस साल भी रहेगा। मूवर को ३० मिनट, लीडर आफ दी अपोजीशन को ३० मिनट तथा अन्य पार्टीज के लीडर्स को २० मिनट और सदस्यों को १० मिनट।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं "उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।" मुझे एक घटना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना है और उसका कारण यह है कि बहुत छोटी-छोटी घटनायें समय-समय पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कल एक ऐसी घटना घटी ....

श्री रामायणराय--

श्रीमन्, माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

अपना भाषण दे रहे हैं, प्रस्ताव पेश कर रहे हैं।

मैं यह चाहूंगा कि कोई कंट्रोवर्शल मैटर नौरंगलाल जी न लायें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री नौरंगलाल--

मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात कतई नहीं लाऊंगा, आप सुन तो लीजिये। और वह घटना एक ऐसी परम्परा है जिसको हमें कायम रखना चाहिये। मैं यह महसूस करता हूं कि उस घटना के सम्बन्ध में हमारा सारा सदन सहमत होगा। वह घटना यह थी कि प्रजातंत्र में बहुमत की बात तो मानी ही जाती है और माननी चाहिये, लेकिन यदि कहीं पर जो बहुमत पार्टी नहीं है और माइनारिटी पार्टी है यदि वह कोई अपना प्रस्ताव रखती है और उसको अगर सरकार मान लेती है तो वह परम्परा अत्यन्त सराहनीय है। कल यही हुआ। इसलिये मैं सारे सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल जो घटना घटी और जिस खुशी के साथ हमने उसको निभाया उसके लिये मेरे विचार से सारे सदन को बधाई मिलनी चाहिये। यही घटना थी जिसका कि हमें आगे भी कुछ संकेत मिलता है और खासकर हमारे विरोधी नेताओं को इसमें प्रसन्न होना चाहिये कि सरकार ने, महामान्य राज्यपाल ने एक संकेत दिया है कि आइन्दा भी ऐसा ही होगा। यह जरा समझने की बात है। इसका तात्पर्य यह है कि आइन्दा भी आपके जितने सुझाव होंगे उनका आदर होगा और इस संकेत का आदर करते हुये मैं माननीय राज्यपाल के लिये इस सदन की तरफ से इस सम्बन्ध में भी बधाई भेजना चाहता हूं।

इसके उपरान्त, उपाध्यक्ष महोदय, जो सम्भाषण सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है पुरानी बातें उसमें नहीं देखनी चाहिये। अब हमारे स्वप्न नये हैं और हमारे दुख नये हैं और हमारी परिस्थिति नयी है इन नयी परिस्थितियों में, नये दुःखों में और नये स्वप्नों के मातहत हमें सम्भाषण पर विचार करना पड़ेगा, पुरानी बातें हम दोहरा नहीं सकते, समय लौट कर नहीं आता।

उल्फतें और भी हैं हिज्र की उल्फत के सिवा,
राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा,
मुझ से वह पहली महबूब मेरे मुझसे न मांग।

इस कारण पुरानी बातें गयीं। अब जो सम्भाषण आया है उसमें हमें नयी चीजें देखनी पड़ेंगी। मैंने तो इसमें चार नये संकेत पाये हैं और उन चारों संकेतों को मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहला संकेत जो मैंने देखा है वह यह है कि संकेतात्मक संकेत दूसरा संकेत जो मैंने इसमें पाया है वह है आपत्तिकालीन संकेत। तीसरा संकेत

मैंने इसमें नियोजन संबंधी असाधारण संकेत पाया है और चौथा संकेत वित्त संबंधी संकेत है। इन चारों संकेतों पर मैं आपकी आज्ञा से थोड़ी-थोड़ी टिप्पणी अवश्य कर देना चाहता हूं। सर्वप्रथम है संकेतात्मक संकेत। आपत्तिकाल में यह निश्चय है और इस पर कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि बोला थोड़ा जाता है और कार्य ज्यादा किया जाता है। शब्द कम होते हैं, ऐक्शन ज्यादा होता है। यह आपातकालीन परिस्थिति का प्रभाव है और इस हिसाब से जो महामान्य राज्यपाल ने सम्भाषण दिया है वह बहुत छोटा है, उसमें शब्द कम हैं और इसके साथ-साथ एक और बात है कि नैचुरल है, साधारण है, स्पष्ट है। यह एक संकेत है जो कि उन्होंने न केवल इस असेम्बली या सरकार को दिया है, बल्कि सारे उत्तर प्रदेश को दिया है। अब समय नहीं है बात करने का। अब समय आ गया है काम करने का, थोड़ा बोलें और ज्यादा काम करें। यह प्रथम संकेत हमें इस सम्भाषण से मिलता है।

दूसरा संकेत जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं वह है 'आपत्तिकालीन संकेत' यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जो किसी समय बड़े अटपटे लगते थे जैसे कि रक्षा दल है, होम गार्ड्स हैं, सिविल डिफेंस, पहली लड़ाई में यह बड़े अखरते थे। लेकिन आज इन शब्दों की भरमार पाते हैं और इससे यह मालूम होता है कि महामान्य राज्यपाल और उनकी सरकार सुरक्षा से और देश की सुरक्षा से पूरी तरह से जागरूक हैं। अब कई शब्द हैं जिनके सम्बन्ध में मैं आपके सामने थोड़ा सा जिक्र कर देना चाहता हूं, यदि विस्तारपूर्वक टिप्पणी करूंगा या व्याख्या करूं तो उसके लिये समय नहीं है। जो शब्द सम्भाषण में आये हैं और जिन योजनाओं का महामान्य राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया है वह यह है नागरिक सुरक्षा योजना, इसके अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा संघटन, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रांतीय रक्षक दल, गृह रक्षक, ग्राम रक्षक, होम गार्ड्स और सिविल गार्डस और इनके पीछे योजनायें भी लगी हुई हैं जैसे नागरिक सुरक्षा समिति, उत्पादन समिति, सामूहिक शिक्षा समिति, इत्यादि यह शब्द पहले बड़े अटपटे लगते थे, लेकिन अब वे ही शब्द बड़े प्यारे लगते हैं क्योंकि प्रांत की पुकार है, देश की पुकार है कि सरकार को जागरूक होना चाहिये। इसलिये सब से पहली महत्ता सुरक्षा को दी गई है और उसके साथ साथ दो अंग और जोड़ दिये गये हैं। इसका पहला अंग है कि कोई सिपाही युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है या निकम्मा हो जाता है तो उनके बाल-बच्चों की सरकार पढ़ाई का प्रबंध करेगी और उनकी फीस नहीं लगेगी। इसका दूसरा अंग है नर्सिंग ट्रेनिंग और प्राथमिक फर्स्टएड की ट्रेनिंग प्रदेश में प्रचलित होती जायगी इस तरह से जितने शब्द मैंने माननीय सदस्यों के सामने रखे हैं उनसे मालूम होता है कि सरकार इस सम्बन्ध में अत्यन्त जागरूक है कि प्रांत की सुरक्षा में और देश की सुरक्षा में हमारा पूरा योग होना चाहिये। यह सम्भाषण में दूसरा संकेत है जो कि नवीन है और पहले सम्भाषणों में नहीं मिलता था।

तीसरा संकेत नियोजन सम्बन्धी है। यह असाधारण संकेत है। इस में भी हमें कई चीजें नई मिलेंगी और वे नई चीजें नई व्यवस्था के अनुरूप हैं। उनमें तीन चार योजनाएं हैं उनका मैं जिक्र करूंगा। उनकी टिप्पणी तथा व्याख्या नहीं करूंगा। इनके नाम बड़े अच्छे-अच्छे हैं। सबसे पहली योजना जो मुझे पसन्द आई है, वह है नागरिक मद्य निषेध प्रभावी योजना। नई चीज है जिसका इसमें जिक्र किया गया है। इसका मतलब यह है कि बजाय इसके कि प्रदेश के चन्द जिलों में यह योजना प्रारम्भ की जाय बल्कि कुछ दिनों यह विषय-हर जिले में लागू होगा। फिर आती है शक्कर उद्योग समिति, बिजली की योजना, उपभोक्ता सहकारी स्टोर्स, डाक्टरों की योजना, इसके बाद निवास व्यवस्था की योजना है जो डेवलपमेंट बोर्ड के अन्तर्गत होगी। उपाध्यक्ष जी, यही चन्द योजनायें हैं जो मैंने सदन के माननीय सदस्यों को बताई हैं और जो सदन के सामने प्रस्तुत हैं और जो असाधारण कही जा सकती हैं यह सारी की सारी योजनायें असाधारण हैं। उसमें एक दो पर टिप्पणी पूरी है। सर्वप्रथम, मेरठ में एक नया मेडिकल कालेज खुलने जा रहा है, और हर मेडिकल कालेज में Students की तादाद बढ़ेगी। यह एक बड़ा काम है जिसका हम स्वागत करते हैं। और इसके सम्बन्ध में हम महामान्य राज्यपाल को बधाई देते हैं।

[श्री नौरंगलाल]

दूसरी इम्पार्टेन्ट चीज ऐपरेंटिस ऐक्ट है। इससे शिल्पकला को बड़ी सहायता मिलेगी। यह चीजें ऐसी हैं जिनको हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते। नियोजन सम्बन्धी यह असाधारण योजनायें हैं पर उसके लिये हमें राज्यपाल की कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिये।

इसके बाद चौथा संकेत वित्त सम्बन्धी है। महामान्य राज्यपाल ने इसमें एक बड़ी खूबी की है और वह यह है कि इतनी बड़ी योजनाओं में जो खर्चा होगा इस सम्बन्ध में बजाय इसके कि वह स्वयं कुछ कहते सब सदन के ऊपर छोड़ दिया कि क्या तरीके होंगे, किस तरह से उन योजनाओं को मीट किया जायगा। सारी की सारी बातें सदन तय करेगा और उचित ही था कि आपातकाल के सम्बन्ध में सदन को पूरा-पूरा मौका मिलना चाहिये कि वह जिस तरह से चाहे खर्चों को पूरा करे। वित्त सम्बन्धी संकेत में एक बात निहित है कि सरकार जहां तक हो सकेगा बचत करेगी और माननीय सदस्यों के बचत सम्बन्धी सुझावों को सरकार अवश्य मानेगी। इस तरह से चार संकेत इस सम्बोधन में मिलते हैं। इन चारों संकेतों को देखते हुये मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि सरकार और महामान्य राज्यपाल ने अपना कर्तव्य अदा किया है।

मुझे एक बात और निवेदन करनी है कि जो यहां पर संशोधन आये हैं उन पर मुझे अधिकार नहीं कि जब तक सदन के सामने प्रस्तुत न हो जायं, मैं उन पर टिप्पणी कर सकूं परन्तु कुछ बातें कह देना चाहता हूं सदन यह कहेगा कि बचत होनी चाहिये। यह भी कहा जायगा कि मिनिस्ट्री कम से कम होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मुझे सिर्फ एक काशन उपस्थित करना है। वह यह कि कोई भी बचत ऐक्ट दि कास्ट आफ इफीशियेंसी नहीं होनी चाहिये। जहां तक मंत्रिमंडल का सवाल है उसका घटाना-बढ़ाना मुख्य मंत्री का काम है। मैंने एक किताब Ramsay Muir की हाऊ ब्रिटेन इज गवर्नड पढ़ी थी। उसमें लिखा है कि ब्रिटेन में जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है उसका यह बड़ा डिफेक्ट है कि वहां पर भी सर्विसरूल है पालिटिकल पावर नियंत्रण नहीं रख सकती उसमें सजेशन दिया है कि एक्सपेंशन आफ पोलिटिकल कंट्रोल होना चाहिये। यही केवल एक तरीका है कि जिस तरीके से इन सिविल सर्विसेज पर कंट्रोल किया जा सकता है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के एक्सपर्ट की यह राय है। तो अगर हम यहां पर उस कंट्रोल को खत्म करें तो हम एक विशेषज्ञ की राय के खिलाफ जायेंगे। हां, एक दूसरे तरीके से कहा जा सकता है और उसका स्वागत भी होगा यदि आप यह कहें कि भत्ते कम कर दिये जायं, तनख्वाह कम कर दी जाय, ट्रेवेलिंग एलाउंस कम कर दिया जाय, थर्ड क्लास के टिकट दिये जायं, अगर इस तरह के सजेशन्स दिये जायं तो बड़ा स्वागत है। यह ऐसी चीजें हैं कि जिनको देखना चाहिये कि वह साउन्ड हैं या अनसाउन्ड हैं। उसके साथ-साथ एक चीज यह भी देखनी होगी कि अगर थर्ड क्लास के टिकट की वजह से किसी मिनिस्टर को गाड़ी नहीं मिल पायी या धक्के वगैरह के कारण और परेशानी उठानी पड़ी तो फिर काम किस तरह चलेगा। इसलिये बचत योजना में तो सब स्वीकार होनी चाहिये मगर एक काशन के साथ Not at the cost of efficiency क्योंकि एफिशियेंसी चली गई तो जिन्दगी चली गई सरकार की। इसलिये जहां मंत्रिमंडल पर आक्षेप हो या सरकार के खर्चे पर आक्षेप हो, वहां एक बात यह सोचनी पड़ेगी कि एफिशियेंसी किसी तरह से भी सरकार की कम नहीं होनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो संशोधन आयेंगे उनमें अच्छे भी होंगे। मैं यह नहीं कहता कि हरएक उनमें ऐसा ही होगा कि जिस पर हम विचार ही न करें, लेकिन कुछ ऐसेभी होंगे कि जो फार्मल होंगे। इन संशोधनों को पढ़ना होगा और गौर करना होगा यह भी आवश्यक है इसलिये कि यह आपत्तिकाल का समय है और इसमें सदन या सरकार कदापि नहीं चाहती कि किसी तरीके से जो हमने परम्परा कायम की है अक्तूबर के महीने में वह समाप्त न हो। हम सच्चे दिल से केवल एक बात चाहते हैं माननीय उपाध्यक्ष जी कि हमारा दिल एक हो और उस दिल की एकता की वजह से कटु से कटु आलोचनायें और कटु से कटु संशोधन भी स्वागत है यदि वह नेकनीयती से आते हैं और आयेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, कहा जा सकता है कि हमारा प्रान्त बड़ी तेजी से नहीं चलता। मानना पड़ेगा कि पंजाब बड़ी तेजी से चला परन्तु पंजाब तो सदैव ही हरावल का कार्य करता है। फौज में हरावल आगे जाता है और वह पहली तलवार चलाता है। उसका यश होता है और नाम होता है। परन्तु यू० पी० जो है यह हरावल नहीं हैं। यह तो आरमी का मध्य है—सेंटर आफ दि होल आरमी। यह धीरे-धीरे चलता है, आहिस्ता चलता है परन्तु जब यू० पी० चलता है तो पीछे नहीं हटता है और जब विजय होती है माननीय उपाध्यक्ष जी, तो वह इस सेंटर के कारण होती है, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह फौरन सरकार से युद्ध हो, चाहे वह डेमोक्रेसी का प्रश्न हो या चाहे वह चीन से युद्ध हो, जब तक यू० पी० का योग उसमें न होगा, तब तक जीतना सम्भव नहीं हो सकता। और यह यू० पी० का ही योग है, यह यू० पी० की ही मध्यवर्ती फौज है जिसको कि सेंटर कहते हैं जिसने विजय प्राप्त की है। यू० पी० सदैव सन्तुलन रखता है। यहां की हवा में सन्तुलन है, यहां के मनुष्य में सन्तुलन है, यहां के लेजिस्लेचर में सन्तुलन है, यहां की सरकार में सन्तुलन है और यहां के विरोधी दल के नेताओं में सन्तुलन है कि मौके पर आकर वह एक साथ स्टैन्ड कर सकते हैं। जब वक्त आता है तो वह अपना कर्त्तव्य देखते हैं और कर्तव्य के पथ पर दृढ़ रहते हैं। इस तरह यू० पी० की हर चीज सन्तुलित है और जो सरकार सन्तुलित होती है, वह एकाएक अपने में परिवर्तन नहीं कर सकती, कल कुछ है आज कुछ है, यह सन्तुलित सरकारों का काम नहीं है। इसलिये जो-जो कार्य यू० पी० की सरकार ने किये हैं उनमें एकदम सीधे परिवर्तन हो नहीं सकता। साउन्ड अनसाउन्ड बात को देखना पड़ेगा। अच्छाई और बुराई को देखना पड़ेगा। इसमें कहां तक सत्य है इसको भी देखना पड़ेगा। यदि कहीं पर हम पीछे रह जाते हैं और उस तेजी से नहीं चलते हैं जिस तेजी से और सबे चल रहे हैं तो उसमें हमको पश्चाताप नहीं है, क्योंकि हमको इस बात का भरोसा है कि जब हमारा कदम आगे बढ़ेगा तो वह पीछे नहीं हट पायेगा। इस सम्बन्ध में मेरा पूरा विश्वास है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बोधन के सम्बन्ध में मेरी ४,५ आशायें बन्धी हैं और उन आशाओं को सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरी जो पहली आशा बंधी है वह यह है कि हमारी सरकार और जनता का जो ढांचा है, जो हमारी एकता का ढांचा है जिस पर हम काम करते हैं वह दृढ़ रहे। हम आपस में लड़ते हैं और झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ढांचा पत्थर की तरह से मजबूत है जिस पर हमारी डेमोक्रेसी कायम है और जिस पर हमारी एकता कायम है। उस एकता का परिचय हमने पिछले अक्तूबर मास में देश को दिया है। वह मेरी आशा सरकार से और विरोधी दल के नेताओं से बंधी है और वह एकता कायम रहे मुझे आशा है इस तरह से हम सदैव इस बात को करते रहेंगे क्योंकि जिस एकता पर हमारी विजय निर्भर है वह एकता यदि टूट गई तो फिर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

दूसरी आशा उससे भी महत्वपूर्ण है। वह आशा यह है कि सरकार सजग हो किन्तु यदि कोई सरकार ऐसे समय में सजग न हो तो उसको सजग होना चाहिये ऐसी सूरत में जो यहां पर रहते हैं, जो जमात रहती है कोई भी हो या हर जमात में अच्छाई और बुराई होती है उन सब से सरकार को सजगता बरतनी है। उन सब के प्रति सरकार को विजिलेन्स धैर्य के साथ रखना है बिना इस बात की परवाह किये कि वह क्या कहती हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को बिल्कुल निडर होकर काम करना चाहिये और इस विजिलेन्स को कम नहीं करना चाहिये क्योंकि फिफ्थ कालमिस्ट यदि प्रदेश के अन्दर पैदा हो गये तो वह भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार की जड़ को काटने का ही प्रयत्न करेंगे। इसलिये यह मेरी दूसरी आशा है सरकार से कि उसको अवश्य यह विजिलेन्स बरतना चाहिये और इस विजिलेन्स को कायम रखना चाहिये।

तीसरी आशा सरकार से जो बंधी है वह यह है कि हमारी सरकार इस समय भ्रष्टाचार निरोधक सम्बन्धी जितने कार्य हैं उन सब कार्यों को महत्ता दे। यह आपत्तिकालीन समय है। पुराने समय में अगर कहीं पर भ्रष्टाचार लोग करते थे तो बुरा लगता था, लेकिन आजकल जब कि जनता ने अपना सहयोग प्रकट किया है तो उस समय इस बात का और भी ध्यान रखना जरूरी

[श्री नौरंगलाल]

है। जब हम जनता पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, जब हम जनता से धन वसूल कर रहे हैं, हम उनसे त्याग ले रहे हैं, हमारी माताओं और बहनों ने गहने दिये हैं और दे रही हैं तो ऐसी सूरत में हमें कोई अफसर, यदि वह बेईमान है, भ्रष्टाचार करता है तो उसको सहन नहीं करना चाहिये। चाहे कोई अफसर हो, नेता हो, एम० एल० ए० हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो अगर वह इस वक्त भ्रष्टाचार करता है तो वह किसी तरह से भी माफ नहीं किया जाना चाहिये। हमको यह समझना चाहिये कि वह गुनाह करता है। यही नहीं कि उसको दंड दिया जाय बल्कि साथ-साथ उसकी पब्लिक ट्रायल होनी चाहिये और सोशल बायकाट होना चाहिये। इस वक्त जनता भ्रष्टाचार सहन नहीं कर सकती है। इस समय सरकार सजग है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर ऐसा कोई उदाहरण सामने आता है तो उसका चालान ही न किया जाय, बल्कि उनको सजा दिलाना चाहिये और उनका सोशल बायकाट होना चाहिये।

चौथी आशा जो सरकार से बंधी है वह यह है कि इस वक्त बचत सम्बन्धी हरएक आइटम को टटोलना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो हमारे सदन के नेता हैं और विरोधी दल के नेता हैं मैं तो उनको विरोधी नहीं कहता, वे सहयोगी दल के नेता हैं उन्होंने सहयोग प्रदान किया है, वे नेता बैठकर बातें करें और जो निर्णय हों सब की सलाह से हों जो उन लोगों के निर्णय हों और जो ठीक हों उनको हमें मानना चाहिये। बचत सम्बन्धी जितने भी प्रयत्न हमारे हो सकें वह हमको करना चाहिये क्योंकि आपत्तिकाल में यह चीज हर सरकार को करनी पड़ती है। यह मेरी सरकार से चौथी आशा है।

इसके अतिरिक्त एक और छोटी सी आशा है। एक अन्याय हो गया है स्वर्णकार वर्ग के साथ और मैं उसी का जिक्र करना चाहता हूं। हमारी केन्द्रीय सरकार ने एक गोल्ड कंट्रोल आर्डर निकाला है·····

श्री उपाध्यक्ष—

वह आर्डर यहां का नहीं है।

श्री नौरंगलाल—

लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को उस वर्ग के साथ पूरी हमदर्दी रखनी चाहिये और अगर हम उनको रिहैबिलिटेट कर सकें तो वह हमें करना चाहिये। इससे अधिक मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता इसलिये कि मैं जानता हूं कि वह हमारे अधिकार के बाहर है।

इस प्रकार यह चार, पांच आशायें मैंने सरकार से बांधी थीं और उनको मैंने स्पष्टरूप से सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है अब इसके बाद केवल एक बात मुझे यह अर्ज करनी है कि आजकल की परिस्थितियों को देखते हुये विभिन्न सदस्य अपने-अपने संशोधन इस सदन में प्रस्तुत करेंगे और उन पर विचार होगा। मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि उन पर विचार तो होगा ही, लेकिन एक बात उनको ध्यान में रखनी चाहिये कि सरकार की भी दिक्कतें हैं। सरकार अपने काम सख्ती के साथ कर रही है और सरकार कर लगाने के काम को कर के खुश नहीं हो सकती। दैट इज एन अनप्लेजेन्ट ड्यूटी। अपने साथियों से कोई चन्दा वसूल करे, उनको परेशान करे, यह कोई सरकार नहीं चाहती, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी को समझती है। अगर सरकार अपनी जनता को नाराज करती है तो वह रह नहीं सकती और यह सरकार इस रिस्क और कठिनाई को जानते हुये भी इस अनप्लेजेन्ट टास्क को कर रही है। सरकार अपने काम की अहमियत को समझती है और यह भी समझती है कि उसे यह काम करना ही पड़ेगा, इससे वह बच नहीं सकती। इसलिये जो हमारे सहयोगी दल के माननीय नेतागण हैं उनको इस बात को ध्यान में रखते हुये आलोचना करनी चाहिये और उनको अपने-अपने संशोधन और विचार सोच समझ कर इस सदन में प्रस्तुत करने चाहिये। हमारे और इनके बीच में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कोई पोलिटिकल गेम नहीं होना चाहिये और न ऐसा कोई

संशोधन ही आना चाहिये। आप संशोधन लायें, प्रस्ताव लायें, हम उन पर विचार करेंगे, लेकिन उन के पीछे कोई पोलिटिकल गेम नहीं होना चाहिये। अगर अपोजीशन फार अपोजीशन होगा तो इट इज नाट दि वर्दी आफ दि लेजिस्लेचर आफ दि डे। तो इसमें कोई फरेब और धोखा नहीं होना चाहिये। संशोधन जो आयेंगे उनमें जो गौर के काबिल होंगे उन पर विचार किया जायगा और उनका उत्तर दिया जायगा, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि आलोचना कटु और कठोर भी हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर नेकनीयती से है तो स्वागत है इस शर्त पर लेतू हादिल हाजिर है तो ले लो रंजिश न हो फरेब न हो इम्तहान हो····

*श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो धन्यवाद का प्रस्ताव हमारे आदरणीय मित्र ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में जिन नीतियों और ऐतिहासिक परिस्थितियों की चर्चा की है, मेरा ऐसा विश्वास है कि इस सदन के आदरणीय सदस्य उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश और देश के आने वाले २, ४,५ वर्षों में हम उन्हीं नीतियों पर अवलम्बित रहेंगे।

श्रीमन्, हमारे देश पर चीनियों का जो आक्रमण हुआ है उसका सैनिक अथवा कूटनीतिक फल कुछ भी हो, लेकिन राष्ट्र ने एक संकल्प किया है कि इस देश के किसी भी भाग को इस अवस्था में नहीं छोड़ा जा सकता, जिससे चीन अपने दुस्साहस की पुनरावृत्ति कर सके अथवा उसके आक्रमण का कोई भी अवशेष इस भूमि पर रह सके। इसीलिये यह निश्चित करना है कि हमें देश के कौन-कौन काम अपने हाथ में लेने हैं। सदन के आदरणीय सदस्य जानते हैं कि पिछले १० साल से हमारे देश में जो योजना चल रही थी उसमें सैनिकीकरण पर, सुरक्षा पर अधिक व्यय नहीं होता था। १९६२–६३ के केन्द्र के बजट को देखा जाय तो इन मदों पर राष्ट्र की आय का २ या ढाई प्रतिशत व्यय होता है। यह रकम ब्रिटेन में १९३० में व्यय होती थी। सन् १९५४ में जब द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ तो ब्रिटेन, फ्रांस ऐसे राष्ट्रों में ६ प्रतिशत से भी ऊपर राष्ट्रीय आय का सुरक्षा पर व्यय होने लगा और आज युद्ध समाप्त हो जाने पर भी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि राष्ट्रों में ६ प्रतिशत उनकी राष्ट्रीय आयों का व्यय होता चला जा रहा है। यद्यपि यह अवश्य है कि वे अनेक मिलिटरी पैक्ट्स नाटो आदि में शामिल हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि सारे देश पर सुरक्षा का बहुत बड़ा भार वहन करने की समस्या आ गयी है। कुछ आदरणीय साथी इस बात को समझते होंगे कि सुरक्षा का प्रश्न तो केन्द्र से सम्बन्धित है, लेकिन इसको भी वह स्वीकार करेंगे कि सेकेंन्ड लाइन को मजबूत रखने के लिये प्रदेश की और खास तौर से उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य की, जो चीन की सीमा से सटा हुआ है, कुछ जिम्मेदारी है। राज्यपाल महोदय ने सुरक्षा के सम्बन्ध में सरकार की नीतियों, जो कि प्रान्तीय रक्षक दल, प्रांविशियल एजूकेशन कोर, नेशनल कैडेट कोर, होम गार्ड्स आदि के सम्बन्ध में है, की चर्चा की है, उन कार्यक्रमों के लिये यह सदन उनको अवश्य धन्यवाद देगा, लेकिन श्रीमन्, एक तथ्य पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज दुनिया के सभी मिलिटरी एक्सपर्ट्स की ओपीनियन है कि मोर्चे पर चाहे कितने अच्छे सैनिक क्यों न भेज दिये जावें, और कितने ही अच्छे शस्त्रास्त्रों से उनको सुसज्जित आप न कर दें, लेकिन बेस की सप्लाई लाइन सुदृढ़ न हो तो सुरक्षा का कार्य पूर्णतया नहीं हो सकता और सप्लाई लाइन को दृढ़ करने में नियोजन का प्रश्न आ जाता है। सुरक्षा की बात करके एजूकेशन के ऊपर ध्यान न देना, उद्योगों के लिये विद्युत् का उत्पादन या उसकी वृद्धि न करना और इसी प्रकार से विरोधी दल के आदरणीय नेता महोदय हमारी इस बात पर हंस रहे हैं। आज उनके क्या मनोभाव हैं, देश की बदली हुई परिस्थितियों में, उसको तो मैं सुन नहीं पाया, तो मैं उसका उत्तर कैसे दे सकता हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह एक बिल्कुल वैज्ञानिक चीज है और कोई अपने देश की सुरक्षा नहीं कर सकता जब तक कि देश में औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन न होता हो और उसके पास ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था न हो। केवल यही नहीं कृषि में भी यदि उत्पादन की वृद्धि न होती हो तो मोर्चे पर चाहे जितने बहादुर सिपाहियों को रखा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्णनन्दराय]

[जाय, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि घर में तो आपके एक संघर्ष मचा है। इस तरह से आप जनता में सुरक्षा की भावना भी नहीं ला सकते। अतः जैसा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने कृषि और विद्युत् आदि के सम्बन्ध में और ट्रान्सपोर्ट आदि के सम्बन्ध में जितनी चर्चायें की हैं, वह सुरक्षा और विकास की दृष्टि से....

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय हो गया है और हम उठते हैं तथा २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कृष्णानन्दराय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जैसा कि राष्ट्र ने संकल्प किया है, देश की सुरक्षा के लिए, यह आवश्यक है कि नागरिक सुरक्षा के लिए सुरक्षा की योजनाओं और आर्थिक विकास की योजनाओं को दृढ़ता से लागू किया जाय और उनके लिए चाहे जो कुर्बानी करनी पड़े वह की जाय।

इसके अलावा और भी प्रदेश के सामने कुछ गम्भीर कार्य हैं। प्रदेश के अनेक भाग अभी इतने पिछड़े हुए हैं, इतनी बेबसी की हालत में चल रहे हैं कि उनके लिए भी विशेष योजनाएं इस सरकार को बनानी होंगी। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में उत्तराखंड की चर्चा की है और जिक्र किया है कि उत्तराखंड में सुरक्षा की योजनाओं के साथ-साथ वहां की जनता के आर्थिक विकास की योजनाओं को भी सरकार चला रही है। इसके लिए राज्य सरकार को और राज्यपाल महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही बुन्देलखंड के बारे में भी उपाय सोचना है।

जहां तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी जनपदों का प्रश्न है, यह तो आज केन्द्रीय सरकार के लिए सर दर्द बन गया है और श्रीमन् को पता है कि केन्द्रीय सरकार के प्लानिंग कमीशन की एक समिति उसके सलाहकार के साथ पूर्वी जनपदों का हाल ही में दौरा कर चुकी है और जांच कर रही है कि उनकी स्थिति क्या है। राज्य सरकार को रोज पूर्वी जनपदों का दौरा करना पड़ता है और उनकी आर्थिक बेबसी, यातायात में बेकारी और शिक्षा में कठिनाइयां हैं, राज्य सरकार उससे परिचित है। मुझे प्रसन्नता हुई होती यदि राज्यपाल महोदय अपने भाषण में एक स्पष्ट नीति की घोषणा किये होते पूर्वी जनपदों के आर्थिक विकास के लिये, लेकिन वह हो चाहे न हो, लेकिन जो विकास और नियोजन का कार्यक्रम चल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार उन जनपदों की समस्याओं की ओर ध्यान देगी। लेकिन श्रीमन्, जब ये बड़े बड़े काम देश के सन्मुख हैं—सुरक्षा के, आर्थिक विकास के, पिछड़े हुए भागों के विकास के—तो कुछ साहस से और कुछ धैर्य से भी काम लेना पड़ेगा। हमारी योजनायें चल नहीं सकतीं जब तक कि इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का और जनता का उनके लिये आवश्यक साधन जुटाने में पूर्ण रूप से सहयोग नहीं होगा। जिस प्रकार हम अपनी योजनाओं में रुचि दिखलाते हैं, उसी प्रकार हमें उनके पूरा करने के लिये जो भी साधन हैं उनको एकत्र करने में भी हिम्मत दिखाना चाहिये। माननीय राज्यपाल महोदय ने बहुत ही उचित रूप से इस ओर संकेत किया है कि बहुत ही विवेक और धैर्य से इन रिसोर्सेज की क्राइसेज का मुकाबला किया जा सकता है किन्तु इसके साथ ही साथ हमें अपने आत्मबल की क्राइसेज को उत्पन्न नहीं होने देना है। (लाल बत्ती होने पर) अभी तो मुझे बहुत कम समय मिला है।

श्री अधिष्ठाता—

आप ८–९ मिनट बोल चुके हैं।

[श्री कृष्णानन्दराय--]

तो श्रीमन्, मैं एक शब्द यह और निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आज सवेरे इन सब संशोधनों को पढ़ रहा था। मुझे दुख हुआ यह देखकर कि आज की परिस्थिति को देखते हुये वे नहीं थे। हमें आज की परिस्थिति के अनुसार ही उन पर विचार करना चाहिये। हमारे साथी ने शतप्रतिशत हिन्दी के प्रयोग के विषय में संशोधन रखा है। हिन्दी के विकास के लिये हमारी सरकार काफी प्रयत्नशील है और अब तो उसने यह तय भी किया है कि बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान आदि से पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही होंगे। मैं एक बार इस समाजवादी पार्टी का इलैक्शन मैनीफेस्टो पढ़ रहा था। उसमें हिन्दी के शतप्रतिशत प्रयोग करने की बात थी और यह लिखा था कि जो अहिन्दी भाषा वाले प्रदेश में उनको जरूर कुछ कठिनाई होगी, उनके लिये अच्छा यह होगा कि १० वर्ष तक जितनी गजेटेड पोस्ट हों अहिन्दी भाषा वालों को दे दी जायं। इससे आप समझ सकते हैं कि यह उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश आदि वालों के लिये कितने पिछड़ेपन की बात होगी। मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी भाषा या राष्ट्र भाषा का जितना अनादर समाजवादी पार्टी ने किया है उतना अन्य किसी ने नहीं। इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

पूर्व इसके कि मैं माननीय नेता विरोधी दल को आवाहन करूं, मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। मेरे पास दो संशोधन आये हैं। यद्यपि वे दोनों समय के बाद आये हैं, किन्तु मैं उनको स्वीकार करता हूं और उन्हें मैं माननीय सदन के सामने पढ़ कर सुनाऊंगा। जो भी और सब संशोधन हैं वे सभी प्रस्तुत किये हुये मान लिये जायंगे, उनको प्रस्तुत करने की अलग-अलग आवश्यकता नहीं होगी। जिन माननीय सदस्यों ने उनको प्रस्तुत किया है उनको बोलने के लिये समय मिलेगा। इस तरह से मैं इस सदन का कुछ समय बचा सकेंगे। एक संशोधन माननीय गंगाधर मैठाणी का है जो इस प्रकार से है--

"धन्यवाद के प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया गया है:--

(१) उत्तराखंड और कुमायूं डिवीजन में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम को लागू किया जाय।

(२) क्षेत्र समिति विधेयक को उत्तराखण्ड डिवीजन के विकास क्षेत्रों में लागू किया जाय।

(३) जिला परिषद् अधिनियम को उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के समान उत्तराखंड डिवीजन के चमोली उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों में भी लागू किया जाय।

(४) उत्तराखंड को लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया से वंचित कर जनता के मनोबल को निर्बल न किया जाय।"

दूसरा संशोधन सर्वश्री बनवारीलाल विप्र, लखपतराम शर्मा, गंगाप्रसाद वर्मा का है जो इस प्रकार है--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें:--

खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का जिक्र जो जनहित में आवश्यक था, नहीं किया।

(१) समाजवादी व्यवस्था का लाभ जब कि जनता को होना था उसके विपरीत उसे दिन प्रति दिन बेरोजगारी, भुखमरी व बढ़े हुये टैक्सों का शिकार होना पड़ रहा है जिसे दूर करने का कोई ठोस उपाय नहीं बताया गया।

[श्री अधिष्ठाता]

(२) राइफिल ट्रेनिंग व बन्दूक इत्यादि की ट्रेनिंग का जनता को दिलाये जाने का जिक्र है वहां प्रदेश में बन्दूकों वा राइफलों तथा कारतूसों के बढ़े हुये भावों (ब्लैक)को रोकने का कोई जिक्र नहीं, जबकि लाइसेंस दिये जाने में भी सरकार की उदार नीति का बताया जाना इस समय आवश्यक था ।

(३) जबकि एक ओर कुछ मदों पर खर्चे की कमी का जिक्र है उसके विपरीत मंत्रि-मंडल पर जनता के खून व पसीने के पैसे का भारी मात्रा में जो खर्च किया जा रहा है उसमें कमी का कोई जिक्र नहीं है जबकि वर्तमान परिस्थितियों में मंत्रि-मंडल का छोटा किया जाना अत्यन्त आवश्यक था ।

(४) प्रदेश में शराब के ठेकों की छूट दिये जाने का जो जिक्र है उससे प्रदेश की जनता को भारी हानि होगी । के चोरी, बेरोजगारी, मुकदमेबाजी व तरह तरह की बीमारियां गरीबों में बुरी तरह बढ़ेंगी ।

(५) जहां एक ओर बिजली के प्रसार का जिक्र है बुन्देलखंड पिछड़े प्रदेश की उन्नति के लिये अब तक माताटीला बांध से बिजली न दिये जाने का कोई जिक्र नहीं है जबकि सन् १९६३ के प्रारम्भ में बिजली वहां पहुंची थी । और न ही बुन्देलखंड की उन्नति के लिये कोई कारखाने का निर्माण वहां किये जाने का जिक्र है । झांसी बिजली कम्पनी जो ८ आना प्रति यूनिट जनता को वर्षों से दे रही है वह उन्नति के कार्य में इस प्रकार बाधक है जनता की राष्ट्रीयकरण की मांग के पश्चात् भी उसका राष्ट्रीयकरण किये जाने का कोई जिक्र नहीं किया गया ।

(६) कई नगरपालिकाओं के कुप्रबन्ध को देखते हुये सरकार द्वारा उसका इन्तजाम अपने हाथ में कर लिये जाने का जिक्र है जब झांसी नगरपालिका अपनी बदइन्तजामी और भ्रष्टाचार के मामलों में प्रदेश में एक विशेष स्थान रखता है । वह वहां के अध्यक्ष के विरुद्ध भारी तादाद में संगीन मामले होने के उपरान्त भी न तो नगरपालिका को सरकार के अधीन किये जाने का जिक्र है और न ही अध्यक्ष के विरुद्ध कानूनी कदम उठाये जाने का जिक्र है ।

(७) प्रतिक्रियावादी शक्तियां जब कि एक ओर बढ़ाओं पर हैं उनकी रोकथाम का कोई जिक्र नहीं किया गया ।

(८) सत्ताधारी दल की ओर से अपनी पार्टी के लोगों को बचाने के लिये न्यायालयों के कार्यों में जिस प्रकार हस्तक्षेप किया जाकर संगीन धाराओं के मुकदमों को न्यायालय से वापस ले लिया जाता है इस प्रकार की दूषित व पक्षपातपूर्ण नीति के विरुद्ध कोई जिक्र नहीं है जो जनहित में आवश्यक था ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

अभी जो आपने आज्ञा दी, शायद मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया । संशोधनों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावेंगे या प्रस्तुत किये हुए माने जायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता---

नेता विरोधी दल अपना संशोधन प्रस्तुत करें । शेष माननीय सदस्यों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । उनके संशोधन प्रस्तुत किये हुए माने जावेंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

पहले यह प्रक्रिया होती थी कि सभी संशोधन पढ़े जाते थे और उसके बाद नेता विरोधी दल को बोलने का आदेश होता था, वह बोलते थे ।

श्री अधिष्ठाता---

मैं समझता था कि माननीय उग्रसेन जी मेरे निश्चय का स्वागत करेंगे । मैंने यह निश्चय नियम के विरुद्ध नहीं किया है और समय बचाने के लिये किया है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं धन्यवाद के प्रस्ताव में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय:---

किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया गया है:---

१---उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा निधि संग्रह के कार्यों में जनता पर विशेष कर किसानों पर प्रशासन के दबाव का प्रयोग करने की अपनायी हुई नीति के फलस्वरूप प्रदेश में व्यापक असन्तोष एवं सुरक्षा प्रयासों के प्रति उदासीनता फैल रही है।

२---उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि एवं नियंत्रण न रखने के कारण प्रदेश की, विशेषकर सीमा क्षेत्रों के प्रदेश की, आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है।

३---उत्तर प्रदेश सरकार आपातिकालीन स्थिति का अनुचित लाभ उठा कर भारत सुरक्षा कानून का दुरुपयोग कर विरोधी दलों एवं समाचार-पत्रों के विचार स्वतंत्रता पर दलगत स्वार्थों के लिए कुठाराघात कर रही है।

४---उत्तर प्रदेश सरकार के नये वित्तीय साधन जुटाने के पहले अपने खर्चों में भारी कटौती करना चाहिए। मन्त्रियों की संख्या की कमी, फालतू स्टाफ की छटनी, बड़ी-बड़ी तनख्वाहों और भत्तों में कटौती आदि मितव्ययिता की योजनाओं को काम में लाना चाहिए। दिखाऊ खर्चे बिलकुल काट देना चाहिए। एक हजार से अधिक मासिक आय वालों को एक हजार से अधिक का वेतन सुरक्षा बांडों के रूप में दिया जाना चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ कहने के पहले आज के एक दृश्य पर कुछ कहना चाहूंगा जिसे देख कर मुझे दुख हुआ। मैं कहना नहीं चाहता था परन्तु जो लोग प्रदेश के दूर-दूर के कोनों से आकर गैरलरीज में बैठते हैं जिनके लिये मैं अंग्रेजी में कहूं कि 'दे आर दी मास्टर्स आफ दि हाउस (They are the masters of this House) उन्होंने अभी मुझसे कहा कि क्यों साहब, प्रश्नों का समय समाप्त होते हीं---मुझे क्षमा करेंगे अगर किस को कष्ट हो लेकिन मैं उन्हीं के शब्दों में कहूंगा---माननीय सदस्य खरगोश की गति से भी तेज बाहर भाग जाते हैं और जबकि आज वादविवाद का प्रारम्भ ही है। चाहे जिधर के बैठने वाले हों, वे हम और आपसे छिप सकते हैं, लेकिन उनसे नहीं छिप सकते। इसलिये उनके मन की इस प्रतिक्रिया को सोचना चाहिए। जनतंत्र में आवश्यक है जनता के प्रतिनिधियों, शासन के कार्यों में और दूसरी ओर जनता की आशाओं और आकाक्षांओं में साम्य होना चाहिये। जनता चाहती है कि हम सब उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करें। जनता की इस अपेक्षा के अनुरूप हमने कार्य नहीं किया है। इस दृष्टि से हमें इस पर विचार करना चाहिये। मैं इस पर और अधिक नहीं कहूंगा।

श्रीमन्, यह सत्य है कि जब हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण हुआ तो जिस राष्ट्रवादिता का, जिस राष्ट्रत्व का, राष्ट्र के प्रति आत्मसमर्पण करने का परिचय जनता ने दिया और उस परिचय को देख कर जिन लोगों की श्रद्धा और विश्वास केन्द्र और देश के बाहर थे वे भी उस परिचय या भावना के साथ बहे, क्या उस राष्ट्रवादिता का, उस भावना का जनता की, या जो अपेक्षा जनता सरकार से करती थी उसकी सरकार ने पूर्ति की? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। सबसे बड़ी जनता की आकांक्षा और अपेक्षा थी कि यह जो इतना वृहद् मंत्रिमंडल है---हमारे और सरकार के मत कुछ भी हुआ करें---परन्तु जिनके बल पर हम यहां बैठे हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जिनके बल पर आज विदेशी आक्रमण मुका काबला करने का जीवन जाग्रत हुआ, क्या आज उनका यह मत है कि यह मंत्रिमंडल इतना विशाल रहे? इतना बड़ा मंत्रिमंडल नहीं होना चाहिये। आखिर उन्हीं के पैसे को हम खर्च करते हैं। आज उसका आदर करने का, उनकी भावना का आदर करने का, राज्यपाल महोदय के सम्भाषण में मुझे कहीं भी संकेतमात्र नहीं मिला। मैं संकेत की

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

की बात यों कहता हूं कि धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय सदस्य ने चार महान् संकेतों की बात कही। मैं समझ नहीं पाया कि संकेत शब्द का अर्थ क्या है। चारों बातें तो पुरानी हैं। संकेत उसका होता है जो भावी हो, भविष्य में सरकार करना चाहे, जो जनमत का विचार है उस ओर हमको प्रेरणा दे। तो माननीय राज्यपाल महोदय का सुपरसोनिक संकेत रहा जिसे हम समझने में असमर्थ रहे। माननीय मुख्य मंत्री जी के व्यक्तिगत कुछ भी विचार हों, परन्तु मैं आशा करता था कि जनता की भावना का वह आदर करेंगे। मुझे दुःख है कि माननीय गोविन्द सहाय जी उपस्थित नहीं हैं। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। इलाहाबाद में उन्होंने बड़ी साफ बात कही कि लोग मंत्रिमंडल कम करने के लिये इसलिए हल्ला करते हैं कि हमारे अन्दर गुटबाजियां हैं और एक आदमी भी हटेगा तो हमारा मंत्रिमंडल फेल हो जायगा। यह आपकी भावना है। शासन प्रजा की भावनाओं का आदर करने के लिये होता है, आपको जनता की भावना का आदर करना चाहिये। इकोनामी की बात करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष इकोनामी आप नहीं करते हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं और कहूंगा भी नहीं। परन्तु इशारा करूंगा। इकानामी कमेटी की बैठक हुई। प्रस्ताव आपके पास आये और वे आप ही के प्रस्ताव हैं। अधिष्ठाता महोदय, आप भी थे उसमें। हमारे प्रस्ताव वे नहीं हैं। अगर आप सही मानों में इकानामी चाहते थे तो उन प्रस्तावों से जब आप सहमत हुए, तो उन्हें आप ने लागू क्यों नहीं किया? २, ३ महीने से किस अचार की पोटली में बांध कर आपने उन्हें रखा? इसके ऊपर भी आप सोचें। इतना बड़ा सुरसाकार मंत्रिमंडल और उससे भी विशाल यह सेक्रेटेरियेट वैस्टेड इंटेरेस्ट बन गये हैं। जिसको हटाने की बात करेंगे, जहां कहीं कमी की बात करेंगे, वही काउन्टर प्रैशर लावेगा। अगर सही मानों में इकानामी चाहते हैं। मैं किसी की नीयत पर आक्रमण नहीं करूंगा——मैं जानता हूं कि आपकी नीयत ठीक है, परन्तु यह भी जनता हूं कि आप शासन में कमजोर हैं, आप सबको प्रसन्न करना चाहते हैं। शासन सबको प्रसन्न नहीं कर सकता। समाज-रंजन राज्य का कर्त्तव्य है, परन्तु ग्रुप-रंजन राज्य का कर्त्तव्य नहीं है। इकानामी के सुझाव आये, आपने माने। लेकिन उसके बाद घुड़दौड़ शुरू हुई, काउन्टर प्रैशर हुए और एक-एक करके वे प्रस्ताव——मैं क्या हूं——डैड लेटर जैसे होते गये। क्या इससे इकानामी होगी? सही मानों में आप इकानामी चाहते थे, तो जिस समय इकानामी कमेटी में आप बैठे थे——और मैं समझता हूं कि वे प्रस्ताव आपकी केबीनेट की सब-कमेटी से आये थे। जिस समय आपने उनको पढ़ा, उसी समय उनको आप स्वीकार करते। उसी क्षण आप आज्ञा देते कि ये चीजें कल सुबह से लागू होंगी और उसके बाद आपके पास कोई काउन्टर प्रेशर आता तो आप कहते कि हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं हैं। उसके बारे में आपने क्या किया, इसको भी मैं यहां नहीं कहता हूं केवल इशारा ही कर देना चाहता हूं। आप वास्तविक रूप से एकोनामी नहीं कर रहे हैं।

आप ब्लाक्स को ही देख लीजिये। ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० आदि अनेक अधिकारियों की पलटन खड़ी है। आप बता नहीं सकते कि ब्लाक्स से समाज को क्या लाभ हुआ है, सिवाय इसके कि कुछ लोगों को अधिक नौकरियां मिल गयी है। एक निष्पक्ष कमेटी बिठा दें और उसकी रिपोर्ट को आप देख लें। कुछ नौकरियां बढ़ गयी है, कुछ रुपये का वेस्ट अधिक हो गया है, लेकिन जिस मात्रा में उससे समष्टि को लाभ होना चाहिये वह नहीं हुआ है। क्या आज का आदमी इस चीज को देखता नहीं है? वहां का आदमी सब समझता है। उससे कहा जाता है देश की रक्षा के लिये, तो वह जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता है। लेकिन वह कहता है कि हमारे लिये बच्चों को दूध भी नहीं है, डाक्टर नहीं है, हमारे पैरों में पनही नहीं है, लेकिन इन बी० डी० ओ० और ए० डी ओ० की तरकारी खरीदने के लिये जीप जाती है।

अभी की बात है। १५ जनवरी को मैं मिर्जापुर शिकार खेलने गया था। पीपरी में रिहन्द बांध की ओपिनिंग सेरेमनी हुई। मैं मंत्री जी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक मंत्री जी वहां गये थे। उनको रात को दूध पीने की आदत थी, बच्चे दूध पीते हैं न? उनको

भी बचपन की एक आदत थी, वहां तो दूध मिला नहीं, तो एक जीप पीपरी से राबर्टसगंज दूध लेने के लिये गयी। जिनको आप अशिक्षित कहते हैं, उनमें से एक इंजानी ग्राम के आदमी ने मुझसे यह बात कही कि हमें अगर किसी डाक्टर की आवश्यकता होती है और फारेस्ट डिपार्टमेंट का टेलीफोन लगा हुआ है, लेकिन हमारे लिये डाक्टर को नहीं मंगाया जाता है जबकि मंत्री जी के लिए दूध लेने के लिये गाड़ी दौड़ाई जाती है।

इसी सिलसिले में १८ मील की एक सड़क बनायी गयी। किस लिये ? सिर्फ इस ओपनिंग सेरेमनी के लिये म्योरपुर से पीपरी तक सड़क बनायी गयी। क्या इसी प्रकार से आपको इमरजेंसी का ध्यान है ? कितना रुपया आपने उसमें फूंक दिया ? उसके बाद वहां दावत हुई ? कितने ही एम्बेसेडर्स और हाई कमिश्नर्स आये। जो लोग वहां गये थे उस दृश्य को जानते हैं। आखिर इमरजेंसी के नाम पर इस प्रकार की फिजूलखर्ची की क्या आवश्यकता थी ? पीपरी के रिहन्द डैम की ओपेनिंग सेरिमनी में अगर इतना रुपया खर्च न किया जाता तो क्या हम चीन से लड़ाई में हार जाते ? क्या चीन से लड़ाई में जय और पराजय रिहान्द डैम की ओपेनिंग सेरिमनी पर निर्भर थी? वह सारा पैसा जो देश की सुरक्षा में लगाया जा सकता था उसे वहां खर्च किया गया। अधिष्ठाता महोदय, एक जोड़ा शेर के बच्चे प्रेजेन्ट करने के लिये यू० पी० के सारे डी० एफ० ओ० दिल्ली में विराजमान हैं, आखिर यह क्या बात है ? जिसने पकड़ा वह चला जाता या वन मंत्री व चीफ कंजरवेटर चले जाते, सारे डी० एफ० ओज० वहां क्यों गये ? आप इसको रोक नहीं सकते हैं और तब तक नहीं रोक सकते हैं जब तक कि आप अपने मंत्रिमंडल को कन्ट्रोल नहीं करते और जिन अधिकारियों से आप काम लेते हैं उनसे नाजायज काम करवाना बन्द नहीं करते। आज जनता को अपेक्षा थी कि आप इकोनामी के सारे रूप को उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में रखते, परन्तु उसके बारे में कहीं भी कोई विचार राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में नहीं प्रकट किया गया है। फिर हम कैसे विश्वास करें कि आप वास्तव में इकोनामी चाहते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है—"The taste of the pudding lies in the eating of it." मिठाई का मिठास उसके खाने में ही है। क्या संभाषण से और सद्भावना से उसका प्रकटीकरण होने वाला है ? नहीं होने वाला है।

श्रीमन्, कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से बहुत-सी दूकानें खोलने की बात कही गयी है, जिससे चीजों के भाव घटें। पिछले १० वर्षों के अन्दर इन कोआपरेटिव सोसाइटीज में जितने एमबिजिलमेंट्स के सम्बन्ध में प्रश्न हुए हैं उन सब को इकट्ठा करके छांट लिया जाय तो मालूम हो जायगा कि कितनी संख्या में एमबिजिलमेंट्स के केस में वे इंवाल्ड हैं। इस विभाग में जिस तरह की गड़बड़ियां हैं उनको देखते हुए क्या इस इमर्जेंसी के काल में आप चीजों के प्राइस लेविल को गिरा सकते हैं ? मैं स्पष्ट कहता हूं कि साल छः महीने में ही आप देखेंगे कि ये सारे कोआपरेटिव स्टोर्स भ्रष्टाचार के स्थान बन कर ही रह जायेंगे। हमारी सरकार के जो आफिसर्स हैं वे भी आई० ए० एस० मेन्टिलिटी के हैं। कोआपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर एक आई० ए० एस० महोदय हैं। अगर इस तरह से आई० ए० एस० वालों को हेवन बार्न टेलेंट का माना जायगा तो कोआपरेटिव स्टोर्स की जिन्दगी का सत्यानाश बहुत जल्दी ही हो जायगा। उनका अनुभव भी केवल ४ वर्ष का है जबकि कोआपरेटिव विभाग के अन्दर ही सैकड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने जीवनपर्यन्त ईमानदारी से उसकी सेवा की है, उनके अनुभव का लाभ क्यों नहीं लिया जाता ? वे अपने अनुभव से कोआपरेटिव विभाग को ज्यादा लाभ पहुंचा सकते थे, जबकि वहां एक ऐसे आई० ए० एस० को रखा गया है कि जो अनुभव के नाम पर बिल्कुल शून्य हैं। इसका मतलब यह है कि आप के शासन में इतनी भी पात्रता नहीं है कि वह सही आदमी तक को चुन सके। आप का मन्त्रि-मंडल सुरसा की तरह बृहदाकार है, लेकिन उसमें इतनी भी पात्रता नहीं है कि वह अपने ही आदमियों में से ही अच्छे आदमियों को चुन सके। फिर आप दूसरों की क्या बात करते हैं ? आज आपकी इन सारी चीजों को समाज देखता है, आज समाज जाग्रत हो गया है, केवल नारेबाजी करने से या भाषण देने से काम नहीं चलने वाला है। आज तो कर्तव्य करने की जरूरत है। मैं श्री नौरंगलाल जी की उस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बोलना

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

कम और करना ज्यादा होना चाहिये। मेहरबानी करके इस सिद्धान्त को आप पहले उधर ही लागू कीजिए। अखबार में पहले आप लीजिये, सुबह से शाम तक उन में ९ बटा दस में यही भरा रहता है कि आज मंत्री जी ने फलां भाषण दिया, फलां उद्घाटन किया। जब उनका यही काम रह गया है तो फिर अब काम कौन करे? जाहिर है कि फिर तो उनके काम अफसर ही करेंगे। मैं उन को क्या कहूं संस्कृत में कहा जाता है कि यदि सूर्य की तरह हर जगह बुद्धि न पहुंच पाती हो तो चुप रहना ही अच्छा होता है। आज जो अपेक्षा समाज उनसे करता है उस को वह पूरा नहीं कर रहे हैं। आप हर समय एमर्जेंसी का नारा लगाते हैं, परन्तु यहां आज एमर्जेंसी है किस चीज की? यह कोई हाट वार तो है नहीं। आप एमर्जेन्सी का नारा लगाते हैं और कोलम्बो प्रस्ताव भी स्वीकार करते हैं, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाता, यह विषय भी यहां का नहीं है, परन्तु हमारे आत्म सम्मान को इससे अधिक ठोकर और क्या हो सकती है।

आज हमारे यहां यह एक कोल्ड वार है और एक वार आफ नर्व्ज चल रही है और इस तरह की कोल्ड वार रूस और अमरीका के बीच १५ साल से चल रही है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने यहां किसी एमरजेंसी का नारा नहीं लगाया। वह समझते हैं कि एमर्जेन्सी तब आरम्भ होती है जब प्रत्यक्ष संघर्ष होता है। एक ओर तो एमर्जेन्सी और दूसरी ओर सुलह की बात हो रही है तो आज कैसे जनता यह समझ ले कि आप के यहां कोई एमर्जेन्सी है। आप स्वयं ही अपने कृत्य से एमर्जेन्सी का नाश कर रहे हैं। एक बड़े महापुरुष का वाक्य है कि "We will prepare for war through the methods of peace" शांति और युद्ध की तैयारी के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं, युद्ध की तैयारी में सर्वस्व लगाया जाता है, उस समय यह नहीं कहा जाता कि अभी हम तैयार नहीं हैं, उस समय राष्ट्रवाद उच्च स्तर पर लाया जाता है। मैं प्रमाण दिये देता हूं क्योंकि आजकल के लोगों की आदत हो गई है कि हर बात में विदेशी प्रमाण ही दिये जायं। वह देश जो राष्ट्रवाद के नाम से घबराते हैं, रूस ही की बात मैं कहता हूं। जिस समय उस पर जर्मनी का आक्रमण हुआ तो उसके पास कोई अपनी युद्ध की साज-सज्जा नहीं थी उसने अमरीका से और दूसरे देशों से हर प्रकार की सहायता ली, उसने यह नहीं कहा कि अभी ठहर जाओ जब हम शक्तिशाली हो जायंगे तब उस को भगा देंगे। सन् १८१५ में जार ने कहा था कि "Defend holy Mother Russia, it is a holy war." और यही वाक्य स्टालिन के भी थे। उस समय शान्ति की बात वहां नहीं की गई, देश को बचाने का प्रश्न उनके सामने था। केवल राष्ट्रवाद पर ही लोग किसी देश में बलिदान की वेदी पर चढ़ते हैं, लेकिन शांति मार्ग पर किसी देश में बलिदान का प्रश्न नहीं उठता। अगर आज युद्ध की तैयारी है तो उस के लिये अस्त्रशस्त्र की तैयारी और निर्माण की आवश्यकता है। हमारे कृष्णानन्द राय जी बड़ा जोरदार भाषण दे रहे थे। वह प्लान बराबर है सप्लाई की बात कह कर एक लाजिस्टिक भूल कर रहे थे। खैर वह कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, वह बोलते ही नहीं यह हालत है उनकी। प्लानिंग आफ वार बिल्कुल अलग चीज है उसमें शस्त्र स्त्र की पूरी तैयारी होती है, हर तरह का रा-मेटीरियल और स्टेटेजिक इम्पार्टेंस का सामान पूरी कोशिश से बनाया जाता है लेकिन आप के यहां इस दिशा में क्या हो रहा है? यह कहना कि जब हमारा देश वार एकानामी में सेल्फ सफीशियेंट हो जायगा तब हम आक्रमण को समाप्त करेंगे। ऐसी बात किसी देश में कभी नहीं हुई, रूस भी, जब जर्मनी ने आक्रमण किया तो तैयार नहीं था, उस को भी अरबों के हथियार दूसरे देशों से लेने पड़े और हर प्रकार की सहायता उसने ली। अमरीका जैसा देश भी सेल्फ सफीशियेंट नहीं रहा। जब पर्ल हार्बर पर हमला हुआ तो यह इंतजार नहीं किया गया कि हम अभी कोई प्लान बना लें या कोई फैक्टरी चला लें, लड़ाई शुरू हुई और बाहर से सहायता ली गई, चाहे उन्होंने कर्जा लिया या कुछ भी किया, लेकिन वह पूरी तौर पर दुश्मन के खिलाफ जुट गये। तो एमर्जेन्सी के नाम पर यह नारा लगाना कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, गलत है। यह इमर्जेन्सी का मिसयूज है। आज वास्तव में राष्ट्र में इमर्जेन्सी है नहीं। आज कोल्ड वार की स्थिति है। आज हमको इसकी आवश्यता है कि हम जानें कम्युनिस्ट चीन का उद्देश्य क्या है, किस दृष्टि से उसने हमारे ऊपर

आक्रमण किया है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? इसकी जानकारी आवश्यक है। आज मैं कहता हूं कि इमर्जेन्सी केवल दलगत स्वार्थ के आधार पर लगाये बैठे हैं और कुछ नहीं।

फिर दूसरा पहलू देखें। इमर्जेन्सी के नाम पर आप इलेक्शन नहीं करेंगे। आखिर इलेक्शन ही तो पब्लिक ओपीनियन का टेस्ट है और बाई इलेक्शन तो सबसे बड़ा टेस्ट है। इंगलैंड में १९४२ में जिस समय बैटल आफ़ ब्रिटेन हो रही थी उस समय भी उन्होंने उतनी महत्वपूर्ण इमर्जेन्सी में काक्स्टन शहर का इलेक्शन पोस्टपोन नहीं किया। चर्चिल का आफ़िशियल कैंडीडेट हार गया, लेकिन बाई इलेक्शन हुआ। आप क्यों इलेक्शन से मुंह मोड़ रहे हैं? आप हृदय में जानते हैं कि आपने गलतियां की हैं और वे प्रकाश में आ गई हैं। आज इमर्जेन्सी के नाम पर उन पर परदा डालना चाहते हैं। आप शासन करिये शौक से, लेकिन अपनी गलतियों से सीख कर। अभी उदाहरण दूं, आज सुबह माननीय नवलकिशोर जी ने गोरखपुर फायरिंग में क्या उत्तर दिया? आश्चर्यजनक उत्तर था। सब से बड़ा आश्चर्यजनक यह कि कुछ लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन किया वे कौन लोग थे? कुछ कांग्रेसी मंत्री नगर के, कांग्रेस पार्टी के आर्गेनाइजर और कुछ उनके दो-एक प्रिन्सिपल्स थे, वही देहाती मसल है कि 'बाप पूत बराती, माई अजिया गौनहर'। यह इन्होंने बरात इकट्ठा की और पोस्टपोन इमर्जेन्सी के नाम पर कर दिया। जब देखा जनता में असंतोष है और काले झंडे दिखाये गये तो कहा फिर से इन्क्वायरी करो। क्या इन्क्वायरी पोस्टपोन करने के लिये बैठायी थी? उस समय तो बराबर चीन का आक्रमण हो रहा था जब इन्क्वायरी बैठायी थी। उस समय यह तर्क क्यों नहीं लिया? आज जब कोल्ड वार है और यह तर्क लेते हैं तो यह बात समझ में नहीं आती। यह गलत बात है। किस प्रकार इमर्जेन्सी का दुरुपयोग.....

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--

इमर्जेन्सी शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं....

श्री अधिष्ठाता--

जब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है तो आप बैठें।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

जब बोमडिला का फ़ाल हो रहा था और डर था तेजपुर देश से चला जायगा उस समय आपने इन्क्वायरी बैठायी थी....

श्री एस० जी० दत्त--

आन ए प्वाइंट आफ़ क्लैरीफ़िकेशन, मैं इमर्जेन्सी का क्लैरीफ़िकेशन चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपको अनुमति नहीं दी, आप कृपया बैठें।

श्री यादवेन्द्र दत्त--

माननीय सदस्य चेम्बर्स डिक्शनरी निकाल कर देख लें मुझ से पूछने के बजाय। तो मैं कह रहा था उस समय तो आपने पोस्टपोन नहीं किया, सब विचार कर के आपने इन्क्वायरी मा ली तो आज क्यों पोस्टपोन किया? जैसा माननीय नरसिंहनारायण जी, उग्रसेन जी ने कहा दलगत स्वार्थ के आधार पर सरकार ने ऐसा किया। मेरा चार्ज है सरकार दलगत स्वार्थ के आधार पर इमर्जेन्सी का प्रयोग कर रही है। वास्तविक इमर्जेन्सी नहीं है, बल्कि इमर्जेन्सी को नाम पर आप जनता की अपेक्षायें जिनको आप पूर्ण नहीं कर सके उन को दबाना चाहते हैं। राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन के अन्त में जो कहा "हमारा उत्तरदायित्व द्विगुणित है--एक तो अपने स्वप्नों के राष्ट्र के निर्माण का तथा दूसरे आक्रामक को हटाने की तैयारी का।" सही बात है "रिपैल द्री ऐग्रेसर"। आज इस कोल्ड वार में कहा एग्रेशन रिपैल हो, यह सोचने की बात है। आज उस की ओर राज्यपाल के सम्बोधन में संकेत होना चाहिये? एक भी संकेत नहीं है। आज हमारा शत्रु कौन है? उसके टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी क्या हैं। प्रत्यक्ष है कि आज कम्युनिस्ट चीन हमारा शत्रु है और उसके स्ट्रेटेजी या टैक्टिक्स माओत्से तुंग जो

[श्री यादवेन्द्रदत्त]
उसके तानाशाह हैं उनके आधार पर होंगे। उन्होंने टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी के बारे में क्या लिखा है, मैं आपकी आज्ञा से थोड़ा पढ़ देना चाहता हूं। चार भाग में उनकी पोलिटिकल ग्रन्थावली है। पहले भाग में उन्होंने कहा है। राजसत्ता बन्दूक की नली से उगती है और यह भी कह सकते हैं कि बन्दूक से सारी दुनियां को मोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि आक्रमण हो, सशस्त्र आक्रमण हो। अटैक दि हालो। और हालो कौन है? जिस देश में गड़बड़ी मची हो। यह बिल्कुल क्लियर-कट बात है कि दुनियां में कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता हमेशा बन्दूक के बल पर आयी है, जनतंत्र के बल पर कहीं नहीं आयी है।

अगर आप मुझे थोड़ा समय और दें दे तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अधिष्ठाता--
आप ५ मिनट और बोल लें।

श्री यादवेन्द्रदत्त--
मैं १०-१५ मिनट चाहूंगा अगर आप कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता--
आप ७ मिनट बोल लीजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त--
तो बीच में जो मेरे साथ गड़बड़ियां हुई उसका भी ध्यान रखेंगे। तो ठीक उसी दृष्टि से उसने अटैक किया। यह कहना कि हम को धोखा हुआ, ग़लत बात है और जब उसने देखा कि देश के अन्दर राष्ट्रीय भाव जाग गया तब उसने झट से रिटायर कर लिया। इसमें स्पष्ट लिखा है कि हमले का स्वरूप अचानक बहुत पैमाने के हमले का होना चाहिये। शत्रु की छोटी टुकड़ी को नष्ट करो, पूरा सफाया करो। अगर दुश्मन कड़ा प्रतिरोध करे तो हमारी नीति यह होनी चाहिये कि कुछ इलाके पर अचानक हमला कर के अधिकार कर लिया जाय, फिर अपनी शक्ति को बढ़ाने का यत्न किया जाय और इसलिये समझौते की बात भी कही जा सकती है। "हमारे गोविन्द सहाय जी आ गये हैं, वे तो माहिर हैं।" जब दौरान बात में उनका मोरेल घट जाय और.....

श्री अधिष्ठाता--
मैं माननीय नेता विरोधी दल से कहूंगा कि विधान सभा के अधिकार सीमा को भी ध्यान में रखें।

श्री यादवेन्द्रदत्त--
जरूर रखूंगा। उसमें आगे है कि जब हमारे पक्ष के मतावलम्बी ऐसे स्थान पर हों कि वे देश को इन्फ्लुएंस कर सकें तब फिर आक्रमण करो। यह स्पष्ट है कि इस देश का एक दल जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं उसने आसाम और नेफा में जो किया है वह किसी से छिपा नहीं है। उसी दल ने पर्चे बांटे कि सुभाषचन्द्र बोस चीनियों के साथ आ रहे हैं, उनका मुकाबला न करो। आज इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिये, इसलिये कि देश के अन्दर इन विघटनकारी शक्तियों का दमन हो। आज इस ओर राज्यपाल महोदय ने कुछ भी नहीं कहा। सुरक्षा की बात बड़े जोरों से कही गयी, लेकिन हम कैसे मानें कि उस ओर ध्यान दिया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान दिया गया। पी० आर० डी०, होम गार्ड्स, यह सारी बातें कही गयीं, लेकिन अगर इनका निर्माण हो रहा है तो किस एमर्जेन्सी के लिये? मैं चाहूंगा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि किस काम के लिये ये बनाये जा रहे हैं। विदेशी आक्रमण को रोकने के लिये या सरकार की पुलिस की सेकेंड लाइन आफ़ डिफ़ेंस के लिये? मान लीजिये, कल मेला होता है और उसमें आप की पुलिस चली गयी। मन्त्री जी वहां पहुंचे तो सलामी चाहिये। तो आप पी० आर डी० और होम गार्ड्स को सलामी देने के लिये खड़ा कर रहे हैं या किस लिये, यह स्पष्ट होना चाहिये। अगर इसका स्पष्टीकरण होगा तब तो कुछ मतलब समझ में आता है। श्रीमन्, सिविल डिफेंस की बात कही गई है राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में। मुझे इस पर

महान् आश्चर्य होता है। हमारे प्रधान मन्त्री जी जब लखनऊ में आये थे तो उन्होंने ट्रेंचेज के बारे में कहा था कि यह क्या चूहे के बिल खोद रखे हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यह क्या किया जा रहा है। उस समय हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि यह आप के हुक्म से ही किया जा रहा है। श्रीमन्, आश्चर्य है, कोई कोआर्डीनेशन नहीं है। एक ही दल की सरकार है और एक ही नेता के अन्दर यह सारी चीज है। एक श्रेष्ठ नेता कहता है कि यह चीज गलत है और प्रान्त का नेता कहता है कि आपके हुक्म से ही हुआ है.....

श्री चन्द्रबली सिंह--

माननीय जवाहरलाल जी देश के नेता हैं और विरोधी दलों के भी नेता हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

मैं तो श्रीमन्, श्रेष्ठ नेता कह रहा हूं। अब लोग हिन्दी नहीं समझते हैं तो क्या किया जाय? मैं अर्ज कर रहा था कि आपका कोई कोआर्डीनेशन नहीं है। यही कहा जा सकता है कि उनकी जानकारी सही है और इनकी गलत है या इनकी जानकारी ज्यादा है उनकी इतनी नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इससे सरकार की अपात्रता दीखती है। यह आप के सिविल डिफेंस की बात है। यह कैसी चीजें हो रही हैं? प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि बम यदि गिरेगा तो दिल्ली में गिरेगा, लखनऊ में नहीं गिरेगा, तो यह सारी चीजें क्यों हो रही हैं? यह मानना पड़ेगा कि प्रधान मन्त्री जी का स्पष्ट ज्ञान है, उनके सामने चित्र स्पष्ट है। एक बात उन्होंने कही और यह दूसरी कहते हैं तो मैं सही किस को मानूंगा? मैं तो श्रेष्ठ नेता की बात को ही सही मानूंगा। इसलिये जो यह इमर्जेंसी के नाम पर नारा लगा रहे हैं, यह सब गलत हो रहा है। यह सिविल डिफेंस के लिये नहीं हो रहा है, बल्कि यह डिफेन्स आफ कांग्रेस रूल है, यह प्रांतीय रक्षक दल नहीं है बल्कि कांग्रेस रक्षक दल है।

हमारे मित्र माननीय बनारसीदास जी यहां पर बैठे हैं। यदि मैं गलत कहता होऊं तो वे सही कर देंगे। अक्तूबर के महीने में जब यू० पी० सी० सी० की मीटिंग हुई थी तो किसी प्रस्ताव के ऊपर पूछा गया कि इसका क्या मतलब है? तो कहा गया कि हम पिछ्ल-लग्गू न कहे जायं, इसलिये यह पेश किया गया है। यह अखबारों में है और इसका निराकरण भी नहीं हुआ है। इसका कार्टून भी है।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)--

राजा साहब की तबीयत बड़ी खुश होती है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

मेरी नहीं होती है बल्कि आपकी होती है। यह सब केवल इसलिये हो रहा है कि आप टैक्स लगाने के लिये भूमिका बनाना चाह रहे हैं, इसलिये इमर्जेन्सी का सवाल है वरना आजकल तो कोल्ड वार है। यह सारी चीजें गलत हैं।

श्रीमन्, मैं एक ही बात की ओर आप के द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हाउसिंग स्कीम और हाउसिंग बोर्ड की बात माननीय राज्यपाल के सम्बोधन में कही गई है। मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आज तक हाउसिंग का सारा कार्य नगरपालिकाओं के पास है। आज सरकार उसको अपने पास लेना चाहती है। इसके माने यह हैं कि आपकी दृष्टि में नगरपालिकायें ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं। क्या आप ने इसके लिये कोई जांच कमेटी बिठाई है या कोई उनका एवसल्टेशन मांगा है? कहीं कुछ नहीं है। रात को आपको स्वप्न आया और आप कूद पड़े। उल्टे लखनऊ नगरमहापालिका का मैं उदाहरण माननीय सदन के सामने देता हूं। लखनऊ नगरमहापालिका ने ढाई वर्षों में जितने नये मकान बना डाले उतने मकान दस वर्षों में सरकार के आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अफसर नहीं बना सके। आठ महीने पहले महानगर एवसटेंशन स्कीम बनी, आज सारी स्कीम चालू हो गयी है। इसलिये इनका यह कहना कि विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं यह ढोंग मात्र है। कहते हैं विकेन्द्रीकरण लेकिन करते हैं सारे काम केन्द्रीकरण के। जो

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

मैंने स्पष्ट बातें कही हैं उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक तो सुनारों की ओर ध्यान देना चाहिए, दूसरे चड़ी का व्यापार और कलाबत्त का व्यापार बन्द हो रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि लाखों लोग बेकार हो जायंगे।

मैं बड़े ध्यान से अखबार देखता था। आज यह मन्त्री तौले गये, कल वह मंत्री तौले गये सोने और चांदी से। अगर आप वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए निधि चाहते थे तो जो सिपाही और जनरल मारे गये उनकी स्त्रियों और माताओं को भेजते, उनको तौलते तो प्रदेश में एक अच्छी भावना उत्पन्न होती। मंत्रियों को तौलने से क्या लाभ जो सड़े, गले, सठिया गये से भी ऊपर हो गये हैं। यह परिपाटी बन्द हो। जितना चन्दा इकट्ठा हुआ है इसके अन्दर काफी शिकायत है। मैं पूरा इसलिए नहीं कहता, क्योंकि सारा उद्योग करने का मतलब होगा और लोगों के मनोबल को चोट लगे। देवरिया में एक एम० एल० ए० महोदय ने इस्तीफा दिया है। इन ज्यादतियों की तरफ ध्यान दें। देश की रक्षा के लिए चन्दा वालंटियरी होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखता हूं।

[२—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री भानुप्रतापसिंह तथा श्री विजयसिंह

*महामान्य राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द और जोड़ दिये जायं।

"परन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रशासन की गिरी हुई दशा को सुधारने के लिये कोई ठोस सुझाव नहीं दिया।"

३—श्री जेड० ए० अहमद, श्री झारखंडे राय, श्री भीखालाल, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री रामसुन्दर शास्त्री, श्री ऊदल, श्री शराफत हुसेन रिजवी, श्री विजयपालसिंह तथा श्री एस० एस० युसुफ

राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय।

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने नीचे लिखी बातों का स्पष्ट एवं जोरदार उल्लेख नहीं किया।

१—मजदूर, किसान तथा मध्यवर्गी नागरिकों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये दिल खोल कर चन्दा दिया और फौजी तथा जन-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया। निहित स्वार्थ वाले धनिक वर्गों के लिये यह एक चुनौती थी लेकिन राष्ट्रीय संकट की घड़ी में यह वर्ग पिछड़ गये और उनका योगदान निराशाजनक रहा।

राजनीतिक क्षेत्र में कुछ तत्वों ने निराधार अफवाहें फैलाकर और राष्ट्र की स्वीकृत बुनियादी नीतियों में अविश्वास पैदा करने के प्रयासों द्वारा जनता के मनोबल को गिराने का कार्य किया।

निहित स्वार्थ वालों और उनके राजनैतिक प्रतिनिधियों के इन प्रयासों के बावजूद प्रदेश की जनता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये दृढ़ संकल्प रही।

२—राष्ट्रीय सुरक्षा को सबल बनाने में योजना और विकास कार्यों का अपना महत्व है। सुरक्षा के लिये सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था आवश्यक है। सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये योजना में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन योजना का अधिकांश भाग राष्ट्र और प्रदेश को शक्तिशाली बनाने के लिये आवश्यक है। प्रदेश के पूर्वी जिले विशेष तौर पर पिछड़े हुये हैं और कुछ दिन पहले ही

*माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से पढ़े हुए मान लिये गये।

योजना आयोग की एक समिति इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अध्ययन के लिये आयी थी। औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि सुरक्षा के लिये आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। योजनाओं पर होने वाले व्यय में कमी संभव नहीं है।

४—सुरक्षा और योजना के लिये आवश्यक साधन जुटाने में सरकार उन वर्गों पर बोझ डालेगी जो उसे बरदाश्त नहीं कर सकते हैं और शक्कर तथा बिजली उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करेगी।"

४—श्री कल्पनाथसिंह,
श्री कमलासिंह,
श्री होरीलाल यादव,
श्री रामायण राय,
श्री कैलाशसिंह कुशवाहा,
श्री केशरीप्रसाद पांडेय,
श्री सहदेवसिंह,
श्री मैनेजरसिंह तथा,
श्री बांकेलाल

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित बातों का अपने भाषण में कोई उल्लेख नहीं किया।

१—प्रदेश में सामान्य नागरिक जीवन अस्त व्यस्त और पुलिस प्रशासन निकम्मा और ढीला साबित हुआ है।

२—प्रदेश में जीवनोपयोगी वस्तुओं का मूल्य बढ़ा है और बढ़ते हुये टैक्सों से जनता का दम घुट रहा है।

३—राष्ट्रीय आपात के अवसर पर प्रदेश के मौजूदा वृहदाकर मंत्रिमंडल घटाने का कोई संकेत नहीं है।

४—प्रदेश में गन्ना उत्पादकों के हितों की उपेक्षा की गयी है।

५—बाढ़, कटाव रोकने एवं गरकी से बचाने का कोई आभास नहीं है।

६—बेकारी दूर करने का कोई निश्चित कदम उठाने की ओर कोई संकेत नहीं है।

७—चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की ओर कोई संकेत नहीं है।

८—प्रदेश की समस्या भूभाग से संबंधित केन्द्र द्वारा नियुक्त आयोग के कार्यों का संकेत नहीं है।

९—प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन की ओर कोई संकेत नहीं किया।

१०—औद्योगीककरण तथा श्रम कल्याण योजनाओं की ओर स्पष्ट निर्देश का सर्वथा अभाव है।"

५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"परन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न बातों की ओर ध्यान नहीं दिलाया—

१—सार्वजनिक क्षेत्र से अंग्रेजी का प्रयोग बन्द हो।

२—प्रदेश में इस आपात कालीन स्थिति में चीजों का भाव खाद्यान्न तथा जीवन उपयोगी वस्तुओं का ३० प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है।

३—सुरक्षा के नाम पर प्रदेश में जबरिया विभिन्न जिला अदालतों, पूर्ति अधिकारी के कार्यालयों आदि में पैसे जनता से लिये जा रहे हैं तथा प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बनारस, मथुरा आदि जिलों में भी कड़ाई से वसूली जारी की जा रही है। जिससे जनता का मनोबल टूट रहा है।

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

४—सरकार की गलत गन्ना नीति के कारण प्रदेश के अन्दर चीनी की पैदावार में कमी हो रही है तथा किसानों को उनके गन्ने का उचित मूल्य तथा मजदूरों को उचित मजदूरी व बोनस नहीं मिल पा रहा है।

५—गोरखपुर जांच कमीशन के कार्य में बाधा उत्पन्न कर न्यायपालिका को स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है।

६—अभी तक प्रदेश में चीनी तथा सूती मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया।

७—न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का अलगाव पूर्णरूपेण नहीं किया गया।

८—मंत्री परिषद् की संख्या आपातकालीन स्थिति को देखते हुये ७ से अधिक न रखी जाय तथा काम चलाऊ मंत्रि-परिषद् से काम लिया जाय।

९—हरिजन तथा पिछड़ी जातियों को ६० प्रतिशत स्थान सरकारी नौकरियों एवं महत्व के कार्यों में दिया जाय।

१०—कुनबापरस्ती, लालफीताशाही तथा भ्रष्टाचार को प्रशासन से हटाने हेतु ठोस कदम उठाये जायं।

११—प्रदेश में मादक वस्तुओं की तत्काल बन्दी की घोषणा की जाय।"

६—श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री कृष्णा।

राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव में निम्न बातें जोड़ दी जायं:—

"१—यह कि चीनी प्रतिशत के साथ गन्ने के मूल्य को बांधने के कारण इस वर्ष किसानों में घोर निराशा छा गयी है। यही कारण है कि इस वर्ष प्रदेश में चीनी अन्य वर्ष की अपेक्षा आधी से कम ही बनने की आशा है। प्रायः सभी मिलें फरवरी के अन्त तक बन्द हो जायेंगी। इस प्रकार चीनी की प्रतिशत नीति के कारण किसानों को ही नहीं प्रदेश के सबसे बड़े उद्योग (चीनी उद्योग) को भी गहरा आघात लगा है और प्रदेशीय सरकार की आमदनी, जो गन्ना कर, आबकारी कर व इस संबंध में इन्कम टैक्स से मिलने वाले प्रतिशत से २५ करोड़ से अधिक होती रही है, घटकर इस वर्ष १० करोड़ रुपया ही रह गयी है। यही नहीं, किसानों में उक्त गन्ना मूल्य नीति के कारण छायी निराशा के फलस्वरूप आगामी गन्ने की फसल भी अच्छी तरह नहीं बोयी जा रही है जिससे भावी संकट और भी विकराल रूप में हमारे सामने खड़ा है। यह नीति यदि बरकार रही तो अगले ३ वर्ष तक यह संकट रहेगा।

राष्ट्रीय संकट की इस बेला में सरकार की उक्त गन्ना मूल्य नीति के कारण चीनी उद्योग, सरकार और किसानों को भी जो भीषण आघात लगा है उससे प्रदेश में एक विषम हालत पैदा हो गयी है। प्रदेश भर में सरकार की इस गन्ना मूल्य नीति पर भीषण रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। इसे समाप्त किया जायेगा।

२—यह कि बाढ़, कटाव रोकने या नुकसान का पूरा-पूरा मुआवजा दिया जायेगा ।

३—पूर्वी जिलों को विशेष अवसर के आधार पर विकसित करने की योजना है ।

४—गाजियाबाद में जहां मास्टर प्लान की योजना है उससे उत्पन्न किसानों की समस्याओं को उदारता के साथ मुआवजा एवं पुनर्वास भत्ते के साथ हल किया जायेगा ।

५—बढ़ते हुये पुलिस जुल्म जैसे करपाडीह (बस्ती), आजमगढ़ तथा बस्ती पुलिस डकैती को रोकने के लिये उचित कदम उठाया जावेगा ।

६—प्रदेश भर में सुरक्षा फण्ड एवं सोना वसूली में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच एवं दोषी को दंड दिया जायेगा ।"

७—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी

महामान्य राज्यपाल के संबोधन के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित संशोधन पर जोर दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामना राज्यपाल ने अपने संबोधन में प्रदेश के बड़े आकार के मंत्रि-मंडल में कटौती करने का कोई जिक्र नहीं किया है और न शासन में व्याप्त फिजूलखर्ची को रोकने के संबंध में ही जिक्र किया है । उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से चेचक की महामारी का प्रकोप है ।कन्तु इस ओर भी संबोधन में कोई जिक्र नहीं है । आर्थिक संकटकालीन परिस्थिति में सुरक्षा की ठोस तैयारियों का निश्चित रूप से कोई जिक्र नहीं किया गया है ।"

८—श्री दीपनारायणसिंह तथा श्री भगवानदास यादवेन्दु

महामान्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है, उसके अन्त में निम्न वाक्य जोड़ दिये जायं:—

"१—यह कि इस सदन को खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सीमा पर चीनियों के बर्बरतापूर्ण आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई जिस 'अभूतपूर्व एकता, जागृति तथा उत्साह' की लहर का उल्लेख महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया गया है उसका सही उपयोग सतारूढ़ दल ने इस घोषित आपात काल में भी नहीं किया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता व राष्ट्रीय सीमा की रक्षा के लिये सर्वाधिक त्याग करने वाले किसान मजदूर मध्यमवर्गों के हितों को कुचलने वाली शोषक वर्गों की शक्तियों व दलों को ही बढ़ावा मिला है और जनतन्त्र व समाजवाद को महान् संकट उत्पन्न हो गया है । नौकरशाही—जो अंग्रेजी राज्य-काल से अब तक जनतन्त्र विरोधिनी रही है—इस आपात काल में जनवादी शक्तियों के ऊपर हावी हो गयी है और 'सुरक्षा' के नाम पर न्यायालयों के पवित्र मंदिरों में भी भ्रष्टाचार व अनाचार एवं अन्याय को प्रोत्साहन देने वाली सिद्ध हुई है ।

२—नागरिक सुरक्षा व देश की रक्षा के लिये जिन गृह रक्षकों (होम गार्डों), सुरक्षा-श्रम बैंकों (डिफेंस लेबर बैंकों), प्रान्तीय रक्षा दलों एवं नेशनल कैडिट कोर (रायफिल) का उल्लेख महामहिम राज्यपाल महोदय के उक्त अभिभाषण में है वे केवल कागज

[श्री दीपनारायण सिंह तथा श्री भगवानदास यादवेन्दु]

तक ही सीमित रहे हैं। इन योजनाओं में प्राणस्फूर्ति भरने के लिये कोई सक्रिय कदम नहीं उठाये गये ।

३—मद्य निषेध के अभिनवीकरण का तरीका भी व्यवहार में बेतुका जान पड़ा है । "उद्योग परामर्श समिति की स्थापना" न तो शक्कर की पैदावार बढ़ाने में समर्थ हुई और न शक्कर के मिल मालिकों की मुनाफाखोरी रोकने में ही सफल हुई है ।

४—"रिहन्द हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट" से फतेहपुर जैसे अत्यन्त पिछड़े हुए जिलों को जो न तो पूर्वीय जिलों में सम्मिलित किया गया है और न पश्चिमी जिलों में ही गिने जाते हैं, कोई लाभ नहीं पहुंचाया गया । तीसरी योजनाकाल में भी जिला फतेहपुर को इलाहाबाद व कानपुर जिलों के बीच दबाये ही रक्खा जा रहा है ।

५—पिछड़ी हुई बहुसंख्यक किसान जातियों व हरिजन मजदूर जातियों के लिये कोई उपयोगी काम नहीं किये गये । जातिगत शोषण सामाजिक व आर्थिक स्थिति को बिगाड़ता ही रहा है और बहुसंख्यक श्रमिक जातियों की उपेक्षा करने व बैकवर्ड क्लास कमीशन की सिफारिशों को लागू न करने से उक्त जातियों में घोर असन्तोष पैदा हो रहा है । व्यक्तिगत तौर पर लाभान्वित करने की जगह उपेक्षित जातियों को लाभ पहुंचाने की नीति म अपनाना शोषक जातियों को पुराने रवैये को चालू रखना होगा ।

६—१,००० रुपये से अधिक तनख्वाह पाने वाले सरकारी अधिकारियों की तनख्वाहें कम करने की योजना आपात काल में नहीं बनायी गयी । सुरक्षा कोष में गरीबों द्वारा ही अधिक दान व ऋण की रकम दी गयी है । सोना व धन बड़े-बड़े पूंजीपतियों से वसूलने में सरकार असमर्थ रही है ।

७—सरकार ने अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को क्षेत्र समितियों में लागू करके पूंजीवाद व भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया है ।"

९—श्री गंगाधर मैठाणी

धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया गया है :—

(१) उत्तराखंड और कुमाऊं डिवीजन में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम को लागू किया जाय ।

(२) क्षेत्र समिति विधेयक को उत्तराखंड डिवीजन के विकास क्षेत्रों में लागू किया जाय ।

(३) जिला परिषद् अधिनियम को उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के समान उत्तराखंड डिवीजन के चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों में भी लागू किया जाय ।

(४) उत्तराखंड को लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया से वंचित कर जनता के मनोबल को निर्बल न किया जाय ।"

१०—श्री बनवारीलाल विप्र, श्री लखपतराम शर्मा तथा श्री गंगाप्रसाद वर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :—

"खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का जिक्र, जो जनहित में आवश्यक था, नहीं किया ।]

१—समाजवादी व्यवस्था का लाभ जब कि जनता को होना था उसके विपरीत उसे दिन-प्रति-दिन बेरोजगारी, भुखमरी व बढ़े हुये टैक्सों का शिकार होना पड़ रहा है, जिसे दूर करने का कोई ठोस उपाय नहीं बताया गया ।

२—राइफल ट्रेनिंग व बन्दूक इत्यादि की ट्रेनिंग जनता को दिलाये जाने का जिक्र है वहां प्रदेश में बन्दूकों व राइफलों तथा कारतूसों के बढ़े हुये भावों (ब्लैक) को रोकने का कोई जिक्र नहीं, जब कि लाइसेन्स दिये जाने में भी सरकार की उदार नीति का बताया जाना इस समय आवश्यक था ।

३—जब कि एक ओर कुछ मदों पर खर्च की कमी का जिक्र है उसके विपरीत मंत्रिमंडल पर जनता के खून व पसीने के पैसे को भारी मात्रा में जो खर्च किया जा रहा है उसमें कमी का कोई जिक्र नहीं है जब कि वर्तमान परिस्थितियों में मंत्रिमंडल का छोटा किया जाना अत्यन्त आवश्यक था ।

४—प्रदेश में शराब के ठेकों की छूट दिये जाने की जो जिक्र है उससे प्रदेश की जनता को भारी हानि होगी । चोरी, बेरोजगारी, मुकदमेंबाजी व तरह-तरह की बीमारियां गरीबों में बुरी तरह बढ़ेंगी ।

५—जहां एक ओर बिजली के प्रसार का जिक्र है, बुन्देलखंड जैसे पिछड़े प्रदेश की उन्नति के लिये अब तक माताटीला बांध से बिजली न दिये जाने का कोई जिक्र नहीं है जब कि सन् १९६३ के प्रारम्भ में बिजली वहां पहुंचाना था और न ही बुन्देलखंड की उन्नति के लिये कोई कारखाने का निर्माण वहां किये जाने का जिक्र है । झांसी बिजली कम्पनी जो ८ आना प्रति यूनिट जनता को वर्षों से दे रही है वह उन्नति के कार्य में इस प्रकार बाधक है जनता की राष्ट्रीयकरण की मांग के पश्चात् भी उसका राष्ट्रीयकरण किये जाने का कोई जिक्र नहीं किया गया ।

६—कई नगरमहापालिकाओं के कुप्रबन्धों को देखते हुये सरकार द्वारा उसका इन्तजाम अपने हाथ में कर लिये जाने का जिक्र है जब कि झांसी नगरपालिका अपनी बदइन्तजामी और भ्रष्टाचार के मामलों में प्रदेश में एक विशेष स्थान रखता है । वहां के अध्यक्ष के विरुद्ध भारी तादाद में संगीन होने के उपरान्त भी न तो नगर-पालिका को सरकार के अधीन किये जाने का जिक्र है और न ही अध्यक्ष के विरुद्ध कानूनी कदम उठाये जाने का जिक्र है ।

७—प्रतिक्रियावादी शक्तियां जब कि एक ओर बढ़ाव पर हैं उनकी रोकथाम का कोई जिक्र नहीं किया गया ।

८—सत्ताधारी दल की ओर से अपनी पार्टी के लोगों को बचाने के लिये न्यायालयों के कार्यों में जिस प्रकार हस्तक्षेप किया जाकर

[श्री बनवारीलाल विप्र, श्री लखपतराम शर्मा तथा श्री गंगाप्रसाद वर्मा]

संगीन धाराओं के मुकदमों को न्यायालय से वापस ले लिया जाता है इस प्रकार की दूषित व पक्षपात पूर्ण नीति के विरुद्ध कोई जिक्र नहीं है जो जनहित में आवश्यक था।"

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने इस प्रस्ताव को बहुत ध्यान से पढ़ा और इस पर आये हुये संशोधनों को ध्यान से पढ़ा। जहां तक माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का संबंध है वह बहुत संक्षिप्त है। उसका गुण यह है कि संक्षेप में सब कुछ आ गया है। ऐसी बातें छोड़ दी हैं जिनका कहना इस समय सदन का समय लेना होता और ऐसी कोई भी बात नहीं छोड़ी जिसका कहना जरूरी था। इसलिये अभिभाषण सराहना के योग्य है।

प्रस्ताव के ऊपर मुख्य संशोधन माननीय नेता विरोधी दल का है। मैं समझ नहीं पाया कि माननीय दूबे जी जैसे विद्वान व्यक्ति के द्वारा ऐसा प्रस्ताव कैसे उपस्थित किया गया। धारा १ में सुरक्षा निधि के संग्रह का जिक्र है। प्रारम्भ में मैं भी अपनी सरकार के सुरक्षा प्रयत्न से असंतुष्ट था नाराज था। जब मैं पढ़ता था कि पंजाब जैसे छोटे प्रान्त में इतना रुपया हो गया, इतना सोना हो गया तो मुझे वास्तव में दुख होता था कि हमारा इतना बड़ा प्रदेश पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन वास्तव में जो कुछ इस प्रदेश में हुआ है वह हमारे लिये गौरव की चीज है। अब बढ़ती हुई मात्रा हमारे प्रदेश में ही दिखलाई देती है। आप हर हफ्ते देखें जो रकमें आ रही हैं, जिस प्रतिशत में हम बढ़ रहे हैं, और कोई प्रदेश नहीं बढ़ रहा है। एकदम लोगों से ले लेने की अपेक्षा शनैः शनैः लोगों से लेना यह अच्छा है। धारा १ में कहा गया है कि दबाव से वसूल किया गया। मैं भी एक क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं और उन व्यक्तियों में से हूं कि अपने ब्लाक्स में, अपने जिले में, अपने क्षेत्र में जिन्होंने काम किया। मुझे मालूम है कि जिले में क्या क्या हुआ। मैं कह सकता हूं कि दबाव से नहीं वसूल किया गया। यदि हजार व्यक्तियों में से दो आदमी महसूस करते हैं कि लाकर देना पड़ा, कहीं से इन्तजाम करके दिया तो यह महसूस हो गया कि बी० डी० ओ० साहब ने दबाव दिया, तो यह दबाव नहीं है। आपको क्या क्या दबाव सहन करने पड़ेंगे अगर आपको लड़ाई लड़नी है। अगर आपको युद्ध के लिए तैयारी करनी है। आज इस जरा सी बात के लिए यह कहें कि दबाव से वसूल किया जा रहा है तो यह तथ्य के विरुद्ध बात है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय जगदीशप्रसाद जी, आप कृपया एक सेकेंड के लिए आसन ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि विषय बड़ा सारगर्भित है, जब तक कोई विशेष बात स्पष्टीकरण की न हो, कृपया शान्ति रखें।

श्री जगदीशप्रसाद—

इस संशोधन की धारा २ व ३ को देखें। ये बिलकुल परस्पर विरोधी हैं। २ में कहते हैं—उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि एवं नियंत्रण न रखने के कारण प्रदेश की विशेषकर सीमा क्षेत्रों की आन्तरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है? इसका अर्थ यह होता है कि जिनके बारे में हमें यह अन्देशा हो कि वह देश के द्रोह में, देश के हित के विपरीत कुछ कार्य करना चाहते हैं, उनके साथ हम कड़ी कार्यवाही करते और तीसरी धारा में क्या कहते हैं कि—उत्तर प्रदेश सरकार आपात कालीन स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर भारत सुरक्षा कानून का दुरुपयोग कर विरोधी दलों एवं समाचार-पत्रों के विचार-स्वातंत्र्य पर दलगत स्वार्थों के लिए कुठाराघात कर रही है। यह दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। यानी हम अत्याचार करते हैं, उनके व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और समाचार-पत्रों के स्वातंत्र्य को छीनकर, उनकी स्वतंत्रता पर कुठाराघात भी कर रहे हैं और हम देश विरोधी तत्वों को दबा भी नहीं रहे हैं। आखिर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ एक यही हो सकता कि जिस दल को आप

चाहते हैं कि दबाया जाय, वह नहीं दबाया जा रहा है। तो इस तरह से अगर एक दल दूसरे दल के लिए कहे कि वह दबाया नहीं जा रहा है और दूसरा दल उसके लिए कहे कि वह दबाया नहीं जा रहा है, उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो रही है, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। आपके लक्ष्य में कोई और दल होगा, किसी दूसरे दल के लक्ष्य में कोई और दल होगा, लेकिन सरकार के लिए तो सब दल एक समान हैं। जो भी व्यक्ति दंड का भागी होगा, जो देशद्रोह करेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी, चाहे उसका अखबार बन्द करना पड़े, चाहे उसकी जबान बन्द करनी पड़े और जो नहीं होगा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चौथी बात जो माननीय दूबे जी ने रखी है वह है बचत की बात। इस सम्बन्ध में एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि इसके ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा। हम खूब चन्दा करें, कितना ही रुपया इकट्ठा करें, लेकिन जितना बच सकता है वह भी बचायें। मैं नहीं कहता कि सरकार नहीं बचा रही है, लेकिन अगर बचा रही है तो उसका सही प्रचार नहीं हो रहा है, लोगों को मालूम नहीं है कि बचा रही है। एक सुझाव इसी में दुबे जी ने दिया है कि १ हजार से ऊपर की तनख्वाह वालों से सुरक्षा बांड लिवाये जायं। मैं यह नहीं कहता कि इसको मान लिया जाय, लेकिन ऐसी चीजों को सोचा जा सकता है और ऐसी और भी चीजें निकाली जा सकती हैं कि किस प्रकार से बचत हो और बचत के साथ-साथ उसका प्रचार होना चाहिए, उसका प्रोपेगेण्डा होना चाहिए कि ऊंचे सरकारी कर्मचारियों ने क्या बचत की, मंत्रियों ने क्या बचत की। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने बचत नहीं की। उन्होंने बचत की है और कुछ की तो मुझे जानकारी भी है, लेकिन जो कुछ बचत उन्होंने की है उसका उतना प्रचार नहीं है, उसका और अधिक प्रचार होना चाहिये। एक बात माननीय दुबे जी ने और कही थी बचत के सम्बन्ध में कि एम्बैसीज पर और बाहर से आने वालों पर बहुत खर्चा किया जाता है। मैं समझता हूं कि आज के समय में यह तो इस सदन में आने लायक बात नहीं है। प्रथम तो यह हमसे सम्बन्ध नहीं रखता, केन्द्र से सम्बन्ध रखता है और द्वितीय यह कि आज तो जमाना प्रचार का है, प्रोपेगन्डे का है, अगर नहीं करेंगे कि तो आप जिन्दा नहीं रह सकते। आज तो हमें शिकायत यह है कि प्रचार वास्तव में ठीक तरह से नहीं होता।

माननीय दूबे जी ने इमर्जेन्सी के ऊपर बहुत समय लिया इस सदन का। मैं नहीं समझ पाया—इमर्जेन्सी डिक्लेयर करना न करना यह हमारा काम नहीं है, यह तो केन्द्र का काम है और इसके ऊपर बहस करने के लिए वहाँ भी हमारे साथी बैठे हुए हैं। वह भी बोलेंगे, परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि उन्होंने यह कैसे कह दिया कि इमर्जेन्सी न रहे। अभी मैं एक अखबार पढ़ रहा था। उसमें मैंने देखा कि आल इंडिया जनसंघ की ऐक्जिक्यूटिव कमेटी ने कुछ प्रस्ताव पास किये। उसमें एक यह था कि:—

The Working Committee said "It was its considered opinion that before we confer with the Chinese there should be a total vacation of aggression." यह उनका दृष्टिकोण है। इसका अर्थ यह हुआ कि आज हमको चीन के साथ कोई बात करने के लिये तैयार नहीं होना चाहिये। इसका अर्थ यह भी हुआ कि चीन ने जो सीज फायर डिक्लेयर किया है, वह डिक्लेयर नहीं हुआ। वह अगर हटा है कुछ तैयारी करने के लिये, टैंक लाने के लिये या और कुछ सामान लाने के लिये। यह उसके कुछ पैंतरे हैं और वह अपनी फौज को तैयार कर रहा है और लड़ने के लिये तैयारी कर रहा है। यह आपकी आल इंडिया जनसंघ की एक्जिक्यूटिव कमेटी कहती है और हमारे दूबे जी कहते हैं कि इमर्जेन्सी खत्म कर दो। इसका मतलब यह है कि वह तो कहते हैं कि दुश्मन हथियार लिये तैयार खड़ा है लड़ने के लिये और दूबे जी कहते हैं कि इमर्जेन्सी खत्म कर दो। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि वह किस तरीके से इसको सोचते हैं। बाहर से दुश्मन के हमले का खतरा है और ये कहते हैं कि इमर्जेन्सी नहीं रहनी चाहिये। उसी प्रस्ताव में जनसंघ की एक्जीक्यूटिव कहती है कि:—

"To relieve tension it is of paramount importance to de-militarize the whole of Tibet."

[श्री जगदीशप्रसाद]

जब तक तमाम तिब्बत को डि-मिलिटराइज न कर दिया जाय तब तक यहां पर टैन्शन खत्म नहीं होगा। तिब्बत के सम्बन्ध में डि-मिलिटराइजेशन कैनेडी कर सकते हैं या क्रुश्चेव कर सकते हैं या दूबे जी कर सकते हैं यह मुझे तो मालूम नहीं है कि कौन कर सकता है। देश के अन्दर टैन्शन बना रहे, फौज देश के दरवाजे पर खड़ी रहे, लेकिन आप फरमाते हैं कि इमरजेन्सी खत्म कर दो। क्या मजाक आप करते हैं? वार इफर्ट में आप सहयोग देते हैं और दूसरी तरफ आप इमर्जेन्सी को खत्म करने की बात करते हैं। यह सोचने का तरीका किस तरह का है यह मैं नहीं समझ पाता हूं। आज एक तरफ तो हम कहते हैं कि टेन्शन उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक कि तिब्बत को डि-मिलिटराइज्ड नहीं किया जायगा और कहते हैं कि फौज लड़ने के लिये खड़ी है, सीज फायर नहीं हुआ है और दूसरी तरफ कहते हैं कि इमर्जेन्सी खत्म कर दो।

एक बात और है। उन्होंने कहा कि आपत्कालीन स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी हुकूमत की शक्ति को बढ़ाने के लिये और अपने दल की शक्ति को मजबूत करने के लिये और यह भी उन्होंने कहा कि हमने जो एलेक्शन टाले हैं वह भी इसी कारण किया गया है। उनको बधाई देनी चाहिये थी कि एलेक्शन टल गये, लेकिन वह कहते हैं कि हमने यह इसलिये किया है कि हमारा दल मजबूत हो। मैं यह समझ नहीं सका कि यह उनकी कौन सी राजनीति है। आज जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार बनी हुई है और प्रदेश की सरकारें जिस प्रकार से बनी हुई हैं उनके लिये एलेक्शन कमीशन ने जो डेक्लेरेशन किया है जो घोषणा की है उसके अनुसार जो एलेक्शन टाले हैं वह कुल ५५ सीटों के एलेक्शन टाले हैं कि जिन पर चुनाव होने थे पार्लियामेंट और असेम्बलीज के। मैं समझ नहीं सका कि यदि ५५ सीट पर चुनाव करके जनसंघ वाले सब को जीत भी जायं तो वे कहां पर गवर्नमेंट फार्म करेंगे? केन्द्र में या किन-किन प्रदेशों में आप सरकार बनायेंगे। और फिर यह भी वह जानते हैं कि आज हम इतने मरे गिरे नहीं हैं कि १० एलेक्शन लड़ें तो एक भी न जीतें। देश ने यह साबित कर दिया है कि हम जीतते हैं और हर जगह जीते हैं। वह जानते हैं कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट है। तमाम सीट भी अगर वह जीत जायं और तमाम देश में सेन्टर में और प्रान्तों में उनको ही जीत मिल जाय तो उससे क्या लाभ उनको होगा? फिर भी वह कहते हैं कि हमने एलेक्शन इसलिये टाले हैं कि हमारी गवर्नमेंट मजबूत हो जाय। यह उनके सोचने का तरीका मेरी समझ में नहीं आया। अब मैं इससे ज्यादा और क्या उनके लिये कहूं।

श्री उग्रसेन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के संबोधन के संबंध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसमें निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं। प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय....

श्री अधिष्ठाता--

आप यह कष्ट क्यों कर रहे हैं। इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया।

श्री उग्रसेन--

लेकिन मेरे संशोधन का एक भाग छूट गया है। वह मैं सदन में कहे देता हूं। वह इस प्रकार है :

"उत्तरी सीमा पर चीनी आक्रमण की स्थिति में, तिब्बत की स्वतंत्रता, १५ अगस्त, सन् १९४७ की सीमा की रक्षा एवं प्रदेश के बाराहोती आदि स्थानों की सुरक्षा की चर्चा नहीं की है।"

श्रीमन्, मैं धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले महोदय तथा अभी अग्रवाल जी का भाषण सुन रहा था और मुझे ऐसा लगा कि आज जो मुल्क में हो रहा है वह कुछ अच्छा ही हो रहा है मेरी इच्छा है कि आज मैं दो एक आधार भूत बातों को यहां निवेदन करूं आपके द्वारा और

इसमें यदि दो, चार मिनट अधिक समय की आवश्यकता हो तो प्रार्थना है कि वह मुझे दे दिये जायं। मैं सड़क या पुलिया की कमी का बखान यहां नहीं करूंगा, वह बजट के समय हो सकता है। मैं केवल उन आधारभूत बातों की चर्चा करूंगा कि जिनकी चर्चा महामहिम ने नहीं की है।

कल ही यह बात जान कर हमारे दल के लोगों को बड़ा कष्ट हुआ कि इस मंत्रिमंडल ने महामहिम को यह वक्तव्य अंग्रेजी में बना कर दिया। इंग्लैंड में जब महारानी अपना संबोधन पढ़ने लगीं तो उन्होंने कहा कि मैं जिस वक्तव्य को आपके सामने पढ़ रही हूं वह मैकमिलन के मंत्रिमंडल ने बना कर मुझे दिया है। लेकिन इस मंत्रिमंडल ने, जिसकी भाषा हिन्दी है, जहां सदन की भाषा हिन्दी है, जहां की मातृभाषा हिन्दी है, जहां की राज्यभाषा हिन्दी है, महामहिम को वक्तव्य बना कर अंग्रेजी में दिया। मेरी जबान में जितनी ताकत है उससे यहां और प्रदेश की जनता से बाहर यह कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जाने के बाद उनके रास्ते पर चलने वाले इस गुप्त मंत्रिमंडल की कार्यवाही का वह मुलाहिजा फरमायें। महामहिम अपने संदेश में जो नीतियां आगे सरकार अपनाने वाली है उन पर प्रकाश डालना चाहते हैं। वह खाका उन्होंने विदेशी भाषा में रखना शुरू कर दिया। 'प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः।' अब जगदीशप्रसाद जी समझ लें कि गलती कहां पर है। अभी कृष्णानन्द जी भाषा के संबंध में चर्चा कर रहे थे। मैं उन्हें बापू का एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं। बापू कहा करते थे कि हमारी राष्ट्र भाषा जब तक हिन्दी नहीं होती तब तक यह मुल्क गुलाम ही रहेगा। तो मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि आज इस राज्य ने भारत माता जी जबान काट ली है और जिस देश की जनता की जबान, मां की जबान सरकार ने काट ली हो वह मुल्क कैसे दुश्मन का मुकाबला करेगा? वह कतई मुकाबला नहीं कर सकता और जो हम बोमदिला में गिर गये, सेला में फिसल गये, इस सबका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके यहां दो जबानें हैं। राजा बोलेगा अंग्रेजी और गरीब जनता बोलेगी राष्ट्रभाषा हिन्दी। सैनिक बोलेगा हिन्दी और साहब नेफा का कमान्डर बोलेगा अंग्रेजी। चीन की सेना में यह नहीं है। चीन का सैनिक वही बोलेगा जो उसका कमान्डर। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने भारतमाता की जबान काटी है राष्ट्रपिता बापू जिसकी प्रतिमा लटक रही है और रोज इसी की कसमें खाते हो और कसम खाकर उसी तरह से भूल जाते हो जैसे :—

तोबा तो कर चुका था पर क्या करूं अमीर
बादल को देखकर तबियत मचल गयी।"

तो बादल को देख कर तबियत मचल जायगी अगर कृष्णानन्दराय जी तो फिर क्या होगा। लेकिन आप क्या करें? आप जिस मदरसे में पढ़ाये जाते हैं उसका मास्टर मेहनती नहीं है। जो लोग यहां अंग्रेजी की आवाज उठाते हैं और जिनकी आत्मा को अंग्रेजी यहां से चले जाने में दुख होता है उनसे मैं कहता हूं कि तामिलनाड की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी भाषा नीति में माना है कि हिन्दी ही राष्ट्र की भाषा है उसी तामिलनाड में जहां राजगोपालाचारी और सुब्रह्मण्यम जैसे लोग अपने बेटी बेटों को पढ़ाते तो हिन्दी हैं और वकालत अंग्रेजी की करते हैं। सुब्रह्मण्यम जी से किसी ने पूछा कि तुम अपने बेटी बेटों को हिन्दी क्यों पढ़ाते हो तो उन्होंने जवाब दिया कि आगे चल कर राष्ट्र भाषा हिन्दी तो हो ही जायगी और तब तक हमारे बेटी बेटे इस काबिल हो जायेंगे कि राज्य कर सकें। तो यह तो हालत है।

आज मामूली स्थिति नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदरणीय सदन से और इस प्रदेश और देश की जनता से कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की सरकार भारतमाता की जबान को शाश्वत समय के लिये काटने के लिये तैयार है। सन् १९६५ के बाद अंग्रेजी शाश्वत भाषा के रूप में चलेगी। अंग्रेजी शाश्वत रूप में यह नेहरू सरकार लाने जा रही है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारा दल चाहे आप कितनी ही गालियां दीजिये, लेकिन भाषा की नीति पर गाली हमारे लिये उपहार है, क्योंकि चैत में तो गालियां भी बड़ी मजेदार होती हैं। हम कृष्णानन्दराय जी आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं और अगर वह समय दें तो मैं उनके कमरे में

श्री उग्रसेन]

आने के लिये तैयार हूं। मैं जो हमारी भाषा सम्बन्धी नीति है उसमें का एक वाक्य पढ़ देना चाहता हूं:—

१—हिन्दी भाषी प्रान्तों से अंग्रेजी का सार्वजनिक इस्तेमाल तुरन्त हटाया जाये। केन्द्र में भी इन प्रदेशों का एक समूह बने जहां सेना, रेल, डाक, उद्योग धंधे, सचिवालय इत्यादि सभी से अंग्रेजी फौरन हटायी जाये।

२—जो प्रदेश केन्द्रीय प्रशासन के लिये अंग्रेजी रखना चाहते हैं उनका दूसरा समूह बने। इस समूह में भी प्रदेशीय स्तर से अंग्रेजी फौरन हटायी जाय।

तो कहां हम अपनी भाषा नीति किसी पर लादना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि काटते जाओगे भारतमाता की जबान और कहोगे कि दुश्मन का मुकाबिला करेंगे। कैसे होगा?

श्रीमन्, सुरक्षा की बात बहुत कही जाती है। दूबे जी ने भी कहा और आप लोगों ने भी। क्या सुरक्षा हो रही है? मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय मुल्क की सुरक्षा का सवाल था उस समय सब सोये रहे और इस वक्त बहुत सुरक्षा-सुरक्षा की बातें हो रही है। पिथौरागढ़ का एक कागज मिला सोशलिस्ट पार्टी इलाहाबाद ने उस कागज को महामहिम राज्यपाल को वहीं दिखलाया था। बढ़िया मोटे कागजों पर लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश के लौहपुरुष माननीय चन्द्रभानु गुप्त के हाथ मजबूत करो, नेहरू के हाथ मजबूत करो, चन्द्रभानु गुप्त के हाथ मजबूत करो। हिमालय को मत मजबूत करो, देश को मत मजबूत करो। हिमालय को मत बचाओ, देश को मत बचाओ, नेहरू को बचाओ, गुप्ता को बचाओ मैं कहता हूं कि यह सरकार की गद्दी बचाओ का अभियान जो बड़े जोरों पर चल रहा है, यह क्या है और मैं सरकार के नुमाइन्दों से कहता हूं कि जरा अक्ल से काम लो और अक्ल अगर कम हो तो इधर के लोगों से हमसे थोड़ा सा उधार ही ले लो इसलिये कि मुल्क आज ऐसे नेतृत्व में रसातल को चला जा रहा है। मैं इतना आपको बतला देना चाहता हूं कि आप यह न भूलें कि हिन्दुस्तान का इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। अतएव मैं आप से फिर आग्रह करता हूं कि यह नारा कि "नेहरू बचाओ", "गुप्ता बचाओ" और "गद्दी बचाओ" के स्थान पर आप हिमालय बचाओ का नारा लगाओ। तो अधिक उपयुक्त होगा। आपको बता दूं कि उस हिमालय की महिमा हमारे देश के कवियों ने भी अपने काव्यों की रचनाओं में गायी है। जिनमें रामधारी सिंह 'दिनकर' आदि मुख्य हैं।

महाकवि प्रसाद ने कहा है—

हिमालय के प्रांगन में प्रथम उसे दे किरणों का उपहार।
उषा ने हंस अभिनन्दन किया और पहनाया हीरक हार।।

वही हिमालय हमारा सदियों का जो प्रहरी रहा है, जहां हमारे वेदों की रचना हुई है और जहां हमारे प्राचीन काल में ऋषि लोग तपस्या करते थे, उस हिमालय की, मैं तो कहता हूं कि आप उपेक्षा करते हैं और "अजाय हिमालय बचाओ" का नारा लगाने के आप और दूसरे व्यक्ति गत नारे लगाते हैं। यह बड़ा ही गलत है। हमारे प्रधान मंत्री आज मैं तो कहता हूं कि हिमालय को नहीं बचा सके। हमारे प्रधान मंत्री ने ही कोलम्बो प्रस्तावों को तय होने के पहले कहा था कि हम १-१ इंच भूमि अपनी शत्रु से ले लेंगे। पता नहीं उन्होंने कोलम्बो प्रस्तावों को कैसे मान लिया। आपने, जब आपको अपने देश की रक्षा करनी चाहिए थी, तब नहीं की, उस समय तो आपके सेनन साहब आर्डिनेंस फैक्टरी में कापर बना रहे थे।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उग्रसेन जी आप प्रदेशीय नीति तक ही अपने को सीमित रखें।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैं प्रदेश के ही बारे में कहूंगा। आप देखें कि बाराहोती तो हमारे ही प्रदेश में है। आप देखें कि वह जा रहा है। मैं पूछता हूं कि आज इस प्रदेश की जनता से कि वह क्या जाने दिया जाय ? यही आदरणीय सदन है, मैं आपको यह याद दिलाता हूं कि माननीय राजनारायण जी के प्रश्न पर कि बाराहोती हमारा है या नहीं मुख्यमंत्री, जो कि आज यहां पर नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि और जोर देकर कहा था कि वह हमारा है। परन्तु आज श्री सम्पूर्णानन्द जी यहां पर हैं नहीं वह दूसरे प्रदेश में हैं। उस पर केन्द्र में बड़ी चर्चा चली थी, परन्तु उन्होंने यही कहा था कि बाराहोती हमारा है। केन्द्र के चाहे इस संबंध में कुछ भी विचार हों। आज हमारे प्रधान मंत्री पंडित नेहरू स्वयं कहते हैं कि नहीं बाराहोती तो बहुत दिनों से तिब्बत और हमारे बीच में दुविधा का विषय है। मैं कहना चाहता हूं कि आप साढ़े सात करोड़ जनता के प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं, कौन कहेगा कि बाराहोती हमारा नहीं है। मैं कहता हूं कि हम उसे नहीं छोड़ सकते।

(तालियां)

मैं भारतवर्ष के प्रधान मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि आज आपने बाराहोती को मान लिया और कल आप हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ को उनको दे देंगे और वह कह देंगे कि वह दुविधा का विषय है। कैलास और मानसरोवर को तो आपने दे ही दिया, वहां तो आप चूक ही गये।

मैं एक बात आपके सामने और रखना चाहता हूं कि कैलास और मानसरोवर की आप संधि को देखिये। जो कि ब्रिटिश शासन काल में हुई थी जिसमें कि तिब्बत, चीन और भारत के प्रतिनिधि थे उसमें मैकमोहन रेखा को माना गया कि यही स्पष्ट सीमा रेखा भारत और चीन के बीच है। परन्तु आज चीन ने उस संधि को ठुकरा दिया है और वह तिब्बत को हड़प गया और अब हमारे देश के ऊपर भी उसके दांत है, परन्तु इतना कुछ होने पर भी आज हमारे देश में सुरक्षा के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल एक मजाक ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आप विषय पर ही रहें तो अधिक उपयुक्त होगा।

श्री उग्रसेन—

मैं तो यही कहूंगा कि आपको तिब्बत के ऊपर जिस समय आक्रमण किया गया था, उसी समय आपको एतराज करना चाहिए था। तिब्बत का आजाद रहना बहुत आवश्यक था, परन्तु आपने यह नहीं सोचा। जिस हिन्दुस्तान को १५ अगस्त, सन् १९४७ को आजादी मिली जिसे पूज्य बापू ने अंग्रेजों के हाथ से आजाद कराया, यह आपका प्रमुख कर्त्तव्य है कि आप उसको बरकरार रखें। आप स्वयं देखें कि आज देश और प्रदेश की जनता ने क्या नहीं किया। माताओं ने और बहिनों ने अपनी चुड़ियां उतार दीं और देश की रक्षा के लिये जवानों की पंक्तियां की पंक्तियां भरती होने के लिये आपके पास आने लगी। पर मैं कहता हूं कि आप उतने सचेत नहीं हैं जितनी कि जनता सचेत है। इतना रुपया देश की सुरक्षा के लिये जमा होता है पर उसका उचित उपयोग आज नहीं हो पाता है। आपको उसका हिसाब लगाना चाहिए और आखिर वह जाता कहां है। मैं आपको देवरिया का एक उदाहरण देता हूं कि वहां पर किस तरह से सख्ती से चन्दा मार मार कर वसूल किया गया। वहां से उस व्यक्ति ने मुख्य मंत्री को पत्र भी लिखा है। उसने दरख्वास्त की है कि मुझसे पहले ३०१ रुपये और सोना लिया गया था। बाद में मुझे कुछ व्यक्ति पकड़ कर बी० डी० ओ० और तहसीलदार के आदेश से सीमा पर लाये जहां पर मुझे ६०० रुपये और देने को कहा गया और हाथ-पैर बांध कर बिना खाये-पिये उसको मैदान में रखा और घर पर बांध कर रखा। उसकी एक वैद्य दवा कर रहा है। सरकार को उसने तार दिया। वह इसलिए हो रहा था कि जिला कलेक्टर का कहना था कि नेहरू को

[श्री उग्रसेन]

तोलेंगे। नेहरू को तोलते हुए भारतीय न्याय को तोल दिया, सारी इंसानियत को तौल दिया। एक नहीं, मेरे पास दर्जनों चिट्ठियां हैं।

जिस दिन बौमदिला का फाल हुआ मथुरा नगर के सभी अधिकारी, जिलाधीश रोटरी क्लब में शराब पीकर छान रहे थे, उधर बौमदिला का पतन हो रहा था। एक संगीत सम्मेलन मथुरा में हुआ.....।

श्री अधिष्ठाता—

कदाचित् आपको मालूम होगा कि रोटरी क्लब का सिद्धान्त है कि वहां शराब नहीं चलती है।

श्री उग्रसेन—

ठीक है, तो इधर-उधर जाकर पी लिए होंगे। एक-एक सौ रुपया लिया गया बिना रसीद के। बिना रसीद के सौना लेते हैं। देवरिया, गोरखपुर, वाराणसी में लाखों रुपया वसूल किया गया और जब मथुरा में संगीत सम्मेलन हुआ तो जितने सिनेमा के गंदे-गंदे गाने थे, मैं उनको यहां पर कह नहीं सकता हूं, वह गाये गये और रेडियो पर नाच कराया गया। अपने भाई, बहिनों, बेटे, बेटियों को नचाकर चीन का मुकाबला करने वाले हैं? बनारसीदास जी ने १३ जिलों का दौरा किया; "बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुबहानअल्ला" ४७ जगह प्रतिलिपि गयी स्टेशन मास्टरों को, किस लिए? यही कि कुलियों से स्वागत करा दिया, इसके अलावा बेचारा स्टेशन मास्टर कर ही क्या सकता है? प्रधान मंत्री के शब्दों में जितने "फालतू" मंत्री हैं वह सभी दौरा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वह दौरा करें, जायें नेफा का दौरा करें। वहां जाने से डरते होंगे तो यहीं पर खाई खोदने का काम है वह उन्हें दे दिया जाय, मगर इतने बड़े मंत्रिमंडल को रखना कहां तक उचित है? बनारसीदास जी, सूचना मंत्री कहते हैं एक पत्र के उत्तर में जो उनको मंत्रिमंडल को कम करने के सम्बन्ध में लिखा गया, "इंगलैंड जहां की जन संख्या हमारे प्रदेश से कम है वहां मंत्रिमंडल की संख्या लगभग ७० होती है। आज भी हमारे यहां ३, ४ विलीन राज्य हैं जिनके राजाओं को आज भी प्रीवी पर्स लगभग २२ लाख रुपया दी जाती है, जबकि मंत्रिमंडल पर कुल व्यय साल भर में १० लाख रुपया से कम होता है" तो १० लाख कुछ भी नहीं है, वहां मां, बहिनों की नथुनियां उतरवाई जा रही है और गुलछर्रे उड़ाये जा रहे हैं। रोम जल रहा था और नीरो मजा उड़ा रहा था, तो हम मजा नहीं उड़ाने देंगे। अगर देश पर संकट है तो आप उसके जिम्मेदार हो, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। आज भी कोलम्बो प्रस्ताव मानने के बाद साढ़े बारह हजार वर्ग मील लगभग आप चीनियों को दे रहे हो और कह रहे हो कि हमारी जीत है। उसने मारा एक थप्पड़ और कहा कि लड़ाई बन्द तो अब लड़ाई बन्द! नेफा का किला चला गया, एक भी मंत्री वहां नहीं था, तेजपुर का कलक्टर भाग गया और आपने क्या किया कि जेलखाना खोल दिया, पागलखाना खोल दिया। यह लड़ाई है? यह मुल्क को धोखा देना है, यह नेहरू बचाओ अभियान की कार्यवाही है और कुछ नहीं है। इस लिए यह संकटकालीन स्थिति समाप्त करो और ऐलान करो कि एक-एक इंच भूमि जो हमारी है वह हमको वापस करो और देवरिया, मथुरा और जहां जहां के निवासियों के साथ जोर-जुल्म हुआ उसकी जांच कराओ और उसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन बैठाओ, जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। देश के राजा को मारो मत।

एक और चर्चा चल पड़ी है कि हम तो शान्ति वाले हैं, हम लड़ाई क्या जानें? हम लड़ाई नहीं करना चाहते थे, मगर लड़ाई आ गयी तो क्या किया जाय, हम तो दूसरी योजनाओं में पड़े हुये थे। सन् १९४८–४९ में चीन ने १३ लाख टन लोहा पैदा किया और भारत ने १३ लाख। आज चीन १।। करोड़ टन, भारत ३६ लाख टन, तृतीय योजना पर ६० लाख टन होगा, इसे आप देखें। आपकी योजनायें कहां गयीं? उत्तर

प्रदेश की देहात की आमदनी २१२ प्रतिशत से घटकर १९३ रह गयी। आंकड़ों के मायाजाल में आज सारे प्रदेश को मारे जा रहे हो। अगर भारत माता के सर पर बाल नहीं हैं तो उसके सर को उड़ा दो, क्या यह आप चाहेंगे ? योजना के नाम पर हमने बार बार कहा कि अन्न सेना बनाओ। इससे बेकारों को काम मिल जायेगा। हमने कहा साक्षरता सेना बनाओ, लेकिन आप कहां सुनते हैं। मंत्री लोग तो नैनीताल में गुलछर्रे उड़ाते हैं। आज न्याय भी नहीं मिल रहा है। १० रुपया सुरक्षा कोष में दो, मुकदमा छूट जाता है। यह हो रहा है।(लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, अभी तो....

श्री अधिष्ठाता—

आप ५ मिनट और बोलेंगे।

श्री उग्रसेन—

रियासत के वक्त में जब कोई कहीं जाता था तो कहता था कि सरकारी काम से जा रहे हैं जिसके पास कोई काम नहीं होता था, वह यही कहता था। आज क्या है ? आज जिनके पास कोई काम नहीं है वे कहते हैं सुरक्षा के काम से जा रहे हैं। जरा पता लगायें, माननीय बनारसीदास जी ने एक महीने में कितना धन टी०ए० आदि में बनाया। कितना रुपया खर्च किया ? जब यह दौरा करते हैं तो स्टेशन मास्टर तक के पास चिट्ठी जाती हैं। शायद ठाकुर साहब ऐसा न करते हों। आपने हमारी दामनीति नहीं मानी, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये, हरिजन तथा पिछड़ी जाति के लोगों को कुछ सुविधा पहुंचाने के लिये हमने जो कहा उसको आपने नहीं माना, हमारी कोई बात को आपने नहीं माना। अभी रिहन्द बांध का जब उद्घाटन हुआ, आप लोग हवाई जहाज से गये, हमारे पास भी चिट्ठी गयी कि तुम छोटी गाड़ी में जाओगे या बड़ी, यह पूछा गया। आप मत घबराइये, आपको हिन्दुस्तान का इतिहास बतलायेगा।

श्रीमन्, मैं एक बात गोरखपुर गोलीकांड के बारे में और कहूंगा। सरकार २५ प्रतिशत मालगुजारी बढ़ाने के लिये भी विधेयक ले आयी। गांधी जी के नाम पर यह सरकार उनकी आत्मा पर कुठाराघात करती है —

"शराबों में जो डूबे फिर न उभरे जिन्दगानी में,
हजारों बह गये इन बोतलों के बन्द पानी में।।

आपने लोगों के लिये शराब पर पाबन्दी को हटा लिया। हिन्दुस्तान की भूखी जनता को शराब पिलाकर चीनियों का मुकाबिला नहीं किया जा सकता। आपने काशी में जहां पर मनुष्य को मुक्ति मिलती हैं, वहां पर भी शराब पिलाना शुरू कर दिया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पूर्वी जनपद के बारे में जो कमेटी बिठाई गयी है वह सभी जिलों के बारे में जांच करे।

कहा जाता है कि देश द्रोही कौन है। बहुत से लोग कम्युनिस्टों को देशद्रोही बताते हैं। सन् १९४२ में लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी का रुख देखा था वह दूसरा था, लेकिन आज जो कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव पास किया है उसके बावजूद भी वह उस प्रस्ताव पर नहीं चल रही है। डांगे साहब से जब लंदन में पूछा गया कि एग्रेसर कौन है तो उन्होंने जवाब दिया कि चीन कहता है कि हिन्दुस्तान एग्रेसर है और हिन्दुस्तान कहता है कि चीन एग्रेसर है। वाकई में यही कम्युनिस्ट पार्टी की तस्वीर है। मेरे पास दो दस्तावेज हैं—एक १२ दिसम्बर का श्री खुश्चेव का भाषण है, जो उन्होंने सोवियट सुप्रीम में दिया था और दूसरा ७ जनवरी का प्रवदा का लेख है। श्री खुश्चेव अपने भाषण में कहते हैं—दे हैव.... (शोर) श्रीमन्, मैंने पहले ही कह दिया कि वह अंग्रेजी में है, मैं उसका हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा जिसका हमें अधिकार है। (शोर)

श्री अधिष्ठाता—

मैं सदन से कहना चाहता हूं कि इधर से इस प्रकार की परिपाटी न डाली जाय।

श्री उग्रसेन—

उन्होंने यह कहा कि पश्चिमी राष्ट्र हिन्दुस्तान को जल्दी जल्दी हथियार दे रहे हैं जिससे हिन्दुस्तान और चीन दोनों आपस में एक दूसरे का खून बहायें। हिन्दुस्तान को हथियार पश्चिमी

[श्री उग्रसेन]

देशों ने दिये कि चीनियों का खून बहाये, लेकिन चीन को हिन्दुस्तानियों का खून बहाने के लिये किसने हथियार दिये। चीन में हवाई जहाज की ३ हजार मिलें किसने लगायीं? इसके बाद प्रवदा में यह लिखा है—"दुनियां की कम्युनिस्ट पार्टीज एक हैं, दुनियां की कम्युनिस्ट पार्टियों का एक ही कार्यक्रम है, एक ही सिद्धांत है और वे एक ही प्रकार के वर्ग संघर्ष को लेकर दुनियां भर में चल रही हैं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दुनियां की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों में से है। उसने जो काम किया है उसका समर्थन दुनियां की सारी कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया है।" यह मेरी और मेरे जैसे सोचने वाले लोगों की राय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में है।

इसलिये मैं हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टियों से कहता हूं कि अगर उनको राष्ट्रीयता प्यारी है तो उन्हें दुनियां की सारी कम्युनिस्ट पार्टियों से सम्बन्ध तोड़ना होगा चाहे वह रूस की हों, चीन की हों, पोलैण्ड, बुल्गेरिया, इटली अथवा यूगोस्लाविया की हों और तभी वे राष्ट्रीयता की लहर इस देश में जगा सकेंगे।

इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस प्रकार की धांधली को बंद करे बाराहोती पर निगाह रखे, हमारी दाम नीति को माने और खास कर हमारी जो भाषा नीति है उसको भी माने। मैं चाहता था कि माननीय राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में इन बातों पर भी कहते, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, इसका हमें दुख है। आशा है उनके धन्यवाद के प्रस्ताव में हमारे संशोधन को जोड़ लिया जायगा।

*बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय उग्रसेन जी का भाषण सुना, उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका जवाब देना मैं जेबा नहीं समझती हूं। हमारे गवर्नर साहब का जो ऐड्रेस हुआ उससे हम अगर कोई नतीजा निकाल सकते हैं तो यही निकाल सकते हैं कि बातें कम करो और काम ज्यादा करो। उस एड्रेस का सारा निचोड़ इसी में है—

"यह घड़ी महशर की है, तू अरसये महशर में है।
पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है।"

इसलिये मैं उनकी बहुत सी बातों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती हूं। अभी उन्होंने कहा कि नारे लगाये गये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ मजबूत करो, चन्द्रभानु गुप्त के हाथ मजबूत करो। तो हम देश को बचायें या चन्द्रभानु गुप्त और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बचायें। हाथ मजबूत करने का मतलब मैं उन्हें बहुत ही मुलायम अल्फाज में बता देना चाहती हूं। जब हम किसी गाड़ी में सवार होते हैं और सफर कर रहे होते हैं तो जब तक उसका चलाने वाला न होगा तब तक हम अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। नाव चलाने के लिए होशियार मल्लाह की जरूरत है, जब मल्लाह होशियार नहीं होगा उस वक्त तक नाव कैसे आगे बढ़ेगी। एक इंजन होता है पूरी ट्रेन को आगे ले जाने के लिये, और जब इंजन ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे देश के नेता जो हमको आगे लेकर बढ़ने वाले हैं, जब उन्हीं के हाथों को मजबूत नहीं किया जायगा तो हम कैसे चीन का या किसी और का मुकाबिला कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि कुछ इस किस्म की बातें कही गयीं कि हम बापू, महात्मा गांधी के बनाये हुये रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो यह सही है कि गांधी जी का रास्ता अहिंसा का था लेकिन जब कश्मीर पर हमला हुआ तो उस वक्त उन्होंने कहा कि चूंकि इस वक्त कश्मीर वालों की आजादी खतरे में है इसलिये उनकी उस आजादी को बचाने के लिये पूरे तरीके से मुकाबिला करना चाहिये। कश्मीर की यह एक ऐसी मिसाल हमारे सामने है जिससे यह साबित हो जाता है कि हमारी गवर्नमेन्ट की पालिसी कुछ बदली नहीं है और हम माजी में गांधी जी के बनाये हुये रास्ते पर ही चले हैं और आज भी उन्हीं के फलसफे हयात की रोशनी में अपनी जिन्दगी का हल तलाश कर रहे हैं। इस तरह से यह बात भी गलत साबित हो गयी।

तीसरी बात यह है कि राज्यपाल महोदय के इनागरल ऐड्रेस पर जो शुक्रिया का रेज्योलूशन श्री नौरंगलाल जी ने पेश किया है, मैं इस हाउस के एक मेम्बर होने के नाते, रामपुरी होने के नाते और भारतवर्ष का नागरिक होने के नाते उसका तहेदिल से समर्थन करती हूं। हमारे यहां पूरे प्रदेश के लिये सिविल डिफेंस की स्कीम लागू हुई है, पी०आर०डी० का दोबारा तंजीम किया गया है, कई जगह राइफल व दूसरे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हर मुकाम पर इसका इंतजाम करना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन ज्यादातर मुकामात पर वक्त अहम जरूरत की जो चीजें हैं उन सबको पूरा करने की कोशिश की जा रही है जिसकी तरफ राज्यपाल महोदय ने अपने ऐड्रेस में जिक्र किया है। इन सब स्कीम्स को पूरा करने के लिये धन की जरूरत है। तो मैं उस हाउस के एक मेम्बर होने के नाते, एक शहरी होने के नाते बगैर किसी पसोपेश के, बगैर किसी इख्तलाफ के गवर्नमेन्ट के सारे कामों के साथ ताय्युन करने के लिये तैयार हूं।

गवर्नर साहब ने अपने इनागरल ऐड्रेस में बतलाया कि एक शुगर ऐडवाइजरी कमेटी कायम की जायगी जो इंडस्ट्रियल प्वायंट आफ व्यू के मुताबिक डिफेंस के कामों में भी मदद देगी। रिहंद डैम के पावर के सिलसिले में कुछ लोगों को एतराज हो सकता है, लेकिन अगर वह बिहार, बंगाल के कोयले की खानों में से कोयला निकालने में इस्तेमाल होता है तो इसमें कोई एतराज की चीज नहीं है, क्योंकि यह तो जाहिर बात है कि कोई भी प्रदेश हो, सब को मिल कर अपने देश की रक्षा करनी है। अगर रिहंद डैम के पावर से खानों से कोयला निकाला जायगा तो इससे हमारे देश की रक्षा में बहुत मदद मिलेगी।

इसी तरह से और भी स्कीमें हैं, सिंचाई की स्कीम है या खेती बारी के साधन बढ़ाने की स्कीम है या जनता को शिक्षित करने का काम है, ये सब बातें ऐसी हैं जिनके लिये वाकई हमारी गवर्नमेन्ट मुबारकबाद की मुस्तहक है। कोआपरेटिव सोसायटीज खोलने की व हरिजनों को तालीम देने की बहुत सी सहूलियतें दी जा रही हैं। मुल्क में डाक्टरों की बहुत कमी थी जिसे दाखिले में २५ फीसदी बढ़ाने की सहूलियत देकर पूरा करने की कोशिश की जा रही है और एक नया मेडिकल कालेज मेरठ में खोलने का भी जेरे तजवीज है। इन सब कामों के लिये हमारी सरकार वाकई में मुबारकबाद की मुस्तहक है। ये सरकार के अजीम कारनामे हैं जिनका मैं अपने हल्के इन्तखाब की तरफ से सच्चे दिल से मैं समर्थन करती हूं। दूसरी बात यह है कि पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में नई म्युनिसिपैलिटीज का कायम करना और पुरानी म्युनिसिपैलिटीज के काम को और तरक्की के रास्ते पर लाना, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा ज़िला परिषद् संशोधन ऐक्ट, १९६२ को पास करना इस से सब जम्हूरियत के इक्तदार को बढ़ावा मिला है। इस वक्त मुल्क को जो सबसे बड़ी जरूरत है वह यह है कि पुलिस के इंतजाम को ज्यादा बेहतर बनाया जाय और यह हमारी जम्हूरियत को मजबूत बनाने की तरफ एक मजबूत कदम है, लेकिन मैं इतना जरूरी कहूंगी कि हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने इब्तदाई खुतबे में जो हिन्दी का जिक्र किया है वह बहुत अच्छी चीज है, हिन्दी हमारी राष्ट्रीय जबान है और उस को सीखने और जानने की हमारे बच्चों और भाइयों को पूरी कोशिश करनी चाहिये, लेकिन जहां हमारा यह तरीकेकार है और जो अच्छी चीज है वह हमारे देश की जबान है उसकी तरक्की होना चाहिये। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती अगर माननीय राज्यपाल हिन्दी के साथ किसी दूसरी जबान का भी जिक्र करते और मिसाल के तौर पर इस सदन में उर्दू के बारे में गवर्नमेंट के तजवीज को वाजे करते जिस से कि उन की आवाज इस सदन के जरिये से जनता तक पहुंच सकतीं। अगर यह चीज होती तो मुझे बड़ी खुशी होती, लेकिन मुझे अफसोस है कि इसके मुताबिक उन्होंने कोई वजाहत नहीं की। हालांकि कोई भी जबान वैसे नहीं चल सकती, किसी भी इंसान या जबान में खुद चलने की ताकत होनी चाहिये और हर जबान तब ही चलती है जब उस में खुद सलाहियत हो।

"अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल,
हम वह नहीं कि जिनको जमाना बना सकें।"

मुझे इस बात की जरूर शिकायत है कि हमारी केन्द्रीय सरकार का कुछ भी रवैया या नजरिया उर्दू के मुताल्लिक हो, या हमारी भाषा कमेटी कुछ भी सिफारिशात दे या इस प्रदेश के कुछ

[बेगम किश्वर आरा]

फिर्कों का कुछ भी नजरिया है। गवर्नर साहब को अपनी पालिसी वाजे कर देना चाहिये थी।

"जमाने से मुझे शिकवा नहीं
गिला तुम से है, और बेजा नहीं।"

जहां गवर्नर साहब ने अपने एड्रेस में और तमाम बातों का वाजे तौर पर जिक्र फरमाया वहां हमें उन से यह तवक्को थी कि वह औरतों के मुताल्लिक भी कोई जिक्र करेंगे। आज यह सही है कि औरतों को कानूनी तौर से और आईनी तौर से बराबरी के हकूक मिल गये हैं, लेकिन फिर भी वह अमलन अभी बहुत पीछे हैं। अगर इस वक्त इस इब्तदाई खुतबे में औरतों के मुताल्लिक उनकी तरक्की के लिये जो प्रैक्टिकल तजावीज अमल में लाई जाने वाली हैं उन तमाम पालिसीज की वजाहत करते तो बेहतर होता। क्या-क्या फेसिलिटीज औरतों को सरकार बहम पहुंचाने जा रही है उसकी वजाहत होती है और क्या-क्या उन के लिये यह सरकार करेगी इस के मुताल्लिक उनकी आवाज इस सदन के जरिये से सूबे की जनता तक और औरतों तक पहुंचती तो आज मुझे इस तरह की शिकायत न होती—

"बात हम खाकनशीनों की भी रख ले साकी
इससे पहले कि तेरे सर कोई इल्जाम आये।"

मैं फिर एक बार निहायत आजिजी के साथ अर्ज करूंगी कि चूंकि इस वक्त हमारा देश संकट में है और यह जो मैंने शिकायत की हैं और चूंकि आज बड़ी परेशानी देश के सामने है, इसलिये मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगी कि जो भी तरीके हमारी गवर्नमेंट इस वक्त अपनायेगी हम उनके साथ तन मन धन से तावुन करेंगे और मुल्क के दुश्मन का मुकाबिला हम हिम्मत, दिलेरी और इस्तकलाल के साथ करेंगे।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर)

अनेक सदस्य—

श्री प्रेमसिंह को बोलने दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

इस तरह से जब बहुत से अध्यक्ष सदन में हो जायेंगे तो बहुत दिक्कत हो जायगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जो हमारा संशोधन है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने इस संकट की घड़ी में उस बात की तरफ इशारा नहीं किया जिसकी तरफ मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और सूचना मंत्री जी ने कई बार प्रेस के सामने और आम जन सभाओं में कर चुके हैं कि जिस तरह से प्रदेश की गरीब जनता, किसान मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों ने इस राष्ट्रीय संकट के समय में धन और खून से तथा हर तरह से सहायता की है उस तरह से पूंजीपतियों ने नहीं की। मैं चाहता था राज्यपाल महोदय इसकी तरफ जरूर कुछ संकेत करेंगे। लेकिन दुख है उन्होंने कोई संकेत नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय ऊदल जी आप जरा यह स्पष्ट कर दें कि आप अपनी पार्टी के लीडर की हैसियत से बोल रहे हैं या सदस्य की हैसियत से? अगर सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं तो १० मिनट ही आप बोलेंगे।

श्री ऊदल—

मैं सदस्य की हैसियत से बोल रहा हूं।

उल्टे हो यह रहा है कि इस राष्ट्रीय संकट का नाजायज फायदा उठा कर हमारे प्रदेश के मिल मालिकों ने जैसा आपने अखबारों में देखा होगा, कानपुर के अन्दर बिनता विभाग को बड़े पैमाने पर बन्द करना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं और हालत यह हो गई है कि कपड़ा बनाना बन्द करके चोरी से मुनाफा कमाने की गरज से सूत बेचना शुरू कर दिया है। एक तरफ संकट और गरीब जनता का त्याग और दूसरी तरफ बड़े-बड़े पूंजीपतियों की यह कार्यवाही इस संकट की घड़ी से नाजायज फायदा उठाने के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जरा कड़ाई अख्तियार करे और कड़ाई से इनके साथ पेश आये। इतना ही नहीं सरकार ने राज्यपाल महोदय को सही सही आंकड़े भी नहीं दिये। जो कमजोरी सरकार की हमेशा से तथ्यों को छिपाने की है उसी की वजह से सरकार ने राज्यपाल महोदय को सही तथ्यों से अवगत नहीं कराया है। आप देखें कानपुर के मिल मालिक बिनता विभाग को बन्द कर रहे हैं और उन पर करोड़ों रुपया सरकार का सेल्स टैक्स का बकाया है। उसके बारे में भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं चाहता था ऐसे समय में उन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये थी। सरकार के अधिकारी जो हैं वह मिल मालिकों से मिले रहते हैं जिसकी वजह से सरकार के सामने सही फिगर्स नहीं आते, मेरे पास आंकड़े हैं जो मैं सरकार को दे सकता हूं, मिल मालिकों के ऊपर २० आंकड़े करोड़ से ज्यादा सेल्स टैक्स और नाना प्रकार के टैक्सों का बकाया है। इसके अलावा बिजली कम्पनियों पर करोड़ों रुपया कर्ज का बकाया है, न सूद मिल रहा है, न मूल धन मिल रहा है। यह फीगर्स भी मेरे पास हैं। मैं चाहता हूं सरकार कड़ाई से इस रुपये को वसूल करे। इतना ही नहीं मिल मालिकों को करोड़ों रुपया कर्ज का सरकार ने दिया कुछ तो अपने लाभांश के लिये, जिसका नतीजा यह हुआ लाखों रुपया खर्च करने के बाद कुछ ने राज्यपाल के नाम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया कुछ फर्मों ने नाम बदल दिये। नतीजा यह हुआ कि इस तरह से करोड़ों रुपया गायब हो गया और इसके अलावा भी करोड़ों रुपया हर साल उनको दिया जा रहा है। इसलिये जो सरकारी खजाने का पैसा है, जिसको जनता एक-एक पैसा कर के टैक्सों के रूप में देती है, उसका सदुपयोग होना चाहिये और जिसको वह दिया जाय उससे समय के अन्दर सूद और मूल धन के साथ वसूल करना चाहिये और जो लोग नहीं देते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये।

कानपुर में जाजमऊ का एक इलाका है जहां चमड़े के बहुत से कारखाने हैं। उन कारखानों के मजदूरों की हालत इतनी बदतर है कि न तो उनके रहने का ठिकाना है, न बोनस ठीक से मिलता है, न महंगाई मिलती है, न वेलफेयर सेंटर्स कायम किये गये और इन कारखानों के मालिक इनको काफी सताते हैं। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता कि मंत्रिमंडल बहुत बड़ा है, कुछ लोग निकाले जायं तो मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मंत्री लोगों के जिम्मे जो काम है उसको वह खूबी से करें ताकि जनता यह समझे कि मंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया। श्रम मंत्री के सभा सचिव जी यहां बैठे हैं। मैं उनसे मांग करता हूं कि कानपुर के चमड़ा मजदूरों की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन आजतक उनके लिये कुछ नहीं हुआ इसलिये सरकार को इसके ऊपर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता था कि माननीय राज्यपाल महोदय कुछ इस बात की तरफ भी संकेत करेंगे कि सरकार खजाने का जो रुपया सरकार के द्वारा इन पूंजीपतियों को कम सूद पर दिया जाता है उस सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं साहू जैन का केस बतलाना चाहता हूं। कल का अखबार उठा कर देखें। साहू जैन और साहू डालमिया, ये एक ही खानदान के लोग हैं, इन्होंने हमेशा वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया है। हमारे यहां बनारस में साहू जैन की फैक्टरी लगी है। इन्होंने हर वित्तीय नियम का उल्लंघन किया और आजतक सूद की किस्तों को भी अदा नहीं किया। तो एक तरफ तो हम सरकारी साधनों को बढ़ाने की मांग करते हैं और दूसरी तरफ सरकार रुपये का दुरुपयोग करती है। जैसा मैंने कहा, मंत्री लोगों को काफी कड़ाई से अपने अपने विभागों को चलाने की आवश्यकता है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने राज्यपाल महोदय को यह बताया कि जितने सरकारी फार्म प्रदेश में चल रहे हैं उनकी हालत क्या है? आपके इन फार्मों में जहां मशीनें लगी हैं, तमाम आधुनिक औजार और हर तरह के सिंचाई के साधन मौजूद हैं वहां लाखों रुपये का हर साल घाटा

[श्री ऊदल]
हो रहा है और आप किसानों से कहें कि पैदावार खूब बढ़ाओ तो इस तरह का विरोधाभास चलने वाला नहीं है। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मुझे पांच मिनट का समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता---
आप तीन मिनट और बोल लीजिये।

श्री ऊदल---
जितने सरकारी फार्म हैं उनकी हालत बहुत नाजुक है। सब में हर साल लाखों रुपये का घोटाला हुआ है। क्या मैं जान सकता हूं मंत्री महोदय से कि उन्होंने अपनी कौन सी जिम्मेदारी को पूरा किया? आप एक तरफ यह शिकायत करते हैं कि उधर के लोग कहते हैं कि मंत्रिमंडल छोटा करो। लेकिन मैं मंत्रिमंडल के छोटा करने की बात नहीं कहता हूं। आप मंत्रिमंडल छोटा करिये या न करिये, लेकिन काम तो अच्छी तरह से अंजाम दीजिये। आप इसमें भी फेल हैं। आप कौन सा उदाहरण जनता के सामने रखना चाहते हैं? आप इस बात को गम्भीरता पूर्वक सोचिये। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि हमारे जो सभा सचिव हैं जिनकी देख रेख में ब्लाकों का काम है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ब्लाकों को करोड़ों रुपया सिंचाई के कुएं बनाने तथा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत दिया गया है। मैं आपको एक उदाहरण पिंडरा ब्लाक वाराणसी का देना चाहता हूं। पंपिंग सैट के लिये रुपया जिनको दिया गया वह भी बकाया पड़ा हुआ है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस तरह का जो करोड़ों रुपया ब्लाकों के पास बकाया पड़ा हुआ है उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई? पंपिंग सैट को लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की? इन दोनों सवालों का जवाब जनता के सामने स्पष्ट रूप से देना चाहिये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इसका आपने जवाब नहीं दिया तो नतीजा वही होगा जैसी कि मांग आजकल हो रही है।

आप देखिये कि हालत यह है कि अभी आपने सुना होगा कि एक अल्प सूचित तारांकित प्रश्न था मध्य प्रदेश की सरकार के सम्बन्ध में कि इसने एक पैसा भी माता टीला व रिहैन्ड बांध के बनवाने में नहीं दिया है और वह उसमें से अपना हिस्सा चाहते हैं। इसी तरह से इनका झगड़ा पंजाब सरकार से भी किशऊ बांध के लिये चल रहा है। वह कहती है कि रुपया देने को हम तैयार हैं, लेकिन उसमें से हम अपना शेयर जरूर लेंगे। लेकिन हमारी सरकार कहती है कि हम अपने पास से बनवाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि आप भले ही अपने पास से बनवा दीजिये, लेकिन हम हिस्सा जरूर लेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार की क्या पालिसी है? अपने प्रदेश की जनता अपनी गाढ़ी कमाई में से करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में देती है और आप इस तरह से मुफ्त में बांटे डाल रहे हैं। यह इनको शोभा नहीं देता है। रिहन्द बांध और माता टीला आदि बांधों के बारे में जो निर्णय करने होंगे वे हाउस की राय के बिना नहीं किये जा सकते हैं क्योंकि जनता का करोड़ों रुपया इनमें लगा हुआ है।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, जनता का मनोबल आज कितना ऊंचा है, इसको इसी तरह से कायम रखना होगा। अब रहा यह कि कुछ लोगों को तकलीफ है, हमको भी तकलीफ है। इसलिये कि हम लोग उन लोगों के विचार में देशद्रोही कहे जाते हैं। मैं इन विघटनकारी तत्वों से इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं जो इमर्जेन्सी पीरियड भी कायम रखना चाहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाने को भी कहते हैं। आपको इनसे होशियार रहने की जरूरत है, आपको अपने दिमाग साफ करने पड़ेंगे नहीं तो ये तत्व आपको भी छोड़ने वाले नहीं हैं, जल्दी साफ करेंगे। आप इनमें से अपने दोस्तों को खोजने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पैर काटने की कोशिश करेंगे। ये न देश को मानते हैं, न नेहरू जी को मानते हैं, प्लानिंग को, न जनवाद को मानते हैं और न डेमोक्रेसी को मानते हैं। इनकी इन चार महीनों में सारी की सारी चोटें जनवाद के ऊपर ही हुई हैं, नेहरू जी के ऊपर हुई हैं, नान एलायनमेंट पालिसी के ऊपर हुई हैं। चाहे सोशलिस्ट पार्टी के नेता हों, चाहे जनसंघ के नेता हों, उनका हमला डेमोक्रेसी के ऊपर हुआ है।

अगर आपने इनसे बचने की कोशिश नहीं की तो ये पहले आपको साफ करेंगे और बाद में हमें साफ करेंगे इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

*श्री एस० जी० दत्त—

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के प्रति जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं इस हाउस में एक ऐसी घटना का जिक्र करना चाहता हूं कि.....

श्री अधिष्ठाता—

आपका माइक काम नहीं कर रहा है इसलिये आप दूसरे माइक पर आ जायं।

श्री एस० जी० दत्त—

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज ऐसे मुअज्जिज मेम्बरान इस हाउस के ऐसा जोश दिखाते हैं कि इस हाउस की मान मर्यादा रहती नहीं। राज्यपाल महोदय उड़ीसा के हैं। कांस्टीट्यूशन में है कि एक प्रदेश का उसी प्रदेश में गवर्नर नहीं हो सकता। इस वास्ते जरूरी है कि दूसरे सूबे में गवर्नर हों। बेशक हिन्दी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन बाज सूबे हिन्दी नहीं जानते। न बोल सकते हैं। न पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं। मैं ऐसे सूबे का हूं जो हिन्दी न पढ़ सकता है और न बोल सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपने ख्यालात का इजहार जिस जबान में कर सकूं उसमें न करूं और ऐसी जबान जो दूसरों के लिये आम फहम हो। मुझे अफसोस है कि कुछ ऐसे, सोशलिस्ट मेम्बरान हैं जिनके दिमाग में यह समाया है कि हिन्दी एक ऐसा हथियार है जिसके बगैर इसके देश की मुक्ति नहीं। अभी अभी उग्रसेन साहब इसके बारे में बोल रहे थे जो हिन्दी नहीं जानता वह लड़ाई भी नहीं लड़ सकता। जो हिन्दी नहीं जानता वह खाना भी खा नहीं सकता। जो हिन्दी नहीं जानता वह इस देश में जिन्दा भी नहीं रह सकता। फिर उन्होंने अंग्रेजी में हवाला दिया। कहना कुछ करना कुछ। इह तरह का रवैया अख्तियार करना अफसोस की बात है।

अभी हमारे राजा साहब बोल रहे थे। उनको दिखायी देता है कि इमरजेंसी है ही नहीं बोल कर चले जाते हैं सुनने के लिये तैयार नहीं। इमर्जेंसी का मैं क्लैरिफिकेशन चाहता था कि उनके जेहन में क्या इमर्जेंसी है? दूसरे के जेहन में क्या है और सरकार के जेहन में क्या है। अधिष्ठाता महोदय, हमारा मुल्क सुलहकुन है। हम लड़ाई नहीं चाहते। हमने अपने पड़ोसी के साथ भाई चारा निभाया। लेकिन कोई कह नहीं सकता कि कोई कब दगा देगा, धोखा देगा। हमको धोखा हुआ। यह हम मानते हैं। हम समझते थे कि हम पर कोई हमला नहीं सोगा। हम उस सोशलिस्ट पैटर्न को चलाना चाहते थे। हमने देश की तरक्की के लिये योजनायें बनायीं। दिन रात काम किया और सफलता पायी। ऐसे वक्त में जब कि हम इसमें मसरूफ थे हमारे ऊपर चाइना ने हमला किया। एकदम जब हमला हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। लेकिन एक हमला हमारे ऊपर नहीं हुआ। दो हमले हुए। एक अन्दरूनी हुआ और एक बाहरी हुआ। डेमोक्रैटिक फोर्सेज के ऊपर एक दम फासिस्ट फोर्सेज ने हमला कर दिया। उधर से चाइना हमारे ऊपर हमला कर रहा था और इधर से यह फासिस्ट फोर्सेज हमारे ऊपर हमला कर रही थीं और जितनी डेमोक्रेटिक फोर्सेज थीं उनको दबाना चाहती थीं। बेशक मैं मानता हूं कि अगर कोई गलती करता है तो कसूरवार है, लेकिन एकदम इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो कि डेमोक्रेटिक सरकार है और सोशलिस्ट पैटर्न पर चलना चाहती है, उसके ऊपर एकदम से फासिस्ट फोर्सेज ने हमला किया और जिसकी वजह से कृष्णामेनन को जाना पड़ा। लेकिन दरअस्ल यह हमला नेहरू जी के ऊपर था। ने रू जी को दुनिया जानती है। नेहरू जी आज सोश लस्ट तरीके से अपने देश की तरक्की करना चाहते हैं ताकि हर गरीब अमीर बराबर हो जाय। लेकिन उस चीज को सामने रखकर यह फासिस्ट फोर्सेज जो कि सरमायेदारों की फोर्सेज हैं, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठायी और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री एस० जी० दत्त]

कहा कि यह कम्यूनिस्ट हैं, हमारे जैसे गरीबों को कम्यूनिस्ट कहा । बजाय इसके कि चीन के हमले के खिलाफ अपनी सरकार की वह मदद करते, उन्होंने उलटे अपनी सरकार को डांटना शुरू किया और लोगों के सामने उन्होंने भाषण दिये मुझे अफसोस है कि जो अपने को सोशलस्ट भी कहलाते हैं, उग्रसेन जी नहीं हैं यहां, और जो पी० एस० पी० के लोग हैं, मैं यह नहीं कहता कि जानबूझ कर हुआ, लेकिन यह जरूर है कि पी० एस० पी० के नेताओं ने भी इस तरह के कदम उठाये जिससे फासिस्ट मूवमेंट को बल मिला । कृपालानी जी की तकरीरें, महताब साहब की तकरीरें और लोहिया की तकरीरें, इन सबने फासिस्ट मूवमेंट को मजबूत किया, उसको बल दिया । लेकिन हमने उसका मुकाबिला किया और डटकर मुकाबिला किया । हमारी नान-एलाइनमेंट की पालिसी की वजह से कि हम किसी ब्लाक में नहीं जाना चाहते थे, आज हमको सारी दुनिया की सहायता मिली है और जिसकी वजह से चाइना के ऊपर असर पड़ा कि उसने एक दम से सीज फायर किया ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय दत्त जी, आप भी अपनी परिधि से बहुत बाहर जा रहे हैं, कृपया उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहें।

श्री एस० जी० दत्त—

मैं उसी पर आ रहा हूं आज यह लोग जो कि इंडायरेक्टली अन्दरूनी तरीके से चीन की मदद कर रहे थे, हमको सबक दे रहे हैं । कहते हैं मंत्रिमंडल के ऊपर बड़ा खर्चा हो रहा है, फलां टूर कर रहा है, यह खर्चा हो रहा है। मैं कहता हूं कि घर में बैठकर आप हुकूमत चला सकते हैं ? यह डेमोक्रेसी है, लोगों के बीच में आपको जाना है और प्रोपेगेंडा करना है। कहते हैं इनागरेशन करने न जायं, खर्चा होता है। अच्छी बात है, अगर मिनिस्टर के जाने से इनागुरेशन पर खर्चा होता है तो हाउस से कहूंगा कि राजा साहब को भेज दिया जाया करे, इनागुरेशन वही करायें। हमको तो इससे कोई वास्ता नहीं है। हमको तो इससे वास्ता है कि हमारे इस प्रदेश की सरहद के ऊपर चीनी बैठे हुये हैं, हम पूरी तरह से अपनी मजबूती कायम करें और लोगों के अन्दर एक ऐसी स्पिरिट पैदा करें जिससे कि हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें।

राजा साहब कहते हैं कि साहब बचत नहीं होती है । मैं पूछता हूं कि राजा साहब की हैसियत देख ली जाय, अंग्रेजों के जमाने में चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन आज भी हमसे अच्छी उनकी हैसियत है, मैं नहीं जानता कि २०० रुपया महीना जो मिलता है, वह राजा साहब ने सुरक्षा कोष में दिया या नहीं, जो रोज का भत्ता मिलता है, वह सुरक्षाकोष में दिया या नहीं जबकि हम आज भी कटौती अपनी तनख्वाह से करा रहे हैं जो कि गरीब हैं और मैं इस हाउस से यह कहना चाहता हूं कि गरीब और मिडिल क्लास ने जिस तरह से मुल्क की हिफाजत के लिये, मुल्क के नवजवानों के लिये अपना खून, अपना धन और अपने बच्चे दिये हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि सरमायादारों और उनके एजेंटों, इन फासिस्ट लोगों ने उनके मुकाबिले में क्या दिया है ? और फिर हम पर इल्जाम लगाते हैं। हमारे यहां की यह मिसालें हैं। कानपुर की मिसाल है कि एक मिस्त्री ने, एक मजदूर ने किस प्रकार रुपया दिया ।

वहां पर सवाल हुआ कि चन्दा देना है। तो उसने अपनी यूनियन से कहा कि चन्दा देना चाहिये। यूनियन वाले कह रहे थे कि २००, २५० रुपये चन्दा क्या दें ? उस मजदूर ने कहा कि आधा मैं दूंगा और आधा तुम दो। उस मजदूर का बच्चा बैठा हुआ था। उसने कहा कि बापू मेरा जो रुपया ८०० तुम्हारे पास जमा है वह दे दो । उसकी लड़की, जिसके पास कुछ नहीं जमा था, उसने कहा कि बापू तुमने मुझे कुछ नहीं दिया नहीं तो मैं भी देती । उस लड़की ने अपनी चूड़ियां उतार कर दे दी। वह रुपया एक हजार रुपये से ज्यादा हो गया । यह गरीब का जोश है। यह जोश मिडिल क्लास के लोगों का है। आपका क्या जोश है सिवाय इसके कि कांग्रेस हुकूमत को गाली दें और कांग्रेस को नीचा करने की कोशिश करें।

यही आपका नस्बुलैन है और यही आपका इरादा है कि कांग्रेस सरकार न रहे तो आप गद्दी पर बैठ जायं। आप बैठ जायं तो इस हुकूमत को चला नहीं सकते। आपको पता नहीं है कि जब कुर्सी पर बैठा जाता है तो कितनी प्राबलम्स का सामना करना पड़ता है। इसका आपको तजुर्बा नहीं है।

(इस समय ४ बजकर १८ मिनट पर, श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

राजा साहब ने कहा था कि 'इमरजेंसी फार व्हाट' उसके लिये उन्होंने कहा कि 'देयर इज नो वार'। हम कहते हैं कि वार है। ये कहते हैं कि नहीं है। आज हम कहते हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। चीन एग्रेसर है। चीन पीछे क्यों गया क्योंकि वह जानता था कि वह विक्टोमाइज्ड हो जायगा। हमारी बहुत देशों ने मदद की और हम भी अपने जवानों के लिये मदद कर रहे हैं। जो जवान सरहद पर मौजूद हैं, अपने मुल्क की हिफाजत के लिये डटे हुये हैं उनके लिये सब कुछ करन है। लेकिन हमारे भाई कहते हैं कि वार नहीं है। वह इस वास्ते कहते हैं कि हमारी सरकार वैस्टर्न ब्लाक में दाखिल हो जाय। यह जनसंघ का कहना है और स्वतंत्र पार्टी का कहना है कि वैस्टर्न ब्लाक में चले जाइये। मैं जानता हूं इस बात को जनसंघ के नेता लोग कहते हैं।

*श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)–

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो मैंने संशोधन दिया वह चेयर की व्यवस्था के अनुसार उपस्थित माना गया। तो उस सिलसिले में जो बहस हुई उसमें कुछ बातें ऐसी रहीं जिनका कहना मैं जरूरी समझता हूं। उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा। पहली बात यह है कि भाषा हिन्दी संबंधी बात कही गई और उस पर बहस भी हुई। कल वह एक ऐसी घटना हुई जब कि महामहिम राज्यपाल महोदय अपना भाषण दे रहे थे जिसकी मुझे भी तकलीफ हुई, लेकिन एक बात की बड़ी मजबूरी जिसको मैं कहना चाहता हूं, जहां इस बात की तकलीफ है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिये थी इस सदन में वहां इस बात की भी तक तकलीफ होती है कि जब राज्यपाल महोदय अंग्रेजी में भाषण करना शुरू कर देते हैं तो लेखपाल भी अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है जिसका हल कुछ खोजना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जब राज्यपाल महोदय अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे तो हिन्दुस्तान की और उत्तर प्रदेश की कोटि कोटि जनता का निरादर होगा, यहां की भाषा का निरादर होगा और जनता का मनोबल गिरेगा। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान) आप सुनिये। जो तकलीफ मुझे हुई वह मैंने कही। दूसरा सवाल था कि सामान्य प्रशासन प्रदेश का कैसा है इस संबंध में महामहिम ने कुछ नहीं कहा। वह अस्तव्यस्त हो गया है। गोरखपुर का गोलीकांड, अतरौलिया और बस्ती का कांड क्या बतलाते हैं, प्रशासन की कड़ियों को आप देखें तो उससे प्रदेश की हालत का पता आपको चल जायगा। यह भी जाहिर है कि आज पुलिस चोरों को, डकैतों को लगा कर डकैतियां डलवाती है और मिनिस्टर साहबान उनकी जमानतें करते हैं, पैरवी करते हैं और वह देख कर सोचना पड़ता है कि आखिर इस प्रदेश के प्रशासन का क्या होने वाला है।

मेरा दस सूत्री संशोधन है और इसलिये मैं दस मिनट के समय में हर बात पर एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं। दूसरी बात प्रदेश में जीवनोपयोगी वस्तुओं का मूल्य बढ़ा है और बढ़ते हुए टैक्सों से जनता का दम घुट रहा है। एक तरफ जनता दम तोड़े और दूसरी तरफ गुप्त जी की सरकार उस पर टैक्सों का बोझ लादे, तो इस तरह से तो जनता का दम निकलने ही वाला है। इसलिये हे महाराजधिराज, हे चन्द्रभानु गुप्त जी की सरकार, आप से करबद्ध प्रार्थना है कि जनता को करों के बोझ से रक्षा कीजिये और जीवनोपयोगी वस्तुओं को उचित मूल्य पर उसे मिलने दीजिये। रसद मंत्री जी यहां नहीं है, मेरे जिले में ३० और ५० रुपये देने पर ही तेल के लाइसेंस दिये जाते हैं। मिट्टी के तेल की यह हालत है, चीनी की यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

हालत है, सीमेंट के परमिट के लिये रुपया लिया जाता है, तो हाल क्या होगा। एक सज्जन मेरे पास आये, कहा कि बाबू साहब, १० बोरी सीमेंट के लिये रेकमेंड कर दीजिये। रेकमेंड कर दिया। हुआ क्या? वहीं दूसरे सज्जन खड़े थे। उन्होंने कहा कि दूसरी दरख्वास्त रेकमेंड करा कर ले आइये और दो रुपया बोरी ले आइये और उनसे २२० रुपये लेकर १६० बोरी का परमिट दिया गया। और मैं इसको साबित करने के लिये तैयार हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। (व्यवधान) आप कहते हैं कि बड़ा हमला होता है। अरे दोस्तो, अगर आपकी तरह माले मुफ्त दिले बेरहम इधर भी होता तो आप भी हल्ला करते। इतना बृहदाकार मंत्रिमंडल किस लिये है? कृषि मंत्री चरणसिंह जी बैठे हैं, लेकिन उनके साथ खन्ना साहब गन्ना मंत्री है। अब कल को सरसों मिनिस्टर, जौ मिनिस्टर, गेहूं मिनिस्टर बनने लगेंगे। गन्ने को कृषि से क्यों अलग कर दिया? इसलिये कि मिल मालिकों पर रोब खन्ना साहब का रहे, चरणसिंह जी का नहीं,। सीधे आदमी हैं, जरा मजबूत भी हैं, पक्के इरादे के आदमी हैं। कहीं ऐसा न हो जाय कि उन मिलमालिकों पर हमला कर बैठें। वैसा होने पर चन्दा मिलना मुश्किल हो जायगा और फिर महामान्य चन्द्रभानु गुप्त जी क्या करेंगे? कैसे यह पार्टी और हुकूमत चल पायेगी?

श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बृहदाकार मंत्रिमंडल काहे के लिये है? ऊदल जी चाहे गुप्ता चालीसा पढ़ते रहें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है उसे सुनिये और सोचिये। ठाकुर हर गोविन्दसिंह जी प्लानिंग के मंत्री हैं उनके बगल में लघु उद्योग मंत्री जी का बोर्ड है। जरा इस लघु उद्योग की कहानी भी सुन लीजिये, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर आप दोनों का विभाग एक स्थान पर है यहां पर २ हैं, क्योंकि मिनिस्टरों की तादाद बढ़ी हुई है न। खैर, तो गोरखपुर जिले में २ लाख रुपया इन्हीं कांग्रेसियों ने, इन्हीं के चट्टे बट्टों ने, जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी, वाइस-प्रेसीडेंट के दामाद, ब्लाक प्रमुख के भाई और दूसरे लोगों ने आपस में बांट लिया। यह हुजूरवाला इमर्जेंसी है। इसमें २ लाख बांट लिया यही तमाशा इमरजेंसी के नाम पर हो रहा है। इमर्जेंसी इस बात के लिये है कि गरीबों की चमड़ी उधेड़ी, लगान बढ़ाने के लिये इमर्जेंसी है, मंत्रिमंडल बढ़ाने के लिये इमर्जेंसी है। स्वायत्त शासन मंत्री जी नहीं है, अखबारों में निकल गया, लेख और अग्रलेख निकले, लखनऊ आकर पूछा तो पता चला कि इस्तीफा नहीं दिया था। अभी मंत्री हैं। क्या तमाशा है? क्या नाटक है? और हिन्दुस्तान के सबसे बड़े नेता जी कहते हैं कि यह तो प्रदेश का मामला है मुझे मालूम नहीं है।

राष्ट्रीय आपात का जिक्र किया गया। महामहिम राज्यपाल ने पंचशील का जिक्र किया। मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने लेखपालों को हुक्म दे दिया है कि इतना रुपया वसूल कर लो। इससे जनता का मनोबल टूटा है। मैं दावत देता हूं, एक भी मंत्री बता दे कि उनकी मीटिंगों में एक भी आदमी ने स्वेच्छा से आकर उनको रुपया दिया हो। वसूल करते हैं आपके कलेक्टर और कमिश्नर पहले से जमा रहता है और मिनिस्टर जब जाते हैं तो उनको तोहफे भेंट होते हैं।

एक और बात है। इस प्रदेश का सबसे बड़ा प्राब्लम है बेकारी, शिक्षतों की बेकारी, किन्तु उसके बारे में न तो महामहिम राज्यपाल ने चर्चा की है और न धन्यवाद के प्रस्तावक महोदय ने समर्थन करने वाले कौन थे हमारे गाजीपुर जिले के माननीय सदस्य जिनके जिले में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्क्वायरी करवा रही है कि वहां गरीबी कितनी है। आप उन चोटा चाटने वालों की हालत पर रहम करते। आप कम से कम समर्थन न किये होते, करने दिये होते खन्ना साहब को, करने दिये होते जेल मंत्री जी को जिनका भाषण बड़ा अच्छा होता है। गोरखपुर जिले की गरीबी आज चरमसीमा पर है, बाढ़ की अपनी चरमसीमा पर वह जिला है। मैं सिंचाई मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उनकी बाढ़ योजना से कितना लाभ हुआ है? एक सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता गोरखपुर के हैं अश्विनी कुमार जी, उन्होंने चन्द्रभानु गुप्त को खुला

पत्र लिखा है कि गोरखपुर के आंकड़े इस संबंध में क्या हैं। उनको मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर जानना चाहूंगा कि इस बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिये आपने क्या कदम उठाया है ? राज्यपाल महोदय ने बाढ़ या कटाव रोकने की कोई योजना नहीं रखी जो खत्म करने की योजना है, उस सरकार के महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया जाय, यह असंभव है। यह कराना इस देश और प्रदेश की जनता के हित में नहीं होगा, राष्ट्रीय संकट के हित में नहीं होगा। खुली बात यह है कि राष्ट्रीय संकट में इन सारी बातों का जिक्र किया जाय। मेरा यही कहना है। आप कहते हैं कि हमने चीनियों से लड़ाई लड़ी और उनके ज्यादा सैनिक मरे हमारे कम, परन्तु आप तो उनका एक भी सैनिक नहीं पकड़ पाये हैं। आप किस आधार पर आज लड़ाई की चर्चा करने चले हैं।

एक सदस्य—

कैसी भाषा बोल रहे हैं। इसका विचार करें।

श्री कल्पनाथसिंह—

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के सैनिक वह तारीफ के काबिल हैं, हिन्दुस्तान की जनता तारीफ के काबिल है और वही असली धन्यवाद की पात्र है। उसकी जितनी तारीफ की जाय सब कम है। उसने अपने जवान दे कर, खून देकर, अपना धन देकर आज आवश्यकता के समय में भामाशाह का उदाहरण प्रस्तुत किया है, लेकिन यह सरकार राणा प्रताप का उदाहरण प्रस्तुत करने में अक्षम रही है। बजाय देश की रक्षा की ओर ध्यान देने के वह अपनी पार्टी को और अधिक मजबूत करने में लगी हुई है। और उसके यह जापानी बबुये, ये मिनिस्टर लोग केवल चन्दा जमा करने के लिये ही भाषण देना जानते हैं। मैं तो कहता हूं कि इन कांग्रेसियों को खुदा ही सुबुद्धि दे कि यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो संशोधन दिया गया है, उसको शामिल करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

(लाल बत्ती के जलने पर)

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझे भूल से समय दे दिया, क्योंकि मैं बोलने के लिये बहुत देर से बेकरारी से इन्तजार कर रहा था। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ऐसा करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं एक शेर आपकी सेवा में पढ़ देना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो।

तूफान भी है, सैलाब भी है, मल्लाह कुछ दीवाना सा,
जब ऐसी शिकस्ता कश्ती है, साहिल की तमन्ना कौन करे।

मैं पहले तो कुछ अफसोस जाहिर करूंगा, क्योंकि आज अध्यक्ष महोदय, हमारे बीचमें नहीं हैं, वरना और भी खुशी होती कि वह भी इस मजाक का मजा लेते और सुनते। इससे उनको जो हार्ट अटैक है शायद वह भी दूर हो जाता। Excuse me please give me your kind permission to speek in English. (एक्सक्यूज मी प्लीज गिव मी योर काइंड परमिशन टु स्पीक इन इंगलिश) इसमें मैं समझता हूं कि कोई खराबी नहीं है। मैं हिन्दी, उर्दू भाषा के ट्रांस्लेशन के बजाय अंग्रेजी में ही यदि बोलूं तो सौ गुना अच्छा होगा।

To the House and the Members of the Legislature Assembly, I am pleased that I am speaking . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये इसमें कुछ सदस्यों को एतराज है, इसलिये आप हिन्दी में ही बोलें।

श्री प्रेमसिंह—

अगर एतराज है तो मैं नहीं बोलूंगा। खैर जाने दीजिये। मैं नहीं समझ पाता हूं कि यह किश्ती कहां जायगी जबकि हम लोग अंग्रेजी को नहीं पसंद करते हैं। कल जब महामहिम

[श्री प्रेमसिंह]

राज्यपाल महोदय हमारे बोलने के लिये खड़े हुए और उनसे इस बात पर जोर दिया गया कि आप हिन्दी में ही बोलिये तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरा खयाल तो यह है कि अगर वह अंग्रेजी में ही बोलते तो अधिक मजा आता। जो ट्रांसलेशन हुआ वह तो मेरी समझ में नहीं आया। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिये अंग्रेजों का जो हम लोगों को इस काबिल बनाया कि हम उन्हें निकाल सकें यहां से। लेकिन आप तो जबान से ही इतनी नफरत करते हैं, मालूम होता है कि दुश्मन हैं। वह तो "की टु आल लैंगुएजेज" कहलाती है, उससे क्यों नफरत करते हैं? हिन्दी-उर्दू टूटी फूटी में सुनिये।

"क्या खुशामद हो रही थी दिल के लेलेने के कब्ल,
कैसी आंखें फेर लीं मतलब निकल जाने के बाद"

आजादी तो मिल गयी, लेकिन टैक्सेशन की कमी नहीं हुई। गरीबों के ऊपर जो चवन्नी बंध गयीं, इससे क्या फायदा हुआ? जब भी मैं कांस्टीटुएंसी में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि वहां पर यही करते हो? इमरजेंसी के नाम पर गरीब जनता लूटी जा रही है और हर एक गरीब आज आपनी खुशी को खो बैठा है। अंग्रेजी हो, हिन्दी हो, उर्दू हो। इसमें लड़कर गरीबी को नहीं दूर कर सकते (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ऐसी बदतमीजी की बातें नहीं कर रहा हूं जिससे हाउस को और आपको दुख हो। मंत्रिमंडल चाहे बढ़ जाय, भगवान करे और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाय लेकिन मैं चाहता हूं कि शांति हो, और अमन हिन्दुस्तान में हो न कि फिजूल बकवास जो यहां होती है। मैं चाहूंगा कि महिलायें मिनिस्टर बन जायं तो अच्छा है। दो या तीन ही बन जायं तो बहुत अच्छा है।

राज्यपाल महोदय के संबोधन पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के संशोधन के पक्ष में बोलना चाहता था, लेकिन क्या करूं, अंग्रेजी में बेकार बयान लिख कर लाया उसको वैसे ही रख देना अच्छा है। एक और शेर सुनाकर बैठ जाऊं चुप-चाप तो बेहतर है—

"हसरत को तेरी अरमां, अरमां को तेरी हसरत,
अरमां को भी अरमां है, हसरत को भी हसरत है।"

आदाब!!

*श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के लिये पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि आज इस प्रस्ताव के विरोध में जितनी भी बातें कही गयी हैं, हम तो यह आशा और उम्मीद करते थे कि परिवर्तित परिस्थिति में हमारे उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के मन में भी कुछ इस तरह की भावनाओं का उद्रेक हुआ होगा कि आज की परिस्थिति में वह नये ढंग से और नये तौर-तरीके से यहां कुछ काम करेंगे और करने देंगे। लेकिन उसके प्रतिकूल संशोधन में ऐसी बातें कही गयी जिन्हें मैं साल भर से सुनता आ रहा हूं। इसके साथ ही ऐसी बातें भी कही गयीं कि उनको कहते वक्त इस सदन की मान मर्यादा तक का ध्यान नहीं रखा गया और ऐसा लगता था कि जैसे वे किसी बाजार में बोल रहे हों, यहां सदन में नहीं। ज मन में आ रहा था उसको कह रहे थे। बिलकुल गैर जिम्मेदारी के ढंग से बहुत सी बातों को यहां कह दिया गया है। क्या मैं आपके द्वारा उधर के माननीय सदस्यों से यह कह सकता हूं कि उनके दल में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर डाके डालने, कत्ल करने और जाली रुक्के बनाकर नालिश करने के आरोप हैं। हमारे यहां एक कोआपरेटिव बैंक है बड़ी पारा में। वहां सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य ने यह बताया कि वह १०,००० रुपया किसानों को बांटने के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ला रहे थे, तो उन्हें लूट लिया गया । पुलिस ने उनके विरुद्ध रिपोर्ट की, उन पर डिक्री हुई और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। उन्होंने २०,००० रुपया लोगों के जाली दस्तखत बनाकर इस बैंक से वसूल किया है । वह बैंक फेल हो गया और वहां किसानों का बड़ा नुक्सान हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी उत्तेजना की बात न कहें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि एक दल के लिये क्या ऐसी भावात्मक बातें कही जा सकती हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है और मैंने उन्हें रोक भी दिया ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं उनसे उनका नाम चाहता हूं परिभाषा क्या है और क्या स्पष्टीकरण है?

श्री उपाध्यक्ष—

बता दीजिये, साहब।

श्री नित्यानन्द पांडेय

सत्य कटु होता है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि उनका नाम प्राग-नारायण त्रिपाठी है। मैं चैलेंज करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उसका एक एक अक्षर सही है। वह कानपुर जिले के रहने वाले हैं और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं सोशलिस्ट पार्टी के सभी सदस्यों को जानता हूं, ऐसा कोई सदस्य हमारी पार्टी में नहीं है। यह बात बिलकुल अनर्गल है।

श्री नित्यानन्द पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पहले उधर से शुरुआत की जाती है और जब अदब के साथ इधर से जवाब दिया जाता है तो उसे भी सुनने की बरदाश्त नहीं है। वैसे तो मेरे पास बहुत सी बातें कहने के लिये थीं। उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने वही सब पुरानी बातें कहीं कि मंत्रिमंडल बहुत बड़ा है, भ्रष्टाचार है, बड़ी गड़बड़ियां हैं। इसी प्रकार की जो बातें सालभर तक कही जाती रही हैं उन्हीं की पुनरावृत्ति की जा रही है। अब कहा जाता है कि देश पर से संकट टल गया है, अब संकटकालीन स्थिति के कायम रखने की आवश्यकता नहीं है और फिर उसके बाद भी यह समझा जाता है कि देश के लिये वे कोई बड़ा भारी काम कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनके अन्दर ही देश के लिये, देश के गरीबों के लिये कुछ भावना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रकारान्तर में यह चाहते हैं कि उनके पास जो किसानों को लूटने खसोटने का जरिया जमींदारी और ताल्लुकेदारी था वह तो समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी किसी बहाने उसको लाना चाहते हैं जिससे वे किसानों पर पहले की भांति ही जुल्म कर सकें, वे भी इस मौके पर अपने हथकंडों से बाज नहीं आये।

एक बात तो यह कही जाती है कि सरकार फिजूलखरची करती है, उसको रोकने का सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया है। जो लोग धर्म का नारा लगाकर यहां चुन कर आये वे जंगलों में जाकर शिकार खेलते हैं और शिकार में भी सूअर मारते हैं और उसके लिये महीनों पड़े रहते हैं। देश का धन जो आज उनके पास है क्या ट्रस्टी के रूप में उनके पास नहीं है, क्या उनको उसे इस प्रकार से खर्च करने का अधिकार है? खैर इन बातों में मैं जाना नहीं चाहता, केवल उसकी ओर इशारा ही कर देना चाहता हूं।

इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार और राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सभी महत्वपूर्ण बातों पर संक्षेप में प्रकाश डाल दिया है। गागर में सागर

[श्री नित्यानन्द पांडेय]

भर दिया है। आवश्यकता तो इस बात की थी कि हम सब लोग मिल कर एक स्वर से उसका समर्थन करते, लेकिन ऐसा न करके हमने अच्छी परम्परा को कायम नहीं किया है, आपने लाल बत्ती दिखा दी, कुछ समय और देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना भाषण खत्म कर लीजिये।

श्री नित्यानन्द पांडेय--

लेकिन ऐसा न करके उन्होंने विरोधात्मक बातों को ही कहने में अपने गौरव को समझा है। उनका तो केवल एक ही उद्देश्य है कि येनकेन प्राकारेण सरकार को बदनाम करें, उसके नेताओं और संस्था को बदनाम करें। जो इस देश के नायक हैं, अगुआ हैं उनका नाम लेकर भी बहुत सी बातें कही गयीं, अगर वे उन बातों को न कहते तो उत्तम होता। आज की असाधारण परिस्थिति में उसकी आवश्यका नहीं थी। हर एक आदमी जो इस देश का है इस संकट में उसका एक ही कर्त्तव्य है कि वह सरकार की सहायता करके देश पर आये संकट का मिलकर मुकाबला करे। अन्त में मैं एक बार फिर महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जायगा।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन में जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है और उस पर जो संशोधन पेश किया गया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जब माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो रहा था, उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि दिल्ली के शाही दरबार के अन्दर सरकार की केवल प्रशंसा का वर्णन किया जा रहा है कि देश और प्रदेश में बड़ी शान्ति और सुख है और इस प्रकार से सरकार का पूरी तरह से यशगान किया जा रहा था। मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय दत्ता जी ने कहा कि इमरजेंन्सी का क्या अर्थ है। उसका अर्थ सब लोग अपना-अपना अलग अलग लगाते हैं, लेकिन सरकार ने उस इमरजेंसी का कुछ भी अर्थ नहीं लगाया। अगर किसी परिवार में कोई इमरजेंसी की बात हो जाती है तो सारा परिवार परेशान दिखायी देता है, लेकिन यहां तो सारी सरकार के सदस्य धूमधाम से घूम फिर रहे हैं, आनन्द मौज कर रहे हैं। मान्यवर, सरकार की ओर से अनप्रोडक्टिव खर्चा इतना बढ़ चुका है कि जनता पर सरकार के द्वारा एक मुस्तकिल बोझा बढ़ता चला जा रहा है। मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि वह विरोधीदल की स्पिरिट देखना चाहते हैं। स्पिरिट क्या है, प्रथम स्पिरिट का आदर्श तो सरकार की ओर से होना चाहिये। यहां तो हम सदस्यों की जो स्पिरिट है वह आपके आगे है। और बिना किसी मांग के, बगैर किसी कंडीशन के हम अपना सहयोग देने को तैयार हैं परन्तु सरकार हमारा कोई सहयोग लेने को तैयार ही नहीं है। एक तरह से ऊपर से दिखावे के लिये सहयोग पाने की बात की जाती है, लेकिन वास्तव में विरोधी दल से कोई सहयोग लेने की सरकार की मंशा नहीं है। इस सरकार का खर्चा बराबर बढ़ता जा रहा है। कई बार scruiting कमेटी बैठाने को कहा गया पर सरकार ने कुछ सुना नहीं, महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में शत्रु को हटाने के लिये कोई ठोस कदम उठाने की बात नहीं बतलायी है। हां, स्वर्गीय माननीय पंत जी के जमाने में पी०आर०डी० का संगठन किया गया, लेकिन उसे भी आप नहीं चला सके। आज जरूरत समझ कर उसका पुनः संगठन किया जा रहा है, लेकिन उसके लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उसमे भी पोलिटिकल करप्शन के जरिये अपने आदमियों को भरा जा रहा है। सरकारी नीति है कि विरोधी पार्टीज के हाथ पैर बंध जायं और इस तरह से इमर्जेंसी के नाम पर नाजायज लाभ उठाया जा रहा है। उस अभिभाषण में प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा के लिये भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और न कोई विशेष बात ही की गयी है। बुन्देल-

खंड के अन्दर अभी कुछ दिन पहले दस्युओं का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें एक दस्यु उसका सभापति नियुक्त कर लिया गया। अभी १० दिन पहले ही बुन्देलखंड के जालौन जिले में एक गिरोह दो लोगों को उठा कर ले गया है। इस तरह से आन्तरिक सुरक्षा की हालत तो यह है। मान्यवर अधिकारी कर्त्ता तो माननीय मंत्री महोदयों के प्रोग्रामों से ही नहीं फुरसत पाते हैं जनता की सेवा कैसे करें? आपत्तिकालीन व्यवस्था के नाम पर बड़े जोर शोर से प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में सुरक्षा की स्थिति बड़ी दयनीय है।

श्रीमन्, किसी देश में भी आपत्तिकालीन व्यवस्था होने पर कृषि व इंडस्ट्रीज पर विशेष ध्यान दिया जाता है और यहां भी दिया जाना चाहिये था। अगर देश के अन्दर कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो क्या खाकर हमारे जवाने मोर्चे पर लड़ेंगे। श्रीमन्, यह देखने में आता है कि सरकार के मंत्री महोदय जीपें व बड़ी-बड़ी कारें लेकर इधर उधर घूमा करते हैं। सुरक्षा के नाम पर इकट्ठे किये हुये चन्दे को पुनः इकट्ठा कर नाम कमा रहे हैं। हमारे प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री और माननीय उपमंत्री महोदय कृषि विभाग में अपनी किस्म के अद्वितीय हैं। परन्तु उनके विभागों का इस तरह से पोस्टमार्टम कर दिया गया है कि एक एक विभाग के कई हिस्से कर दिये गये हैं। जैसे इस विभाग को प्लानिंग, पंचायत राज, केन विभाग, सिंचाई विभाग, हर एक के और छोटे-छोटे टुकड़े कर करके अलग अलग कर दिये गये हैं। कृषि उत्पादन के लिये इस समय ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। मान्यवर सरकार का यशोगान हम तभी सुनते अगर हमारे प्रदेश में सैनिक स्कूल खोलने की व्यवस्था की गयी होती और हमारे प्रदेश में लड़ाई के लिये काफी तादाद में सैनिक आज मिले होते। आज सेक्रेटेरिएट में या और तमाम प्रदेश में कहीं-कहीं दफ्तरों में ५०–५० आदमी परेड करते हुये देखे जाते हैं, लेकिन उन्हें एटेंशन तक होने नहीं आता। खतरे का सामना करने के लिये सब के सहयोग व उत्साह की बात राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में कही गयी है। परन्तु यह उत्साह व सहयोग ग्रामीण किसानों और मजदूरों ने ही दिखलाया है। आज शहरों में जो बड़े-बड़े लखपति व करोड़पति हैं उन्होंने इस इमर्जेंसी के मौके पर चन्दा आदि के रूप में कितना सहयोग दिया है, यह हम सब के सामने है। एक तो जोर जबरदस्ती से चन्दा लिया जाता है और उसके बाद भी २५ फी सदी की बढ़ोत्तरी भूमि कर में पुनः की गयी है जो कि उसके लिये एक परमानेंट रिसोर्सेज हैं। फिर सरकार क्यों राजस्व विभाग द्वारा जबरदस्ती किसानों से चन्दा वसूल करवाती है? हर बात में आज चन्दा आगे आगे होता है। खर्चा बढ़ा है तो आप उसे कीजिये, लेकिन इस तरह से जो भी पैसा मिले उसके एक एक पाई का सदुपयोग होना चाहिये और उसे सैनिक कार्य व सुरक्षा के कार्यों में ही लगाना चाहिये। यह नहीं कि उस पैसे को आप अपने दौरे पर या अपने ऐशोआराम में खर्च करें। मान्यवर, सरकार को अपेक्षित है कि बजट में फिजूल खर्ची कम करें, मंत्रिमंडल का आकार कम हो, आपत्तिकालीन घोषणा समाप्त की जाय, Production by conciousness पैदा की जाय और Political curruption बन्द किया जाय मान्यवर, माननीय राज्यपाल ने सुरक्षा श्रम बैंक का भी जिक्र किया। पुराने जमाने में जब अंग्रेज यहां थे तो हम हर प्रकार की बेगार का विरोध किया करते थे, लेकिन अब यह तरीका उसी बेगार का नया मोडिल फोर्स्ड लेबर का अपनाया जा रहा है। उसी को सुरक्षा श्रम बैंक का रूप देकर यह बाध्य किया जा रहा है कि हर आदमी को ७२–७८ घंटे काम करना होगा और अगर कोई नहीं करेगा तो उसको उसके एवज में उतना पैसा देना होगा। उसी पुरानी बेगार को एक नया रूप देकर कहा जा रहा है कि यह एक क्रान्तिकारी कदम है। सरकार Communist policy अपनाती जा रही है जो राष्ट्र के लिये हानिकर होगी।

इस अभिभाषण में यह भी कहा गया है कि मद्य निषेध के विषय में भी कोई परिष्कृत योजना सामने लाई जायगी। इस परिष्कृत योजना के स्वरूप को देखकर हमने पिछले साल बजट के अवसर पर कहा था कि कानपुर का Prohibition खोल देने से ५ करोड़ रुपये का लाभ होगा तो उस वक्त सरकार की तरफ से कहा गया था कि उससे डिमारेलाइजेशन हो जायगा, लेकिन अब वह डिमारेलाइजेशन क्या हुआ? यह कैसी सरकार की परिष्कृत योजना है? श्रीमन्,

[श्री विजयसिंह]

अभिभाषण में कोई योजना सरकार के बढ़े हुये खर्चों को घटाने की नहीं है। सरकार की ओर से साधनों को जुटाने के बारें में मांग होती है और विरोधी दल से भी यही आशा की जाती है, हम जनहित में उचित बातों में सहयोग देते हैं, लेकिन हम से कोई खास काम नहीं लिये जाते हैं केवल दिखलावे के रूप में ही कहा जाता है कि हम सब का सहयोग लेते हैं।

आज हर जगह नहरों की व्यवस्था है, लेकिन देश में और प्रदेश में जबतक कुओं से सिंचाई न होगी और जबतक सिंचाई के विषय में भी किसान को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न होगी तब-तक कृषि की उन्नति और उत्पादन की बृद्धि नहीं होगी। इस के लिये मैंने कई बार मंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा और उस पर उन्होंने विचार अवश्य किया और उसको दूसरे रूप में माना भी पर कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया और न माननीय राज्यपाल ने ही अपने अभिभाषण में ही किसी योजना का उल्लेख किया।

प्लानिंग के संबंध में, मैं कहूंगा कि अभी पिछली ३ तारीख को अखबार में आया था कि प्लानिंग कमीशन ने स्वयं माना है कि प्लानिंग फेल हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन में स्लैकनेस आई है। सरकार समझती है कि हर तरह के काम और सारे टेक्निकल काम भी उसके आई० ए० एस० और पी० सी० एस० वाले अफसर ही कर लेंगे, टेक्निकल काम को यह नन-टेक्निकल आदमी कैसे करा सकते हैं, किस तरह से वह देश की पैदावार को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं?

महामान्य राज्यपाल ने सम्बोधन में यह भी बताया कि पुलिस में बहुत बढ़ोतरी की जा रही है और आंतरिक सुरक्षा के लिये पुलिस की आवश्यकता है इस आश्चर्यजनक बात से सदन के अन्दर व बाहर लोगों में परेशानी है। बुंदेलखंड का यह इतिहास रहा है कि वहां दस्यु लोगों का प्रभाव रहा है और वहां पुलिस का उचित प्रबन्ध उसको रोकने के लिये नहीं है। अधिकारी बड़े परेशान हैं--वह अपनी कार्य कुशलता दिखाते हैं पर कुछ मजबूरी शासन की पेचीदगी से है। अगर बुन्देलखंड के लिये अलग डी० आई० जी० होते तो यह चीज खत्म हो जाती और उनको फौरन ही उस परेशानी को दबाने में सफलता मिलती। जालौन जिले के पुलिस अधिकारियों की हम प्रशंसा करते हैं पर उनके पास सरकार की ओर से उपयुक्त हथियार और साधनों की व्यवस्था नहीं है। आपरेशन ऐरिया में हथियार दिये जाने में उदारता का दृष्टिकोण होना चाहिये और बन्दूकों पर चन्दे का लेना बिल्कुल बन्द होना चाहिये था। देश प्रदेश में बन्दूकों के दिये जाने में कोई सौदा नहीं होना चाहिये।

इन १५ सालों में जनता के अन्दर एक बात अवश्य पैदा हो गई कि उनमें इन स्कीम्स से डिमारेलाइजेशन बहुत हो गया है, कानपुर में १५ साल तक नशाबन्दी रही और अब इमर्जेंसी के नाम पर उसका नाजायज लाभ उठाया जा रहा है। प्रदेश में अब और अधिक करप्शन पैदा होता जा रहा है। इसी Political curruption के आधार पर वोट कैंचिंग मशीन को और मजबूत किया जा रहा है, Ruling Party अपने को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार अपने खर्चों को कम कर के एक आदर्श उपस्थित करती। माननीय विचित्रनारायण शर्मा जी ने अवश्य कुछ आगे कदम बढ़ाया था, लेकिन पता नहीं बाद में उनका भी क्या हुआ, उन के त्याग का भी कोई स्वरूप अभी सामने नहीं आया है। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव में अपने संशोधन को जोड़ देने का समर्थन करता हूं।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस प्रस्ताव के विरोध में जो भी अन्य संशोधन आये हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन सब का विरोध करता हूं। थोड़े से समय में, जितना समय मिलता है उसमें यह सम्भव नहीं है कि इन तमाम संशोधनों पर जो बातें विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने या नेताओं ने कही हैं उन सब पर यहां विचार विमर्श किया जा सके। लेकिन कुछ मोटी-मोटी बातों, मौलिक बातों के संबंध में, जिनका चर्चा नेता विरोधी दल ने तथा अन्य सदस्यों ने किया, उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। नेता विरोधी दल ने संकटकालीन स्थिति के विश्लेषण के संबंध में, उसका मतलब निकालने के संबंध में अपने विचार प्रकट किये। मैं उनको बताऊं संकटकालीन घोषणा हुई उसका एक मन्तव्य था, विधान के अन्तर्गत देश पर बाहरी आक्रमण हुआ उस घोषणा के बाद जो देश के प्रशासन, विधान की स्थिति होती है, जिस तरह से कार्य संचालन होता है उस स्थिति के बारे में हमारे दलों के अलग अलग मन्तव्य हैं। नेता विरोधी दल का इस स्थिति के बारे में यह विचार रहा होगा कि देश को युद्ध में झोंक दिया जाय और दृढ़तापूर्वक विचार करने की क्षमता तथा आर्थिक कार्यक्रम को छोड़ देने की बात उन्होंने अपने मन में सोची हो। यह उनका गलत विचार है। संकटकालीन स्थिति की घोषणा का मतलब यह नहीं है कि हम अपने देश के तमाम आर्थिक कार्यक्रम, धैर्य को छोड़ दें और जनतंत्रीय प्रणाली और सिद्धान्तों से गुमराह हो जांय। जब संकटकालीन स्थिति की घोषणा हुई तो उसका मतलब यह था कि हम तैयार हो जांय आक्रमणकारियों को भगाने के लिये, संकट को दूर करने के लिये और साथ ही साथ जो आर्थिक कार्यक्रम हैं, जो जनतंत्रवाद के उसूल हैं उनको भी न छोड़ें। जैसा हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा यह खुशी की बात है कि एक कम्युनिस्ट देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, लेकिन हमारे यहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने हमारे देश के नेता का साथ दिया और आक्रमणकारी का विरोध किया। तो जाहिर है हम कम्युनिस्ट पार्टी को ध्वस्त नहीं करेंगे। हम तो उन प्रतिक्रियावादी तत्वों को ध्वस्त करेंगे जो देश को इस संकट के समय गलत रास्ते की तरफ़ ले जाना चाहते हैं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---
जब साथ दे रहे हैं तो गिरफ्तार क्यों कर रखा है'?

श्री बेचनराम---
हमारे देश में इस तरह के मनसूबे कतई सिद्ध नहीं हो सकते। हमारा देश इंगलैंड के रास्ते पर लड़ाई लड़ेगा न कि फासिस्ट तरीके पर। यह मैंने इमरजेंसी का मतलब समझाने के लिये आपसे कहा।

सिविल डिफेंस के लिये नेता विरोधी दल ने कहा, नेहरू जी ने वही बात कही। देश का बच्चा बच्चा, नौजवान अपनी बुद्धि न खो बैठे, एकदम पागल की तरह से न कूद पड़े। उन्होंने सुरक्षा के कामों के लिये रोक नहीं लगायी है। उन्होंने यह कहा हमारा देश जहां है वहीं पर दृढ़ रहे और सोच समझ कर लड़ाई लड़े। आर्थिक कार्यक्रमों को पूरा करते हुये लड़ाई लड़ें। और यही बात राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्तिम भाग में कही कि हमारा उत्तर-दायित्व द्विगुणित है, यानी दोहरा मन्तव्य बताया। एक तो विदेशी आक्रमण का मुकाबला करना और दूसरे आर्थिक विकास को भी करना। इमर्जेंसी जरूर है, लेकिन हम इन तमाम आर्थिक कार्यक्रमों को छोड़ नहीं सकते, यह भी हमारा दृढ़ निश्चय है।

अब श्री उग्रसेन जी ने जो कहा उसके बारे में भी मैं थोड़ा कह देना चाहता हूं। उन्होंने सब रोगों की एक दवाई निकाली है---भाषा का प्रश्न। पिछले सौ, डेढ़ सौ वर्षों में अपने पुराने ऐतिहासिक तथ्यों को भुला कर जिस आधार पर हमारा यह विकास हुआ है, हमारे विधान में यह लिखा है कि उसमें सारी बातें नहीं हैं और जो बातें उसमें नहीं हैं उनमें इंग्लैंड का विधान लागू होगा। जाहिर है कि हमने वहां की तमाम परम्पराओं को माना है जो इग्लैंड की पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी ने डेवलप किया है। उनके प्रश्न के बारे में मैं बताऊं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है। हम लोग अच्छी हिन्दी जानते हैं यह गर्व की बात है, लेकिन ऐसी बात कि हम अंग्रेजी का अगर एक शब्द बोल लेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जायगा, यह ठीक नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

एक, आध शब्द का सवाल नहीं है, भाषा का सवाल है।

श्री बेचनराम—

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में ही कह दिया कि हिन्दी जानने की असमर्थता के कारण मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की स्वस्थ परम्पराओं के प्रतिकूल हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा समय है जब कि हमारा प्रदेश तीन तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जो उन्होंने प्रारम्भ में और अन्त में कहा है एक मौलिक अन्तर है और वह यह कि अन्त में तो उन्होंने चीन को आक्रमणकारी कहा और जनता के मनोबल को जगाने पर बहुत बल दिया, लेकिन प्रारम्भ में जो उन्होंने इस सरकार की योजनायें बतायीं उसमें उन्होंने सुरक्षा की योजनाओं को गौण और आर्थिक योजनाओं को प्रमुख स्थान दिया। यहीं पर हमारा सरकार की रीतियों और नीतियों से मतभेद है। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि इस राज्य की विशेष जिम्मेदारियां हैं और मुझे प्रसन्नता है कि मेरी सरकार उनके प्रति पूरी तौर से सचेत है। आगे इसी में कहा है कि "आर्थिक दशा में सुधारार्थ चातुर्दिक विकास-कार्यवाही में तेजी लाने के लिये दृढ़ प्रयास किया जा रहा है" जहां सुरक्षा की बात है उसके बारे में कहा है कि उस ओर विशेष ध्यान दिया जायगा और जहां तक आर्थिक विकास की बात है उसके लिये कहा है कि दृढ़ प्रयास किया जायगा। यही हमारा मौलिक मतभेद है। जो हम यह घोषणा करते हैं कि हम अपनी प्लान को २० प्रति शत काटना चाहते हैं और प्लान में उतना ही उत्पादन रखते हुये भी सुरक्षा योजनाओं के लिये रुपया बचाना चाहते हैं जब हम इस ओर देखते हैं तो हमें ढिलाई लगती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस भाषण में ही सरकार का हाथ होता है और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने राज्यपाल महोदय का भाषण सीतापुर सुना और उन्होंने दुःख प्रकट किया, जैसा कि भाषा हमारे कांग्रेसी साथी अभी बोल रहे थे, राज्यपाल महोदय ने कहा कि मुझे दुःख है कि कुछ लोगों ने अब भी पेकिंग को वाराणसी बना रखा है। यहां भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी विचाराधारा अभी बदली नहीं है। अभी उनका दिमाग साफ नहीं है कि कम्यूनिज्म क्या है, किस प्रकार का हमला है और किस प्रकार की शक्तियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े जोरों से पांचजन्य की बात कही गई कि वे उस समाचारपत्र को पढ़कर आते हैं। मैं आपके द्वारा बतला देना चाहता हूं कि अगर वे इस समाचार पत्र को पढ़कर आते तो ऐसी गलती कभी नहीं होती। आज नहीं बल्कि जिस समय तिब्बत के प्रश्न पर डिबेट हुई थी तो माननीय झारखंडेराय जी ने कहा था। पांचजन्य ने मांग की थी कि हमारे सुरक्षा मंत्री जी को हटाया जाय और देश को उनको हटाना पड़ा। पांचजन्य ने एक बात सामने रखी थी उसको मैं झारखंडेराय जी के शब्दों में रख देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि पांचजन्य में इस बात की चर्चा की गई है कि जब हिमालय हमारा है तो कैलास और मानसरोवर किस का है। उसको वापस लेने के लिये हम क्या कर रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा था कि उसमें मांग की गई है कि हिन्दुस्तान की कम्यूनिस्ट पार्टी पर रुकावट लग जानी चाहिये। उसमें इस बात की मांग की गई है कि आज देश के अन्दर देशद्रोही तत्व मौजूद हैं। उसके साथ ही साथ बड़े जोर से घोषणा की गई थी। जब तिब्बत की डिबेट हुई थी तो माननीय गोविन्दसिंह जी ने कहा था उसको पढ़ने की कृपा की जाय।

माननीय झारखंडेराय ने जो कहा वह यह है कि :—

१९१४ और १९१८ के बीच जब यूरोप की पूंजीवादी सरकार ने साम्राज्यवादी लड़ाई लड़ी तो वहां की कम्यूनिस्ट पार्टियों ने कहा था कि "we shall turn the imperialist war

into civil war." आज हम देख रहे हैं कि हमारे प्रोडक्शन का क्या लक्ष्य रखा गया है ? आज हमारे सारे प्रयासों को एक आदमी खींचने के लिये सशक्त है और हमारे कांग्रेस के सदस्य दुहाई दे रहे हैं और उन्हीं लोगों की ओर हम लोग आंख बंद कर रहे हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

यह इम्पीरियलिस्ट वार है या पीपुल्स वार है इसको साफ कर दीजिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

मैं इसको साफ किये देता हूं कि जो कम्यूनिस्ट पार्टी से डिसएग्री करे तब तो इम्पीरियलिस्ट वार है और एग्री करे तो पीपुल्स वार है। माननीय झारखंडेराय जी कहते हैं कि जिस दिन भारतवर्ष कहेगा कि तिब्बत चीन का नहीं है तो हम सिविल वार करा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बुरा भी लगता है यदि मैं माननीय सदस्यों की नीयत पर शक करूं। लेकिन कम्यूनिस्टों का इतिहास बताना है कि कभी-भी वे सामने की लड़ाई में जीते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने सेबोटेज करके हमेशा नुकसान पहुंचाया है। जब चीन और जापान में लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने रेलवे लाइनों को तोड़ दिया था। यह बात दूसरी है कि आपने कम्यूनिस्ट पार्टी के लोगों को पकड़ा और फिर छोड़ दिया। अगर माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में यह संकेत होता कि हम देशद्रोही तत्वों को पनपने नहीं देंगे . . . . . .

श्री ऊदल—

महात्मा गांधी की हत्या किसने की ?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब ऊदल जी बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि इस देश में जनसंघ की सरकार कब बनेगी। मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी सरकार जनसंघ की सरकार है। जो देश के साथ गद्दारी नहीं करते हैं, हम उनके साथ हैं। जिस तरह से वे उनका साथ नहीं दे सकते हैं जो रूस का साथ नहीं दे सकता, उसी तरह से हम उनका साथ नहीं दे सकते हैं जो देश में विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा देते हैं।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बिच्छुओं की बारात जा रही थी। एक श्रीमान ने पूछा कि इसमें चौधरी कौन है ? बोले कि हाथ लगा कर देख लो। उपाध्यक्ष महोदय, बिच्छुओं की बारात में सब चौधरी ही चौधरी हैं। हमने १९४२ में रूस के तथा भारत के बिच्छुओं को हाथ लगाया। चप से काट लिया। जब इंग्लैंड जर्मनी से लड़ रहा था तो रूस तथा देसी कम्यूनिस्ट ने कहा कि हिन्दुस्तान वालो तब तक गुलाम रहो जब तक अंग्रेज जर्मनी से लड़ाई लड़ रहे हैं। उस के बाद दूसरे भाई चीन को हाथ लगाया तो उसने भी चप से काट खाया। तो इस बिच्छुओं की बारात में चौधरी कौन है वह माननीय झारखंडेराय ही बता सकते हैं। आज इस देश में एक पार्टी का ऐसा भी झंडा है जिसके नीचे बैठ कर डिस्कस किया जाता है कि चीन ने हमला किया या नहीं किया। जिस देश में हम युद्ध प्रयास कर रहे हैं, उस देश में हर जिलेमें, हर प्रान्त में एक झंडा लगा हुआ है जिसके नीचे बैठ कर लोग कहते हैं कि चीन ने हमला नहीं किया और हम बैठ कर सुनते हैं। अगर ऐसी अनुत्तरदायित्वपूर्ण बातों को हम और आप सहन करेंगे तो यह देश रसातल को चला जायगा। उत्पादन करने के पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे उत्पादन में कहीं बाधा तो नहीं पड़ती, हमारे युद्ध प्रयासों में बाधा तो नहीं पड़ती। हमें देखना होगा कि हमारे बढ़ते हुए कदम को कोई रोक न सके और भारतवर्ष की पवित्र भूमि से जब तक विदेशियों को खदेड़ नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।

सरकार की ओर से एक पत्रक गया है जिसमें सुरक्षा प्रयासों का उल्लेख है। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि क्या क्या प्रयास होंगे। तो प्रथम दोपसली हुकूमत का जिक्र है। पी० आर० डी० को कंट्रोल करेगी पुलिस और संगठन करेंगे जिला परिषद् वाले। लड़ाई खत्म होने को आ रही है और पत्रक बटा है २२ को। सूचना देने वाले देंगे अगले महीने

[श्री टम्बेश्वरीप्रसाद]

की दस तारीख को, अपनी जो यूनिट्स हैं उन को सूचना दें। उसके बाद एक बड़ा मजेदार तरीका है। उन्होंने लिखा है कि इस सुरक्षा के लिये जो सूचनाएं जायंगी, आशा है कि अगले दो वर्षों में अधिकांश गांवों में सामाजिक रेडियो हो जायंगे, और वह हमारी सूचना का माध्यम होगा सुरक्षा प्रयासों के लिए। कम से कम इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, इस पत्रक को राज्यपाल महोदय ने देखा नहीं होगा, विभाग के कहने से योजना लिख दिया होगा। इस प्रकार के प्रयासों से जो दृढ़ और निश्चित नहीं हैं हमारे देश की कैसे सुरक्षा होगी?

अब मैं उत्पादन के लिये थोड़ा सा समय आप से मांगूंगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस से पूर्व सेशन में इस सदन में एक मांग रखी थी लगभग ४० करोड़ रुपये की, सुरक्षा प्रयासों को दृढ़ करने के लिए, उसमें कई करोड़ के टैक्स सरकार लगा चुकी है। मैं इसलिए इन सब बातों को सामने रखना चाहता हूं कि एक तरफ सरकार यह मानती है कि सुरक्षा प्रयास में सारा धन किसान ने दिया है, और बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने अपनी हैसियत के हिसाब से सुरक्षा प्रयास में धन नहीं दिया है। तो उन्हीं कृषकों की ओर ही उनका लक्ष्य है टैक्सेशन में भी और चन्दे में भी सब बातों के लिए उसी किसान की ओर ही वह देखते हैं जिसकी कि रीढ़ टूट चुकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम एक प्रकार से उद्योग से, कृषि से रुपया लेते हैं तो हमें चिन्ता करनी पड़ेगी कि किस तरह से उनके साधनों को बढ़ाया जाय। लेकिन इस अभिभाषण में कोई भी नीति निर्देश इस प्रकार का नहीं है जिसमें कि एक शब्द भी इस बात के लिए प्रयोग किया गया हो कि किस तरह कृषि उत्पादन को सरकार बढ़ाने वाली है। हां, यह जरूर सुना है कि सेंट्रल प्लानिंग कमीशन से एक प्रोग्राम निकला है जिसमें कुछ-कुछ जगह वह कुछ यूनिट्स चलाने वाले हैं। लेकिन उस यूनिट से क्या उस किसान की आमदनी बढ़ने वाली है जिससे कि आप १/४ बढ़ा हुआ लगान लेना चाहते हैं? ऐसी स्थिति में मैं तो उग्रसेन जी की उस अपील को दोहराना चाहता हूं कि जो फसल अभी पैदा नहीं हुई है उस फसल पर लेवी लगा कर रुपया न लिया जाय। यहां के कृषकों ने कई करोड़ रुपया दिया है, आज सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष--

आप का समय समाप्त।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामना राज्यपाल जी के भाषण पर उनको धन्यवाद देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। वह भाषण साढ़े सात पेज की एक छोटी सी पुस्तिका में छपा हुआ है। हमारे भाइयों को यह शिकायत है कि उन्होंने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश की कुल बातें नहीं लिखीं। बहुत सी बातें हैं कि इस छोटी सी पुस्तिका में उन्होंने एक वर्ष में जो सरकार ने काम किये हैं इस प्रदेश में और जिन क्षेत्रों में जितना कार्य हुआ है, उसकी तरफ थोड़ा सा संकेत किया है और इस छोटी सी पुस्तिका में केवल संकेत ही हो सकता था कोई विस्तार में नहीं कहा जा सकता था कि सरकार ने क्या कार्य किये हैं। यह बात दूसरी है कि आप हमारी सही बातों को भी न मानें। जो अच्छा करते हैं उसके लिए आप अच्छा भी न कहें यह तो आप का न्याय है, लेकिन हम समझते हैं कि प्रदेश भर में सरकार के जितने अंग हैं और जितनी तरफ सरकार कार्य करती है उन सब में काफी आगे तरक्की हुई है। सरकार काफी सफलता प्राप्त कर चुकी है। पहले के मुकाबले में हम देखते हैं तो प्रबन्ध सरकार का जो है उसमें काफी तरक्की हुई है, न्याय जो है उसमें तरक्की हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हुई है, योजना के क्षेत्र में तरक्की हुई है और अन्त में जो भी एक दुर्घटना घटी सुरक्षा के क्षेत्र में, उसमें भी तरक्की हुई है। दरअसल हम ऐसा नहीं समझते कि ऐसी अस्त-व्यस्त दशा में प्रदेश के रहने वाले हैं, एकदम से ऐसी दुर्घटना घटेगी और हम इतनी जल्दी उसका प्रबन्ध कर सकेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है कि उसने अपने चारों तरफ अपनी सब पुरानी बातों को पीछे छोड़ कर जिस तरफ कि वह चल रही थी, अपना सारा ध्यान सुरक्षा की तरफ केन्द्रित किया और हमें चारों तरफ से सफलता प्राप्त हुई, । सारे प्रदेश की जनता में यह विश्वास पैदा हुआ कि हमारे प्रदेश में जो भी कार्य हुआ है सुरक्षा के क्षेत्र में वह सन्तोष जनक है । उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रदेश की सरकार को धन के जरिये से जन के जरिये से जितनी सहायता दी वह हम समझते हैं काफी है, कहने के लिए कि सरकार में जनता का पूरा-पूरा सहयोग और विश्वास है । महामान्य राज्यपाल जी ने अपने भाषण में संकेत किया है बड़ी-बड़ी बातों का और वह अपनी बातें बतलाने के लिये यहां आये थे और वह साल भर में एक बार आते हैं । वह तो हमारे मित्रों ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और उनकी क्षमा को स्वीकार नहीं किया । क्षमा और प्रार्थना मांगने के बाद भी हमारे बिच्छू भाइयों ने उनके डंक मार दिया जो कि बिच्छुओं की बारात में उधर बैठे थे । माननीय कल्पनाथसिंह ने तो ऐसा डंक मारा कि राज्यपाल महोदय को आज तक दर्द होता होगा । उग्रसेन जी और कल्पनाथसिंह जी, जो बड़े-बड़े योद्धा हैं और बड़े बड़े डंक वाले हैं उन्होंने ऐसा डंक राज्यपाल महोदय के मारा कि वह आज भी अपने बंगले में कुर्सी पर बैठे हुए दर्द का अनुभव करते होंगे । वह यह सोचते होंगे कि इस प्रदेश में हम गये और विधान सभा में जिस तरह से डंक के जरिये से हमारा स्वागत किया उस की मिसाल नहीं हो सकती । बहरहाल उन को इसका दुःख नहीं होना चाहिये, क्योंकि हमारे पास जो कुछ था वह हमने उनको दिया । हमारी विधान सभा के अन्दर जो अच्छी से अच्छी चीज हमारे पास थी वह हमने उनकी सेवा में समर्पित की और उनका आदर किया । इससे उनको सन्तोष करना चाहिये ।

माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इस बात को बताने की कोशिश की कि सरकार ने जो कुछ भी किया है वह सन्तोषजनक रहा है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम को जो तकलीफ थी यानी प्रदेशीय सरकार ने दूसरा मेडिकल कालेज मेरठ में खोलने का जो निश्चय किया है वह दरअसल इसके लिये धन्यवाद की पात्र है । उससे २५ फीसदी डाक्टर हमारे यहां और बढ़ जायंगे जिसकी वजह से वह कठिनाई, जो हमारे यहां गांव में रहने वालों को थी स्वास्थ्य के सम्बन्ध में, वह सारी दूर हो जायगी । इसी प्रकार से जो कुछ हम देखते हैं बावजूद इसके कि हमारे भाई हम को काम करने नहीं देते हैं, चारों तरफ से हमारा ध्यान इधर उधर करते हैं और हमारे कामों को अच्छे से अच्छे कामों को बुरा बताते हैं, लेकिन जितना भी करते जा रहे हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकार उसके लिये धन्यवाद की पात्र है । माननीय राज्यपाल महोदय जिस वक्त यहां पर पढ़ कर सुनाना चाहते थे....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप और बोलियेगा ?

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

जी हां, अभी मैं और बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो अपना भाषण कल जारी रखियेगा ।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
५ फरवरी, १९६३ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२ पर)

तालिका १

सन् १९६० के अप्रेंटिसेज (Apprentices) की सूची जिन्होंने एक वर्ष की ट्रेनिंग पूरी कर ली है

क्रम-संख्या	नाम	क्रम-संख्या	नाम
१	श्री सईद अहमद सिद्दीकी	१२	श्री प्रेम प्रकाश गुप्त
२	,, सुशीलकुमार सक्सेना	१३	,, सन्तप्रसाद
३	,, रनवीरसिंह	१४	,, भरतसिंह
४	,, विनयभूषण	१५	,, मानपालसिंह
५	,, विन्देश्वरीप्रसाद	१६	,, जाल्पाप्रसाद पान्डे
६	,, हिमांसुमोहन बर्नवाल	१७	,, राजेशचन्द्र
७	,, श्यामकिशोर मलहोत्रा	१८	,, अजीतकुमारसिंह
८	,, कमलाकान्त	१९	,, भोलाशंकर मुडगल
९	,, के० के० विन्दल	२०	,, मदनगोपाल मिश्र
१०	,, ईश्वर चन्द्र शर्मा	२१	,, सुरेन्द्र कुमार
११	,, रामकुमार		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१ पर)

क्रम-सं०	कंडक्टर का नाम	शिकायत जो प्राप्त हुई	की गई कार्यवाही का विवरण
१	श्री जे० पी० शर्मा ..	१—४ सवारी बिना टिकट ले जाते हुये पाये गये।	कार्यवाही जारी है परसनल हियरिंग की तारीख मुकर्रर की गई है।
२	श्री विश्राम सिंह ..	१—४ सवारी बिना टिकट तथा १ मन बिना बुक किया हुआ भार ले जाते हुए पाए गए।	६ मास का गुड कंडक्ट भत्ता काट कर चेतावनी दी गई।
		२—अपर क्लास में तथा बे-बिल हाथ में लेकर चलते हुए पाए गए।	१ मास का गुड कंडक्ट भत्ता काटा गया।
		३—ड्यूटी पर देर से आए।	चेतावनी दी गई।
		४—५ सवारी बिना टिकट तथा बेबिल हाथ में ले जाते हुए पाए गए।	४ मास का गुड कंडक्ट भत्ता काटा गया तथा चरित्र पट पर प्रतिकूल प्रविष्टि की गई।
		५—अपर क्लास में तथा बे-बिल हाथमें लेकर चलते पाए गए।	१ मास का गुड कंडक्ट भत्ता काटा गया।
३	श्री आशा राम ..	१—बेबिल हाथ में लेकर तथा १ सवारी बिना टिकट ले जाते हुए पाए गए।	१ मास का गुड कंडक्ट भत्ता काटा गया।
		२—१ सवारी बिना टिकट तथा २० मन माल बिना बुक किए हुए ले जाते पाए गए।	चेतावनी दी गई।
४	श्री रामचन्द्र राजपूत	१—साढ़े १० यात्री बिना टिकट मेला ड्यूटी से लौटते हुए ले जाते हुए पाए गए जिनकी इंट्री चालान पर कर दी गई थी क्योंकि उनके पास सादे टिकट बुक नहीं थे।	इन्हें अप्रैल, १९६२ में सस्पेंड किया गया था तथा नवम्बर के माह में १/४ वेतन तथा दो साल की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक कर रि-इन्सटेट किया गया।
		२—४ यात्री बिना टिकट ले जाते पाए गए।	
		३—४ यात्री बिना टिकट ल जाते पाए गए परन्तु चेक होने के पूर्व उन्होंने टिकट बना कर वे बिल पर चढ़ा दिए थे।	

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६८ पर)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ को संशोधित करने के लिए — उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९६२

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्ष नाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) इस अधिनियम की धारा ५ तथा ७ पहली अक्तूबर, १९६२ से प्रचलित हुई समझी जायेंगी और अन्य उपबन्ध तुरन्त प्रचलित होंगे।

धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में—

(क) खंड (ख) तथा (ग) निकाल दिये जायें, और

(ख) खंड (ङ) में शब्द "परिचालक या ड्राइवर या कन्डक्टर या ऐसा कर्मचारी" के स्थान पर शब्द "परिचालक, ड्राइवर या कन्डक्टर या परिचालक का ऐसा कर्मचारी" रख दिये जायें।

धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण—१ कर दिया जाये और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया स्पटीकरण बढ़ा दिया जाये :—

"स्पष्टीकरण—२ ठेका-गाड़ी की दशा में पूरी गाड़ी के लिए देय किराये को उस गाड़ी के यात्रियों की संख्या से विभाजित करने पर जो राशि प्राप्त हो वही ऐसे प्रत्येक यात्री द्वारा देय किराया समझी जायेगी: किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि गाड़ी के लिए देय किराया मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के उपबन्धों के अनुसरण के ठेका-गाड़ियों के लिए नियत अधिकतम दरों से (यदि कोई हो), निकाले गये किराये के पचहत्तर प्रतिशत से कम हो तो उक्त पचहत्तर प्रतिशत ही गाड़ी के लिए देय किराया समझा जायेगा।"

धारा ४ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ४ के खंड (ख) में—

(क) शब्द "धारा" तथा अंक "१४" के बीच अंक "६" तथा कामा बढ़ा दिये जायें; और

(ख) उपखंड (२) के अन्त में पूर्णविराम के स्थान पर सेमीकोलन तथा शब्द "या" रख दिये जायें और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड बढ़ा दिया जाये :—

"(३) मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ६३ की उपधारा (६) के अधीन, राज्य के बाहर के किसी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत विशेष अनुज्ञापत्र (परमिट) के अधीन चलने वाली यात्री-गाड़ी को मुक्त कर सकती है।"

धारा ५ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाये और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाये :—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि कर की दर में किसी ऐसे परिवर्तन का, जो अनुबन्ध के दिनांक के पश्चात् प्रचलित हो, प्रभाव यह होगा कि अनुबन्ध की अवधि के उस भाग के सम्बन्ध में, जिसमें परिवर्तित दर प्रचलित रहे, सहमत एक मुश्त धनराशि में तदनुरूप (आनुपातिक) परिवर्तन हो जायगा।"

धारा ६ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (२) में, अन्त के पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाये और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाये :

"प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निर्दिष्ट शास्ति एक सौ रुपया प्रति यात्री गाड़ी से अधिक न होगी।"

धारा ८ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (१) में शब्द "अशुद्ध होने की दशा में" के स्थान पर शब्द "प्रथमोक्त दशा में" और शब्द "अपूर्ण होने की दशा में" के स्थान पर "उत्तरोक्त दशा में" रख दिये जायं।

धारा २० का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा २०, में उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाये:—

"(३-क) जब उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन कार्य करने वाले किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन तैयार किये गये या रखे गये किसी लेख्य का अभिग्रहण इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के साध्य को सुरक्षित रखने के लिये आवश्यक प्रतीत हों, तो वह उस लेख्य का अभिग्रहण कर सकता है और जब किसी लेख्य का इस प्रकार अभिग्रहण किया जाये तो उसकी रसीद उस व्यक्ति को दी जायेगी जिसके कब्जे से लेख्य अभिगृहीत किया जाये।"

धारा २२ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (१) के खन्ड (ख) में, शब्द "प्रमाण-पत्र" और शब्द "प्राप्त किये" के बीच में शब्द "या धारा १५ में उल्लिखित रसीद' बढ़ा दिये जायें।

धारा २९ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा २९ में शब्द "प्रतिबन्धात्मक खन्ड" के स्थान पर शब्द "प्रथम प्रतिबन्धात्मक खन्ड" के रख दिये जायें।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ के वर्तमान उपबन्धों से ठेका गाड़ियों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के यात्री कर की गणना कठिनाई में होती है। इसके अतिरक्त, अधिनियम में एक मुश्त धनराशि के अनुबन्धों की व्यवस्था की गयी ह, किन्तु इसमें कर की दर में होने वाले अनुवर्ती परिवर्तनों के अनुसार धनराशि में परिवर्तन किये जाने की व्यवस्था नहीं है। अन्य राज्यों के विशेष परमिटों के अधीन चलने वाली यात्री गाड़ियों पर इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में भी कठिनाइयां हुई हैं अतएव, इन बातों की समुचित व्यवस्था करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक प्रतीत हुआ है। इस अवसर का उपयोग कुछ अन्य छोटे-मोटे परिवर्तन करने के लिये भी किया गया है।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

मुजफ्फर हसन,
परिवहन मंत्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धाराओं का उद्धरण जिन में संशोधन करना है

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

० ० ०

(ख) "नगर" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में यथापरिभाषित नगर से है;

(ग) "नगरपालिका" का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज, ऐक्ट, १९१६ में यथापरिभाषित म्युनिसिपैलिटी से है;

० ० ०

(ङ) "यात्री" का तात्पर्य यात्री गाड़ी में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति से है किन्तु इसके अन्तर्गत उस यात्री-गाड़ी का परिचालक या ड्राइवर या कन्डक्टर या ऐसा कर्मचारी नहीं है जो उस यात्री-गाड़ी के संबंध में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये यात्रा कर रहा हो ;

० ० ०

३—(१) इस धारा के प्रचलित होने के दिनांक से और उसके पश्चात् यात्री-गाड़ी द्वारा ले जाये जाने वाले प्रत्येक यात्री पर उस दर से कर लगाया जायेगा जो उस यात्री द्वारा राज्य में अपनी यात्रा के संबंध में यात्री गाड़ी के परिचालक को देय किराये के पांच प्रतिशत के बराबर हो और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि कर की धनराशि की गणना आवश्यकतानुसार निकटतम नये पैसे में की जायेगी तथा आधे नये पैसे और उससे अधिक पूरा नया पैसा गिना जायेगा और आधे नये पैसे से कम को छोड़ दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण—यदि यात्री गाड़ी किसी यात्री को रियायती दर पर या बिना किराये के ले जाये, तो इस धारा के प्रयोजनार्थ यात्रा के लिये सामान्य रूप से देय किराया ही ऐसे यात्री द्वारा देय किराया समझा जायेगा ।

० ० ०

४—राज्य सरकार गजट में विज्ञापित आज्ञा द्वारा ऐसी शर्तों (यदि कोई हों) पर तथा ऐसी अवधि के लिये जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जायें—

० ० ०

(ख) धारा १४, १५, १६ और १७ तथा धारा २२ की उपधारा (१) के खन्ड (ख) के सभी अथवा किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से—

० ० ०

(२) किसी ऐसी यात्री-गाड़ी को मुक्त कर सकती है जिसके संबंध में कर की धनराशि के बदले में एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने का अनुबन्ध हो गया हो ।

५—(१) कर यात्री-गाड़ी के परिचालक द्वारा वसूल किया जायेगा और उसका भुगतान राज्य सरकार को नियत रीति से किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार ऐसे कर की धनराशि के बदले में जो परिचालक द्वारा राज्य सरकार को देय हो, एकमुश्त धनराशि स्वीकार कर सकती है या स्वीकार करने के लिये सहमत हो सकती है ।

६—(१) ० ० ०

(२) यदि कोई परिचालक, समुचित कारण के बिना, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अनुमत समय के भीतर ही विवरण प्रस्तुत न करे तो कर अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि वह परिचालक अपने द्वारा देय कर की धनराशि के अतिरिक्त प्रत्येक यात्री-गाड़ी के संबंध में जब तक वह विवरणी प्रस्तुत न करे, तब तक के प्रत्येक ऐसे दिन के लिये शास्ति-स्वरूप दस रुपये से अनधिक धनराशि दे ।

८—(१) यदि किसी यात्री-गाड़ी के संबंध में परिचालक द्वारा किसी महीने या उसके भाग के लिये कोई विवरणी प्रस्तुत न की गयी हो अथवा यदि किसी यात्री-गाड़ी के संबंध में परिचालक द्वारा किसी महीने अथवा उसके भाग के लिये प्रस्तुत की गयी विवरणी कर अधिकारी को अशुद्ध या अपूर्ण प्रतीत हो तो वह अशुद्ध होने की दशा में परिचालक को अपना अभ्यावेदन (यदि कोई हो) देने का, और अपूर्ण होने की दशा में प्रस्तुत की गयी विवरणियों की शुद्धता और पूर्णता सिद्ध करने का समुचित अवसर देने के पश्चात वह धनराशि अवधारित करेगा जो परिचालक द्वारा राज्य सरकार को, उक्त महीने या उसके भाग के लिये कर के रूप में देय हो ।

२०—(१) यात्री गाड़ी का ड्राइवर नियत प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर, गाड़ी को रोकेगा या रोके रखेगा ताकि नियत प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन आरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन कर सके, और उक्त प्राधिकारी ऐसा करने के लिये गाड़ी में प्रवेश और यात्रा भी कर सकता है ।

(२) नियत प्राधिकारी कर निर्धारण करने या इस बात की जांच करने के प्रयोजन से कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, किसी ऐसे स्थान में जहां पर सामान्यतः परिचालक द्वारा गाड़ी खड़ी की जाती हो या जहां पर वह अपने व्यवसाय से सम्बद्ध लेखे रखता हो, प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है । ऐसे निरीक्षण या तलाशी के, दौरान में किसी भी लेख्य पर प्रतिहस्ताक्षर कर सकता है ।

(३) उपधारा (२) के अधीन सभी तलाशियां कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के उपबन्धों के अनुसार ली जायेंगी ।

२२—(१) यदि कोई व्यक्ति—

(ख) धारा १४ के अधीन रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना किसी यात्री को यात्री गाड़ी से ले जाये या ले जाने दे, या,

२९—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि धारा ५ के प्रतिबन्धात्मक खन्ड के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य अधिकार का प्रयोग, ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो निदेश में उल्लिखित किया जाये, किसी भी कर अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३१५ एल० ए०—१९६३—(प्रो०) ८५० ।